खण्ड-253, अंक-4
गुरूवार, 22 माघ, शक संवत् 1886
(11 फरवरी, 1965 ई0)

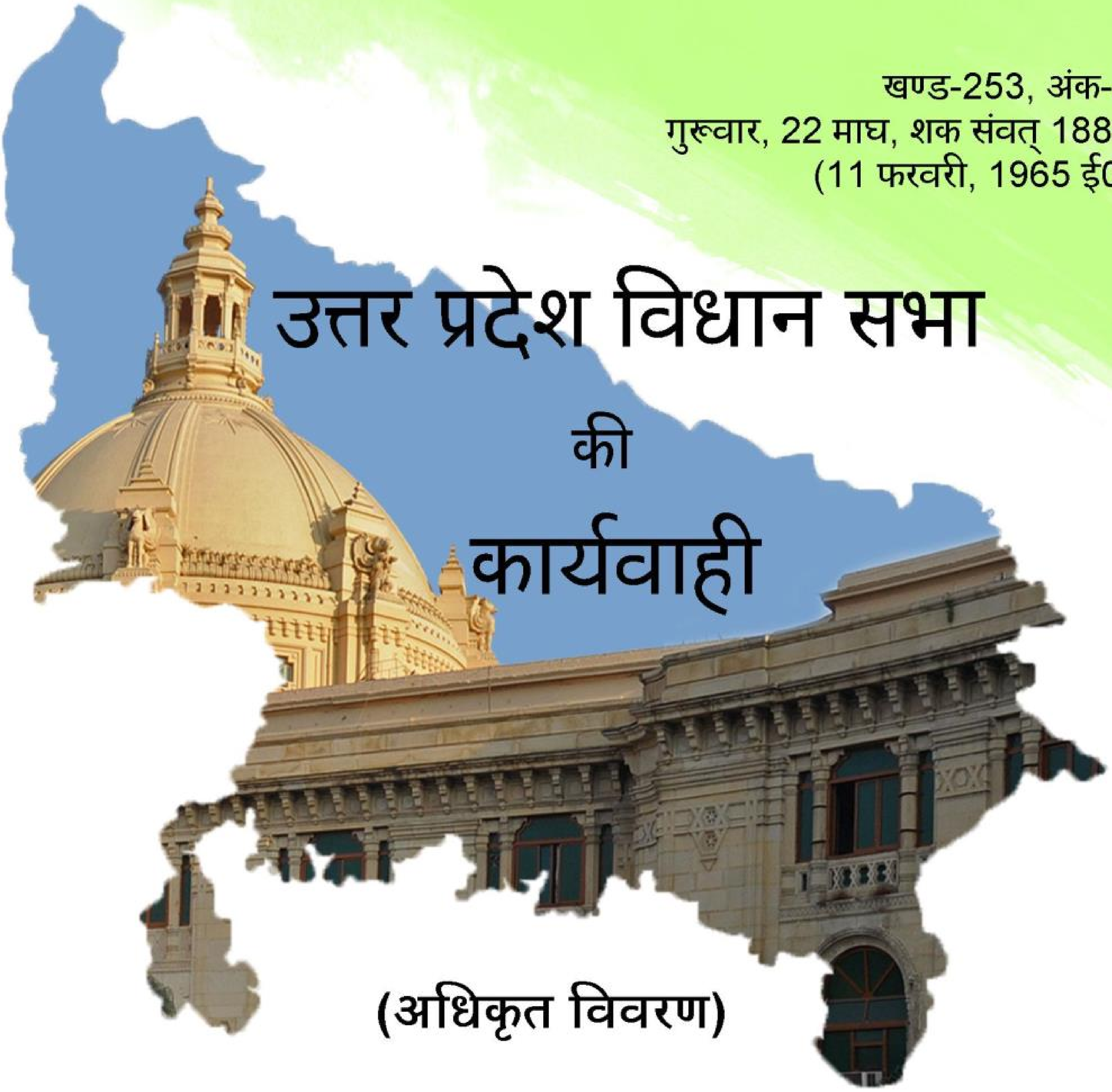

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 253 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	३२१–३२५
प्रश्नोत्तर	३२५–३७७
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर नियम, १९४८ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	३७८
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्ति (मेज पर रखी गयी)	३७८
समाचार-पत्र में दल का गलत उल्लेख किये जाने पर श्री लखीसिंह की आपत्ति	३७८
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्ताव करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३७९–३८०
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	३८०
उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी के लिये ४ सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव (स्वीकृत)	३८०
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	३८०–४२७
नत्थियां	४२८–४५४

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ११ फरवरी, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६७

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस०जी दत्त, श्री
ए०सी०ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड०ए० अहमद, श्री
जे०पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री

पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजा जी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूदहसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्र दत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री

राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
राम सजीवन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शशितचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री

सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ११ फरवरी, १९६५

तारांकित प्रश्न

फैजाबाद जिले में हरिजन कल्याण पर व्यय

*१—श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला फैजाबाद में सन् १९६३–६४ के अन्तर्गत हरिजनों के लिये मकान एवं उद्योग के लिये कुल कितना रुपया सरकार ने निर्धारित किया था और उसमें से कितना रुपया लोगों को दिया गया तथा कितना रुपया बचा रहा और उस बचत का क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

सन् १९६३–६४ में फैजाबाद जिले में हरिजनों के गृह निर्माण एवं उद्योग हेतु क्रमशः ६,००० रुपये और १२,६०० रुपये सरकार ने निर्धारित किया था इसमें से क्रमशः ४,९०० तथा ५,०६० रुपये लोगों को स्वीकृत किया गया तथा क्रमशः १,१०० और ७,५४० रुपये बचे रहे ।

बचत का मुख्य कारण यह है कि सामान्यतः शासन से प्राप्त अनुदान का धन जिला स्तर से ब्लाक को स्वीकृत किया जाता है और ब्लाक स्तर पर क्षेत्र समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर उचित अभ्यर्थियों को अनुदान स्वीकृत करती है जिसमें अधिक समय लग जाता है ।

*२—श्रीमती रामरती—

क्या यह सच है कि हरिजनों के लिये मकान बनवाने तथा उद्योग के लिये जो रुपया दिया गया है वह हरिजनों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी दिया गया है ? यदि हां, तो हरिजनों का वह रुपया अन्य जाति के लोगों को भवन बनवाने एवं उद्योग चलाने के लिये देने का क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी नहीं ।

श्रीमती रामरती—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि अनुदान के संबंध में हरिजनों को जानकारी न होने से रुपया शेष रह जाता है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जानकारी तो सभी को हो गई है ।

श्रीमती रामरती—

क्या सरकार इस बात का प्रबन्ध करेगी कि पूर्व की भांति ब्लाक स्तर पर अनुदान न देकर जिला हरिजन सहायक समिति को देगी ताकि ठीक से उसका वितरण हो सके ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह सरकार के विचाराधीन है ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि हरिजनों के लिये जो अनुदान जाते हैं वे देर में जाते हैं । इसलिये उनको जिला हरिजन सहायक कल्याण समिति के द्वारा वे बंटवाने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

जो शेष धन है उसमें से कितने धन के लिये प्रार्थनापत्र आये थे और कितना दिया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

ये प्रार्थना-पत्र क्षेत्र समितियों को दिये जाते हैं और वे ही उन पर विचार करके धनराशि देती है, इसलिये उसकी सूची मेरे पास नहीं है । लेकिन कितना व्यय हुआ उसको मैं बता सकती हूं ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि जो बचा हुआ धन है उसका उपयोग दूसरे वर्ष क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

दूसरे वर्ष लैप्स हो जाता है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी इस प्रश्न पर जो अनुदान भारत सरकार से हरिजनों के लिये कुओं, मकान, उद्योग तथा अपराधशील जातियों को बसाने के लिये दिया जाता है, विचार करने के लिये किसी समिति का निर्माण करने के लिये तैयार हैं ताकि पता लग सके कि कौन-कौन से कारण इसमें बाधा उपस्थित कर रहे हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

सरकार द्वारा एक समिति का निर्माण हो चुका है जिसके चेयरमैन आचार्य जुगलकिशोर हैं और वह बराबर दौरा कर रही है और जांच कर रही है और जैसे ही वह रिपोर्ट देंगी उस पर विचार किया जायगा ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि हरिजनों को इस चीज की जानकारी नहीं होती कि कब किस मद में रुपया आता है और किस प्रकार उसको प्राप्त किया जाये, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो अनुदान ब्लाक स्तर पर दिये जायें उनकी एक सूची ग्राम पंचायतों को भेज दी जाया करे, जिससे उसकी जानकारी वे अपने यहां के हरिजनों को करा दिया करें और वह अप्लीकेशन दे सकें ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह सुझाव तो सरकार के विचाराधीन है ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी विभाग से वर्ष १९६१–६२, १९६२–६३ और १९६३–६४ की रिपोर्ट मंगाकर देखेंगी कि विभाग द्वारा इस मद में जो रुपया रखा गया था उसमें से कुल ३६ परसेंट रुपया खर्च हुआ है ? और यदि इतना कम खर्च हुआ है तो क्या कोई ऐसा प्रबन्ध करने की कृपा करेंगी कि इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो सके ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

दिसम्बर, मास में सरकार द्वारा यह आदेश जारी हो गया था कि दो महीने के अन्दर, जो धन दिया गया है, उसे वितरित कर दिया जाया करे, यदि उस आदेश का पालन नहीं किया जायेगा तो उस पर सरकार द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जायेगी ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

माननीय मंत्री जी ने अभी प्रश्नोत्तर के समय बताया कि एक समिति नियुक्ति की गई है और यह समिति दौरा कर रही है, तो क्या वह बताने की कृपया करेंगे कि कहां-कहां वह समि दौरा कर चुकी है और उसकी दृष्टि में कौन-कौन सी कमियां आईं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां । समिति दौरा कर रही है, अनेक जिलों का दौरा कर चुकी है । और अभी दौरा कर भी रही है ।

श्री अध्यक्ष—

इनका प्रश्न है वह कहां-कहां गई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इसकी रिपोर्ट तो अभी नहीं मिली है ।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

जो रुपया ब्लाक स्तर से वितरित होता है, यह देखा जाता है कि वह ब्लाक स्तर से ठीक से वितरित नहीं होता है और यदि वितरित होता है तो उसका दुरुपयोग होता है । इस बात को देखते हुये क्या इस बात की सरकार व्यवस्था करेगी कि रुपये का वितरण ब्लाक लेवेल से न होकर जिला लेवेल पर हो ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्नोत्तर के समय अभी बताया जा चुका है कि माननीय आचार्य जुगुलकिशोर जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जितने भी प्रश्न अभी यहां किये गये हैं सब उस कमेटी के विचाराधीन हैं ।

कौन्सिल आफ स्पोर्ट का अनुदान

*३—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब से कौंसिल आफ स्पोर्ट का गठन हुआ है तब से कितने रुपये की सहायता भारत सरकार ने तथा प्रदेशीय सरकार ने इसे दी है और उन रुपयों का खर्चा किन-किन मदों में अब तक किया गया है और कितने डिफरेंट किस्म के स्पोर्ट एसोसियेशंस हैं जिन्हें इस समिति द्वारा अनुदान दिया गया है और कितने रुपये का ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

वांछित सूचना विवरण १ में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४२८ पर)

*४—श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रति वर्ष कितना रुपया खेल के विकास पर एवं कितना रुपया तनख्वाह, टी०ए०, डी०ए० पर खर्च किया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वांछित सूचना विवरण २ में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४२९ पर)

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी इसकी व्यवस्था करेंगे कि प्रदेश में और भी बहुत से स्पोर्ट्स एसोशियेशंस हैं, महत्वपूर्ण खेल-कूद के संगठन हैं, उन्हें भी सरकार की तरफ से आवश्यक सहायता प्रदान की जाया करे ताकि खेल कूद का विकास प्रदेश के अन्दर हो सके ?

श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय सदस्य अगर ऐसी दरख्वास्त देंगे तो उस पर विचार करेंगे ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि जो कौंसिल आफ स्पोर्ट द्वारा खेल-कूद के लिये दूसरे स्पोर्ट एसोसियेशंस को सहायता दी जाती है उसी तरह से जिला कमेटीज को भी स्पोर्ट के लिये अनुदान दिया जा सके ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस विवरण में वह दिया है जिनको हम अनुदान देते हैं । इसके अलावा जहां पर यूटिलिटी क्लब और, स्टैडियम बनाने के लिये हम विचार कर रहे हैं । भारत सरकार चाहती है

कि ५० परसेंट प्रांतीय सरकार उसमें दे तो उस पर हम विचार कर रहे हैं कि आधा रुपया देकर हम जिलों में भी स्टैडियम बनायें ।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कौंसिल के जरिये से संस्थाओं को जो रुपया दिया जाता है वह खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिये दिया जाता है या खाने पीने के लिये ही खर्च होता है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जिन मदों के लिये हम रुपया देते हैं वह इसमें दी हुई हैं । खाने पीने की उसमें कोई मद नहीं है । यह सब इसमें दिया है ।

श्री ऊदल—

खेल-कूद के विकास के लिये भारत सरकार अनुदान देती है और हमारी सरकार भी देती है । जहां तक जिला स्तर पर स्टैडियम बनाने का सवाल है उसमें कुछ कमिश्नरियों में भी स्टैडियम बनाने का कार्यक्रम है जैसा कि वाराणसी में एक स्टैडियम बन रहा है । और वह ५,६ वर्ष से बन रहा है। तो क्या माननीय मंत्री जी उसकी तरफ ध्यान देंगे ताकि वह स्टैडियम बनकर तैयार हो जाय और उसके बाद दूसरे स्टैडियम लिये जायें ?

श्री बंशीधर पांडेय—

रीजनल कमिश्नरियों का प्रोग्राम बन चुका है । मुझे वाराणसी का तो मालूम नहीं है लेकिन इस तरह से स्टैडियम और क्लब बनाने का कार्यक्रम है । जिला स्तर पर भी स्टैडियम बन रहे हैं और वाराणसी में भी बन रहा है वह भी जल्दी बन जायगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अगर कुश्ती पर ज्यादा जोर दिया जाय तो उससे गोल्ड मेडल बड़ी आसानी से मिल सकता है ओलम्पिक गेम्स में ? तो इसके लिये कितनी जगहों पर अनुदान दिया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

ओलम्पिक और कोचिंग गेम्स के लिये भारत सरकार और यू० पी० सरकार अनुदान देती है । भारत सरकार ने अभी जो अनुदान दिया है उसमें कोचिंग कैम्प्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लखनऊ स्पोर्टस स्टैडियम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टैडियम और रुड़की स्पोर्ट्स स्टैडियम के लिये हैं । हमारी तरफ से व्यक्तिगत क्लब को और जो इस तरह के रीजनल स्पोर्ट क्लब हैं, उनको दिया जाता है । अगर श्रीपाल सिंह जी इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो वे लिखकर दें फिर हम देखेंगे कि उसमें क्या हो सकता है ।

पुलिस अधिकारी, कासिमपुर के विरुद्ध जांच

*५—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सिद्धनाथ व अन्य ८ या १० व्यक्ति, निवासी वहेंदर कलां, थाना कासिमपुर, जिला हरदोई ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ६ मार्च, १९६४ को गृह मन्त्री के नाम दिया था, जिसमें थाना कासिमपुर की पुलिस के खिलाफ कुछ आरोप लगाये गये थे ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—

जी हां। मामले में सर्किल आफिसर द्वारा जांच की गयी। प्रार्थना-पत्र में थाना कासिमपुर के जिन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की गयी थी उनका स्थानान्तरण हो जाने के कारण प्रार्थियों ने जांच के दौरान उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की और न ही उनसे किसी प्रकार की हानि की आशंका प्रकट की।

जवाहरलाल जी के अस्थि विसर्जन पर व्यय

*६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्वर्गीय प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू के अस्थि विसर्जन के फूल प्रदेश के किन-किन जिलों में प्रवाहित किये गये तथा उनमें प्रादेशिक सरकार का कितना-कितना धन व्यय हुआ ?

विद्युत् उप-मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

स्वर्गीय प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू के अस्थि विसर्जन के फूल प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में प्रवाहित किये गये—

इलाहाबाद, वाराणसी, फैजाबाद, मथुरा, सहारनपुर, चमोली, एटा तथा लखनऊ।

इसमें प्रादेशिक सरकार का कुल धन १,४२,४३७ रु० ६६ पैसा व्यय हुआ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस अस्थि-विसर्जन के अतिरिक्त अन्य जिलों में भी सरकार की ओर से राख बहायी गयी है ? यदि हां, तो उसका आशय क्या था और उस पर कितना व्यय हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह तो भारत सरकार की तरफ से हुआ था। उसमें प्रादेशिक सरकार का कुछ भी व्यय नहीं हुआ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

केन्द्रीय सरकार की ओर से अस्थि-विसर्जन का प्रबन्ध था और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार का डेढ़ लाख रुपया उसमें खर्च हुआ, तो यह किस लिये खर्च किया गया और किस आधार पर केवल इन जिलों में ही अस्थि-विसर्जन का कार्यक्रम बनाया गया और दूसरे जिलों को क्यों छोड़ दिया गया ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

यह इस आधार पर किया गया कि इस उत्तर प्रदेश को ही यह गौरव प्राप्त है कि जवाहरलाल जी इलाहाबाद से चुने गये थे और १७ वर्ष तक प्रधान मंत्री रहे। वे यहीं के निवासी थे। उन्होंने इतने लम्बे काल तक देश की सेवा की और इसका इस प्रदेश को गर्व है, इसलिये हमारी मनोभावना यह थी कि उनकी अंतिम श्रद्धांजलि हम ही करें। दूसरी बात यह कि इलाहाबाद प्रयाग है। अस्थि विसर्जन प्रयाग में ही होता है। वह एक ऐसा फंक्शन हुआ कि जिसमें सारे भारत के ही नहीं, वरन् विदेशी भी आये थे। उनका इंतजाम स्टेट को करना था और इसलिये यह सब किया गया। जो अन्य चार पांच जगहों के लिये निर्णय लिया गया था वह इसलिये कि वे धार्मिक स्थान हैं इसलिये वे स्थान चुने गये। कुछ और जिलों से लोगों ने स्वयं आग्रह किया और उन्होंने अपनी तरफ से उसका इंतजाम किया था।

बुनकर सहकारी समिति, गोरा खुर्द के हिसाब की जांच

*७—श्री उग्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, गोरा खुर्द, पो० बजिरा, जिला बस्ती के ४२ में से ३० सदस्यों का कोई प्रार्थना-पत्र समिति के सभापति के खिलाफ, जिला उद्योग अधिकारी, निबन्धक, औद्योगिक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, कानपुर तथा उद्योग मन्त्री जी को माह मार्च व जून, सन् १९६३ में दिया गया था ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

(क) मार्च व जून, १९६३ में क्रमशः २९ तथा १५ सदस्यों द्वारा दिये गये दो प्रार्थना-पत्र मिले ।

(ख) इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच कराई गई तथा समिति के हिसाब-किताब का आडिट कराया गया ।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सहकारी समिति में गड़बड़ी की सूचना माननीय मंत्री जी को कब मिली और उसकी जांच आडिट द्वारा करायी गयी तो उसमें कितने रुपये का गोलमाल मिला ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह विवाद-ग्रस्त है कि इसमें गोलमाल है या नहीं । यह पहला पत्र २९-३-६३ को मिला था जिसमें यह शिकायत की गयी थी ।

श्री उग्रसेन—

इसमें श्रीमन्, कई हजार रुपये का गोलमाल हुआ है और इसकी शिकायत कई सदस्यों द्वारा की गयी तथा यहां पर प्रश्न भी हुए । जो जांच स्थानीय अधिकारियों द्वारा हुई उन्होंने वहीं लीपापोती करके केस को दबा दिया । तो क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में पुनः जांच करायेंगे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मामला इतना आसान नहीं है जितना आप कह रहे हैं, हमने इससे ज्यादा जांच इसमें की है । बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने कुछ आदमियों को एक बार सस्पेंड भी किया । उन्होंने फिर अपील की, उसके बाद आडिट जांच वगैरह भी हमने कराई । फिर हमने उनको यह आदेश भी दिया कि वे वार्षिक जलसा करायें ।

श्री उग्रसेन—

सालाना जलसा नहीं हो रहा है । क्या उसके लिये कोई तिथि निर्धारित करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमने कह दिया है कि एक महीने के अन्दर वे सालाना जलसा अवश्य करें ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

आडिट रिपोर्ट में क्या पता चला ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आडिट रिपोर्ट इस समय नहीं है, लेकिन उसमें अलग-अलग टैक्नीकल गलतियां हैं जिनके बारे में भी संदेह है कि वे हैं भी या नहीं ?

इटावा जिले में होम गार्ड संघटन के विरुद्ध जांच

*८—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार को इटावा जिले के होम गार्ड संगठन के सिलसिले में कुछ शिकायतें अप्रैल, सन् १९६४ या उसके बाद प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार उसमें क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार उन शिकायतों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। एक शिकायत श्री दीनानाथ द्वारा अप्रैल, १९६४ में कमांडेन्ट जनरल, होम गार्ड्स को तथा दूसरी शिकायत श्री मनमोहन राय सक्सेना द्वारा जुलाई, १९६४ में सरकार को प्राप्त हुई। इन शिकायतों की जांच कमान्डेन्ट जनरल, होम गार्ड द्वारा कराई गई।

पहली शिकायत में लगाये गये आरोपों की जांच के फलस्वरूप कुछ अनियमितताएं पायी गईं और उन पर कमांडेन्ट जनरल होम गार्ड्स, जिलाधीश द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधीश द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि आवश्यकता हुई तो अग्रिम कार्यवाही की जायगी। दूसरी शिकायत में लगाये गये आरोपों की जांच में तथ्यहीन पाया गया। दोनों शिकायतों की प्रतिलिपियां† सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

गन्ना विकास समिति, बुलन्दशहर के उर्वरक

*९—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर गन्ना विकास समिति में कई-कई वर्ष पुराने उर्वरकों (फर्टीलाइजर्स) को, जो कि पुराने होने के कारण बेकार हो गये हैं, कृषकों को दिया जा रहा है ? यदि ऐसा है, तो क्यों और इसका कौन जिम्मेदार है ?

डाक्टर सीताराम—

जहां तक सरकार को जानकारी मिली है बुलन्दशहर गन्ना विकास समिति द्वारा किसी भी कृषक को बेकार उर्वरक (फर्टीलाइजर) नहीं दिया गया है, फिर भी उर्वरक का नमूना कृषि रासायनिक, कानपुर को भेज कर जांच कराई जा रही है। जांच का नतीजा ज्ञात होने पर जो कार्यवाही आवश्यक होगी की जावेगी।

*१०—श्री मुमताज मुहम्मद खां (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विकास समिति, बुलन्दशहर में कितने-कितने वर्ष पुराने और कौन-कौन से फर्टीलाइजर्स कितनी-कितनी कीमत के स्टाक में मौजूद हैं।

डाक्टर सीताराम—

आवश्यक सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४३० पर)

---

†छापी नहीं गयीं।

नानफेरस मेटल स्कीम सेंटर, मुरादाबाद को सप्लाई

*११—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुरादाबाद में नानफेरसमेटल स्कीम सेन्टर को सन् १९६१, ६२ और सन् १९६३ में कितना-कितना कच्चा माल तांबा, पीतल, जस्ता, रांगा, हार्ड कोक दिया गया और इसका बना हुआ क्या-क्या माल किन-किन लोगों को बेचा गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मुरादाबाद में राजकीय नानफेरस मेटल स्कीम सेन्टर को १९६१-६२ में एक वैगन हार्ड कोक दिया गया तथा १९६२-६३ में लगभग २ मीट्रिक टन जस्ता और १९६३-६४ में लगभग ८ मीट्रिक टन तांबा एवं लगभग ७ मीट्रिक टन जस्ता दिया गया है। इससे बनाये हुये हस्तकला, पीतल पात्र, घर सजाने के समान तथा बर्तन सरकारी विभागों को और दूसरे व्यक्तियों को बेचे गये हैं।

*१२—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उपरोक्त सेन्टर से तांबा, जस्ता मिला कर कितना माल गवर्नमेंट आफ इंडिया के कामन फैसिलिटी सेन्टर, मुरादाबाद को दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उपरोक्त सेन्टर से कोई माल तांबा व जस्ता गवर्नमेंट आफ इंडिया के कामन फैसिलिटी सेन्टर को नहीं दिया गया।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी इस केस में इस बात की जांच करायेंगे कि यह माल एक प्राइवेट पार्टी जगन्नाथ को देकर के इसमें काफी गोलमाल हुआ है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन यह सूचना है कि कितना सामान बना है और कितना बिकी है।

श्री रियासत हुसैन—

यह बताने की कृपा करें कि यह तैयारशुदा माल किन-किन लोगों के हाथ बेचा गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उसकी तो बड़ी भारी लिस्ट है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के कामन फैसिलिटी सेन्टर को यह माल क्यों नहीं दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

एक कामन फैसिलिटी सेन्टर हमारा है और एक गवर्नमेंट आफ इंडिया का है। ये दोनों ही हैं। जब हमारे यहां कम मालूम होता है तब हम अपना माल क्यों दें ?

श्री रियासत हुसैन—

मंत्री जी, इस मामले में जो रा-मैटीरियल ८६ हजार रुपये का दिया गया, न उन्होंने वह अपने सेन्टर में गलाया और न गवर्नमेंट आफ इंडिया के सेन्टर पर ही गलाया बल्कि प्राइवेट फर्म को दे दिया और मामला गोलमाल कर दिया। तो क्या मंत्री जी इस मामले की जांच करवा रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास सूचना नहीं है कि यह हुआ है। आप आनरेबुल मेम्बर हैं। अगर आप लिख कर देंगे तो जांच करवा ली जावेगी।

उद्योग विभाग के निलम्बित कर्मचारियों का भत्ता

*१३—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार का ध्यान नेशनल हेरल्ड में १६ जून, १९६४ को भ्रष्टाचार पर छपे केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री गुलजारीलाल नंदा जी, के इस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अनुशासनीय कार्यवाहियां महीनों न चलें ? यदि हां, तो सरकार छः महीने से अधिक समय से निलम्बित उद्योग विभाग के कर्मचारियों का निलम्बन भत्ता चौथाई वेतन से बढ़ाकर आधा वेतन तथा साल भर से अधिक निलम्बित कर्मचारियों को तीन चौथाई वेतन देकर उनकी जबरिया (forced) बेकारी की क्षति पूर्ति करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

एफ० आर० ५३ के अनुसार निलम्बित सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले निलंबित भत्ते की दर उनके वेतन की आधी रकम से अधिक नहीं होना चाहिये। प्रायः निलंबित भत्ते की दर एक चौथाई रकम के अनुसार निश्चित की जाती है और यदि निलम्बन की अवधि आवश्यकता से अधिक बढ़ती दिखाई देती है तो संबंधित कर्मचारी की प्रार्थना पर उसे बढ़ाकर एक तिहाई कर दिया जाता है। जैसाकि उपरोक्त नियम में दिया हुआ है केवल विशेष परिस्थितियों में जब निलंबन की अवधि असाधारण रूप से बढ़ जाय और जिसके लिये संबंधित कर्मचारी की जिम्मेदारी न हो तो उस भत्ते की दर वेतन के आधे भाग तक बढ़ाई जा सकती है।

उद्योग विभाग के अन्तर्गत निलंबित सरकारी कर्मचारियों के निलंबन भत्ते के बढ़ाये जाने के संबंध में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत विचार करके उचित कार्यवाही की गई है।

गुड़ विकास योजनान्तर्गत पद

*१४—श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गुड़ विकास योजना (उद्योग विभाग) के कुछ पद स्थायी किये गये हैं ? अगर हां, तो कब और कौन-कौन पद ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, गुड़ विकास योजना (उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश) के कुछ पद अगस्त, १९६२ में स्थायी किये गये। पदों का विवरण संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४३१ पर)

*१५—श्री दुर्योधन—

क्या यह सत्य है कि गुड़ विकास योजना के स्थायी गजटेड पद पर किसी अधिकारी का नामांकन हो गया और शेष नान-गजटेड पदों पर अभी तक कोई नामांकन नहीं हुआ ? अगर ऐसा हुआ, तो क्यों और कब तक वह सूची निकलेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गुड़ विकास योजना के स्थायी पदों में जो एक गजेटेड पद था, उस पर नामांकन हो गया है और शेष नान-गजेटेड पदों पर नामांकन किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री दुर्योधन—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने समय से नामांकन करने पर विचार हो रहा है और नामांकन कब तक हो जावेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने तो जैसे कहा कि सन् ६२ में ये कुछ पद (८) परमानेन्ट कर दिये गये थे। स्कीम टैम्पोरेरी थी। उनमें से एक पद को ६२ में कर दिया गया। ६४ में कुछ नाम पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजे गये हैं परमानेन्ट करने के लिये और ३१ पर डायरेक्टर विचार कर रहे हैं।

आजमगढ़ जिले में करघा सहकारी समितियों को अनुदान

*१६—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष आजमगढ़ जिले की किन-किन करघा सहकारी समितियों को उन्नत करघा यन्त्रों हेतु अनुदान और ऋण स्वीकृत हुआ था ? उसमें से किन-किन समितियों को उक्त धन प्राप्त हो गया और किन-किन को नहीं मिला और क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

(क) संबंधित समितियों के नाम संलग्न सूची में दिये हैं।

(ख) इनमें से अभी किसी भी समिति को धन नहीं प्राप्त हुआ है क्योंकि यूपिका जिसके द्वारा यह धन बांटा जाता है, इन समितियों की जांच करा रही है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४३२ पर)

श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जांच कब तक खत्म हो जायेगी और जांच क्या हो रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यू० पी०, असिस्टेन्ट डायरेक्टर (हैन्डलूम) को लिखा था कि वे जांच करके बतायें कि ये लोग इसको इस्तेमाल करेंगे या नहीं। उन्होंने दोबारा जांच की और इसमें से १२ में तो उन्होंने कह दिया कि ये करेंगे और जो बाकी बचे हुए हैं दस, उनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। क्योंकि रुपया देना यू० पी० का इसलिये १२ की रिपोर्ट दे दी गई है कि ऐसी स्थिति है और वे इस्तेमाल करेंगे। जिनके बारे में लिख दिया गया है उसका रुपया पहिले देंगे और बाकी का रुपया जांच के बाद ही देंगे।

श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मऊ में जो ऐसी ११ सहकारी समितियां हैं उसमें ऐसे लोग हैं जो विभिन्न नामों से समिति बनाकर रुपया ले लेते हैं। तो क्या मंत्री जी कृपया इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ऐसी तो हमारे पास कोई सूचना नहीं है। अगर आदरणीय सदस्य हमें इसके बारे में कुछ बतावें तो जांच कर ली जावेगी।

श्री उमाशंकर—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इनमें से कितनी सोसायटियां ऐसी हैं जिनकी आडिट रिपोर्ट में गबन बताया गया है और सी० आई० डी० जिनकी जांच कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह गबन का सवाल कहां से आ गया। यह तो प्रान्ट की बात थी।

कानपुर में सस्ते गल्ले की दूकानों में चोरी

*१७—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर नगर में कितने शकर या गल्ले के सस्ते गल्ले के सरकारी दूकानदार हैं जिन्होंने अक्तूबर, १९६३ से जून, १९६४ तक अपनी दूकान में शकर या गल्ले की चोरी हो जाने की रिपोर्ट की ? चोरी यथार्थ में हुई, इसकी जांच किस अधिकारी ने की तथा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अक्तूबर, ६३ से जून, १९६४ के बीच सस्ते गल्ले की दूकानों में दो चोरियों की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इन मामलों की जांच सब इन्सपेक्टर पुलिस द्वारा की गई। अभियुक्तों का पता न लग सकने के कारण दोनों ही मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

हुसैनपुर ग्राम से अवैध बन्दूक संबंधी प्रार्थना-पत्र

*१८—श्री उमाशंकर (जिला वाराणसी)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके कार्यालय में ग्राम हुसेनपुर, डा० वेवाना, जिला फैजाबाद के निवासियों के कितने प्रार्थना-पत्र, दिनांक ११ जून, १९६४ से २० जून, १९६४ के बीच इस आशय के आये हैं जिनमें उस क्षेत्र के किसी व्यक्ति के पास नाजायज तौर पर बन्दूक रखने की शिकायत है तथा उस व्यक्ति से उस क्षेत्र की जनता आतंकित है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उक्त अवधि में एक प्रार्थनापत्र हुसैनपुर के निवासियों की ओर से मेरे कार्यालय में प्राप्त हुआ था जिसे मूल रूप में प्रधान पुलिस निरीक्षक, उत्तर प्रदेश के पास दिनांक १६-६-६४ को उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया था। उक्त प्रार्थनापत्र का विषय ज्ञात नहीं है। चूंकि प्रधान पुलिस निरीक्षक के कार्यालय में उक्त प्रार्थना-पत्र मिल नहीं रहा है अतएव उस पर की गयी कार्यवाही ज्ञात नहीं हो सकी।

श्री उमाशंकर—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रश्न की भाषा से जो प्रार्थनापत्र दिया गया था वह स्पष्ट हो रहा है, इसलिये एक जांच कराकर पूरी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे कि वह कौन व्यक्ति है जो इस तरह से नाजायज सामान रखकर आतंकित किये हुए है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अगर नाम मालूम हो जाय तो उसकी जांच जरूर करायी जायगी। लेकिन नाम ही नहीं बता रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष जी, हमें जानकारी है कि सरकार को जो प्रार्थनापत्र दिये जाते हैं उनकी कापी करके अधीनस्थ अधिकारियों के पास भेजी जाती है और असली कापी सरकार के दफ्तर में रहती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस दरख्वास्त में क्या बात हुई कि सरकार के पास असली कापी नहीं रही और वह वहां भेज दी गई जिसका खोया जाना बता रहे हैं, इस पर कुछ कार्यवाही सरकार कर रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सरकार के कार्यालय में रोज दो सौ ढाई सौ, या ३ सौ दरख्वास्त आती हैं। इसमें न नाम दिया है किसने दरख्वास्त दिया है और न विषय दिया है कि किसके खिलाफ दिया, इसलिये इतनी दरख्वास्तों में पढ़कर उसे ढूंढना बहुत कठिन है।

बस्ती जिले में अवकाश प्राप्त पुलिस कर्मचारियों की पेन्शन

*१९—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले से जून, १९६२ से अगस्त तक कितने पुलिस के कर्मचारी सेवा से निवृत्त हुये थे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

केवल तीन।

*२०—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इनमें से कितने लोगों को अब तक पेंशन तय की गई और कितनी-कितनी और यदि पेन्शनें अब तक नहीं तय की गई तो क्यों जबकि कई कर्मचारियों ने अपने आवेदन-पत्र भी आई० जी० और एस० पी०, बस्ती को भेजे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

तीन कर्मचारियों की पेन्शन तय हो गई है, जो निम्न प्रकार है :—

१—कांसटेबिल श्री काशीनाथसिंह को ३३ रु० ६० पैसा प्रतिमास।

२—इंसपेक्टर श्री दल सिंगार सिंह को १३१ रु० ७५ पैसा प्रतिमाह।

३—कांस्टेबिल श्री वासुदेवसिंह को २५ रु० ४६ पै० प्रतिमाह। परन्तु इस विषय में महांकिक से पत्र-व्यवहार हो रहा है और अभी उनके (महांकिक) कार्यालय से आदेश निर्गत नहीं हुये हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि दो कांस्टेबिलों का मामला इसमें है, एक को जो पहले नम्बर पर है काशीनाथसिंह उसको ३३ रुपया ६० पैसा प्रति माह दिया जा रहा है और दूसरे को जो तीसरे नम्बर पर है कांस्टेबिल बासुदेव सिंह उसको २५ रुपया ४६ पै० दिया जा रहा है, तो इन दोनों की पेंशन में जो अन्तर है, उसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उनकी सर्विस कितने दिन की रही है, कितनी तनख्वाह पर वह रिटायर हुए हैं, उसका एक फार्मूला होता है, उसके अनुसार दिया जा रहा है।

टीकर ग्राम की डकैती में पुलिस के विरुद्ध आरोप

*२१—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि दिनांक १३ जुलाई, १९६४ की रात्रि में "टीकर" मजरा सिरोसा, भरोसा, थाना काकोरी, लखनऊ में एक भीषण डकैती पड़ी जिसमें एक व्यक्ति गोली व बल्लम से मारा गया और कई व्यक्ति गोली व बल्लमों से बुरी तरह जख्मी किये गये ? यदि यह सत्य है, तो पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां, दिनांक १३–७–६४ की रात ग्राम टीकर मजरा सिरोसा–भरोसा में एक डकैती पड़ी जिसमें एक व्यक्ति डाकुओं की गोली व बल्लम की चोटों से मौके पर मर गया। और कुछ व्यक्तियों को बन्दूक के छर्रों, बल्लमों व लाठियों की चोटें आईं। पुलिस ने मामले की जांच तुरन्त शुरू की। मुकदमा ३०–११–६४ को चालान किया जा चुका है और न्यायालय के विचाराधीन है।

*२२—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि घायल व्यक्तियों ने सरकार को इस आशय का दिनांक १०–८–६४ को प्रार्थना-पत्र दिया है पुलिस के संबंधित कर्मचारी व अधिकारी पूरी जांच में लापरवाही कर रहे हैं यहांतक कि घायल व्यक्तियों में से किसी का बयान तक या किसी प्रकार की कोई जानकारी उनसे नहीं की गई जबकि डाका डालने वालों में से कई लोगों को पहचान चुके हैं ? यदि यह सत्य है, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां, घायल व्यक्तियों ने १०–८–६४ को एक प्रार्थना-पत्र उच्च पुलिस अधीक्षक को दिया था लेकिन उसमें पुलिस के विरुद्ध अंकित आरोप सही नहीं थे। पुलिस कर्मचारियों ने जांच में कोई लापरवाही नहीं बरती। डकैती की सचना पाते ही पुलिस अधिकारियों ने तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जांच प्रारम्भ की। घायल व्यक्तियों के बयान १४–७–६४ तथा २–८–६४ को लिये गए थे उन व्यक्तियों ने किसी डकैत को नाम से पहिचाना नहीं बतलाया था। प्रार्थना-पत्र में जो नाम दर्ज हैं वे केवल रंजिश व गांव की पार्टीबन्दी के कारण बाद को सोंचकर दिये गये हैं।

पुलिस के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि आपने परसों यह मुख्य मंत्री जी से कहा था कि प्रश्नों का उत्तर एक दिन पूर्व मिल जाय। लेकिन इसका उत्तर मुझे आपके सदन में आने के पश्चात् मिला है। अभी यहीं दिया गया। तो इस तरह उत्तर मिलने पर कैसे हम उसके लिये तैयार हो सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे स्थगित कर दूं ?

श्री लखपतराम शर्मा—

कर दीजिये और आइन्दा के लिये ऐसी व्यवस्था कर दीजिये कि ऐसी चीजें न हों।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

जो पुलिस के खिलाफ प्रार्थना-पत्र दिया गया उसमें मुख्य आरोप क्या-क्या थे ?

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना यह है कि जितने आरोप लगाये गये थे वे सब गलत हैं, अब आरोप चाहे कुछ हों ।

श्री लखपतराम शर्मा—

अगर आरोप गलत थे तो क्या शिकायत करने वाले के खिलाफ पुलिस ने दफा १८२ के तहत मुकदमा चलाया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

आरोप इस माने में गलत पाये गये कि वहां पर जांच करते वक्त न किसी ने नाम बताये और न कुछ कहा, केवल यह कहा कि रंजिश की वजह से ऐसा हुआ । एफ० आई० आर० में भी नाम नहीं थे, इसलिये १८२ के तहत कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस आरोप की जांच किस अधिकारी ने की ? उन्हीं सब-इन्स-पेक्टर या एस० पी० ने की या और किसी अधिकारी ने की ? और, उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

डकैती के मुकदमें की जांच रूरल एस० पी० ने की । इसमें १० आदमी पकड़े गये हैं । इनमें से २ के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है और ८ का इन्टेरोगेशन हो रहा है । जांच से यह पाया गया कि आरोप गलत और निराधार हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

जिन व्यक्तियों के नाम बताये गये उन्होंने रंजिश का क्या सबूत दिया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जब जांच अधिकारी वहां गये थे तो उन्हीं के सामने यह तथ्य आये थे ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

क्या वह व्यक्ति वहां पर मौजूद थे और उन्होंने यह कहा था कि हमको रंजिश की वजह से फंसाया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जांच में ये सब बातें आ चुकी हैं ।

श्री कमलासिंह यादव—

जिन व्यक्तियों ने डकैतों का मुकाबला किया क्या उन लोगों को सरकार की तरफ से कोई इनाम या कम्पेन्सेशन दिया गया है ताकि और लोग भी भविष्य में डकैतों का मुकाबला कर सकें ?

(मंत्री को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया ।)

श्री लखपतराम शर्मा—

जिन व्यक्तियों ने पुलिस के खिलाफ आरोप लगाये क्या उनका भी साक्ष्य लिया गया या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रत्येक दरख्वास्त जो आती है, उन पर इतने विस्तार से जांच नहीं की जाती है ।

हल्द्वानी में पुलिस तथा सैनिकों के बीच झगड़ा

*२३—सर्वश्री ऊदल तथा बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हल्द्वानी में तारीख १० अक्तूबर, १९६४ को रामलीला के अवसर पर भोलानाथ के बगीचे में पुलिस तथा सेना के लोगों में भयानक झगड़ा हो गया और मनोहर नामक हेड कांस्टेबिल की मृत्यु हो गई ? क्या यह भी शिकायत है कि जब से सर्किल इंस्पेक्टर पुलिस आये हैं, तब से यह झगड़ा बढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

१०-१०-६४ को नहीं बल्कि १४-१५ अक्तूबर, १९६४ की रात को रामलीला के अवसर पर हल्द्वानी के भोलानाथ बगीचे में पुलिस तथा सेना के लोगों में झगड़ा हुआ और मनोहर नामक हेड कांस्टेबिल की मृत्यु हो गई । यह शिकायत प्राप्त हुई है कि जब से सर्किल इंस्पेक्टर हल्द्वानी आये हैं पुलिस और फौज के बीच संबंध बिगड़ते जा रहे हैं । इस पर जांच की जा रही है ।

श्री ऊदल—

अब तक जांच पूरी न होने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसमें सी० आई० डी० जांच कर रही है । ३१ आदमी जेल में हैं । जब तक उसकी अन्तिम रिपोर्ट न आ जाय उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जो ३१ व्यक्ति जेल में हैं उनमें पुलिस के हैं, फौज के हैं या नागरिक हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ये ३१ आदमी फौज के हैं ।

श्री रघुवीरसहाय कंथवार—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत हुई है वह इस समय कहां है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसकी इस वक्त कोई इत्तला नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी कोई इस किस्म की व्यवस्था करेंगे कि जब पुलिस के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट दी जाय तो सी० आई० डी० के द्वारा या किसी अन्य अधिकारी के द्वारा जांच करायी जाय और पुलिस के किसी आदमी के द्वारा जांच न कराई जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह असम्भव है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो एक महकमा दूसरे महकमे के साथ झगड़ा करता है क्या यह इस कारण है कि एक मंत्री दूसरे मंत्री से झगड़ा करता है ?

(मंत्री को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया ।)

श्री ऊदल—

मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जब से सर्किल इन्सपेक्टर हल्द्वानी यहां आया है तबसे झगड़ा शुरू हुआ है तो यदि मुकदमें में उसकी वजह से कोई गड़बड़ न होती तो क्या मंत्री जी उसको वहां से हटा देंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस संबंध में आई० जी० को लिखा गया है वे इस पर विचार कर रहे हैं ।

स्मारक एवं तीर्थ स्थानों का संरक्षण

*२४—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ के आस-पास के ऐतिहासिक महत्व के कतिपय तीर्थ स्थान अत्यन्त उपेक्षित अवस्था में पड़े हैं तथा धीरे-धीरे प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

लखनऊ तथा आस-पास स्थित जितने राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं तीर्थ स्थान हैं उनका संरक्षण एवं रखरखाव केन्द्रीय सरकार के अधीन है । इसके अतिरिक्त जितने तीर्थ स्थान एवं अन्य स्मारक राज्य सरकार के संरक्षण व रख रखाव के अन्तर्गत हैं उनके जीर्णोद्धार तथा सुरक्षा की ओर सरकार पूर्णतः सचेष्ट रही है ।

*२५—श्री झारखण्डे राय—

क्या सरकार को उन के संरक्षण तथा रखरखाव के सम्बन्ध में तीर्थ स्थान सुधार समिति की ओर से कोई सुझाव प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

*२६—श्री झारखण्डे राय (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रादेशिक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा क्या है ? कितने व्यय का अनुमान है और कौन-कौन मुख्य उद्योग अथवा कार्य उस योजना में शामिल किये जायेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रदेश की चौथी योजना की रूपरेखा अभी तैयार की जा रही है । इसमें रक्खी जाने वाली योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं ।

दरेहटा ग्राम में कलेक्शन अमीन की हत्या

*२७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'स्वतंत्र भारत' दैनिक दिनांक ७ अक्तूबर, १९६४ के अंक में अन्तिम पृष्ठ पर प्रकाशित इस समाचार "स्वाधीन भारत में नादिरशाही आक्रमण के विलक्षण अवशेष" की ओर उनका ध्यान गया है ? यदि हां, तो इस प्रसंग में माननीय मन्त्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(अ) पूरी घटना क्या है ?

(ब) जांच के परिणामस्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

(स) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

(अ) व (ब) माचार के बारे में की गई जांच से घटना जो तथ्य प्रकाश में आये वे संलग्न विवरण-पत्र में दिये हुये हैं ।

(ख) इस संबंध में एक मामला न्यायालय के विचाराधीन है, न्यायालय के निर्णय के बाद यदि कोई कार्यवाही आवश्यक पाई जायेगी तो की जायेगी ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४३३ पर)

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, यह बहुत ही गंभीर मामला है । यह स्वतंत्र भारत के पूरे तीन कालम में छपा है । फोटो भी छापे गये हैं । हम लोग भी वहां हो आये हैं । जो घटना का विवरण है, वह छोटा-सा है, कृपया मंत्री जी उसको पढ़ लें ?

श्री बंशीधर पांडेय—

ग्राम दरेहटा (उन्नाव) में दिनांक २१-८-६४ को एक कलेक्शन अमीन की हत्या कर दी गयी थी । इसका परिणाम यह हुआ कि कलेक्शन के कर्मचारी उस गांव में कार्य हेतु जाने में डरने लगे । अतः दिनांक ८-९-६४ को माल व पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारी जिनमें एस० डी० एम० व डी० एस० पी० आदि थे, भूमिकर आदि वसूल करने के संबंध में ग्राम दरेहटा गये । वहां कलेक्शन के कर्मचारी वसूली के सिलसिले में लोगों के घर गये थे । समाचार-पत्र में जो मारपीट एवं ज्यादती के आरोप लगाये गये हैं वे जांच से सही नहीं पाये गये। गांव में एक घर में आग लगने की घटना हुई, जिससे संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो एक घर में आग लगी वह उसी दिन लगी जिस दिन ये अधिकारी वहां गये थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, उसने स्वयं ही आग लगा ली । उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस गांव में जिस दिन यह रेड हुई उसमें पुलिस के कितने आदमी थे और बाहर से कितने लोग कांता-बल्लम लेकर आये हुए थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

बाहर से कोई नहीं आया था, पुलिस के ही लोग थे तथा वे कर्मचारी थे जो लगान वगैरा वसूल करने के लिये गये थे ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

कलेक्शन अमीन की जो हत्या हुई है उसमें एक पासी के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। मैं जानना चाहता हूं कि वहां डी० एस० पी० के जाने की क्या आवश्यकता थी और उनके साथ कितने पुलिस वाले असलहा सहित गये थे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

डी० एस० पी० इसलिये गये थे कि कलेक्शन अमीन की हत्या हो जाने के कारण कोई कर्मचारी डर की वजह से वहां जा नहीं रहा था। इसलिये कलेक्शन के और अधिकारी तथा डी० एस० पी० उनके साथ गये थे।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

में जानना चाहता हूं कि कितने पुलिस वाले वहां गये थे तथा किसके घर में आग लगी और किसने आग लगायी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिनके घर में आग लगी, उन्होंने खुद अपने घर में आग लगायी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गांव वालों में कितने व्यक्ति घायल हुए हैं, कितने जले हैं और उनमें स्त्रियां कितनी हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कितने जले हैं और कितने घायल हुए हैं ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, स्वतंत्र भारत में जिनके घरों में आग लगी है उनके पूरे फोटो निकले हैं, उनके बच्चे मारे गये हैं, उनको कांते से गोदा गया है, तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आज इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय और फिर से इसकी जांच सी० आई० डी० या किसी उच्च अधिकारी से करा ली जाय या स्वयं मंत्री जी ही जाकर इसकी जांच कर लें।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि समाचार-पत्रों की सूचना के आधार पर क्या कोई विषय यहां आलोचना का बन सकता है और उस पर बहस हो सकती है ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी इसकी दोबारा जांच सी० आई० डी० या किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करायेंगे या मंत्री जी स्वयं जाकर इसको देख आयेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अब यह मामला अदालत में चल रहा है और अदालत की जांच जब हो रही है तो और कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदस्यों द्वारा कोई भी प्रश्न करने पर सरकार का काफी पैसा खर्च होता है और प्रश्नकर्त्ता लोग यहां अनुपस्थित रहते हैं। आप प्रश्न संख्या २४–२६ को छोड़ कर, सम्बन्धित माननीय सदस्य के अनुपस्थित रहने की वजह से आगे बढ़

गये । इस सम्बन्ध में बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण सुधांशु ने व्यवस्था दी है कि अगर प्रश्नकर्त्ता प्रश्नों के लिये निश्चित तिथि पर सदन में उपस्थित नहीं होगा तो १५–२० दिन तक उसे प्रश्न करने का हक नहीं होगा । तो यहां भी इसी तरह कोई व्यवस्था आप करें ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली ।

पुलिस विभाग के कुत्ते

*२८—श्री मुमताज मुहम्मद खां (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कितने कुत्ते हैं और किस-किस नस्ल के हैं ? क्या वह सन्तोषजनक कार्य कर रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पुलिस विभाग के कुत्ता दलों में कुत्तों की संख्या १५ है जिनमें से ३ डोबरमैन पिन्सर, १ लेब्रोडोर, ८ अल्सेशियन तथा ३ क्रास अल्सेशियन हैं । इनमें वे १३ कुत्ते पूर्णतया प्रशिक्षित हैं उनका कार्य सन्तोषजनक है । शेष २ कुत्ते अभी प्रशिक्षण पा रहे हैं ।

*२९—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उक्त कुत्तों के रख-रखाव पर वार्षिक व्यय कितना होता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

लगभग १२,००० रु० ।

मिसरिख थाने में कल्लू पंडा के संबंध में जांच

*३०—श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३१ अगस्त, १९६४ को सीतापुर जिले के थाना मिसरिख के टाउन एरिया से यह सूचना थानेदार मिसरिख के माध्यम से शासन को मिली है कि मिसरिख निवासी कल्लू उर्फ काशी प्रसाद पण्डा को कुछ लोग मारते हुये ले गये हैं तथा लापता कर दिया है ? यदि हां, तो उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा पण्डा को कौन लोग पकड़ ले गये थे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

दिनांक ३१–८–६४ को थाना मिसरिख में श्री कल्लू उर्फ श्री काशी प्रसाद की पत्नी ने इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि उसके पति को घर के दरवाजे से सर्वश्री राधे लाल, नन्हें लाल तथा उनके १०–१२ साथी मारते-पीटते खींच ले गये और वह लापता हैं । इस संबंध में धारा १४७/१४८/३४२/३६५ भा० दं० विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया । इस मामले में जांच जारी है ।

श्री परमाईलाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कल्लू उर्फ काशी प्रसाद पंडा को किस जगह पकड़ा गया और कहां बन्द किया गया और क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

३१ अगस्त, १९६४ को थाना मिसरिख के थाने में यह रिपोर्ट लिखायी गयी कि जिला सीतापुर के मिसरिख निवासी कल्लू उर्फ काशी प्रसाद पंडा को कुछ लोग मारते हुए ले गये हैं और वे गायब हो गये हैं, और उसी दिन हरदोई में ४ बजे शाम को शाहपुर चौराहे पर बेनीगंज थाने के क्षेत्र में आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत उनको पकड़ा गया ।

श्री परमाईलाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस समय हरदोई के शाहपुर चौराहे पर बेनीगंज थाने के अन्तर्गत उनको पकड़ा गया उस समय वहां कौन-कौन गवाह मौजूद थे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसकी सूचना तो नहीं है ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर में जो रिपोर्ट लिखाई गई वह हरदोई के थाने में पकड़े गये ? जिन लोगों के खिलाफ यह रिपोर्ट लिखाई गई कि पुलिस के आदमी उनको मारते-पीटते ले गये क्या और कोई व्यक्ति भी वहां मौजूद थे जब वे आर्म्स ऐक्ट में पकड़े गये ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

तो आप बताइए कि उस वक्त कौन-कौन से गवाह कहे जाते हैं क्योंकि प्रश्न संख्या ७१ के उत्तर में आपने बताया है । क्या यह वही लोग थे जिनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई है आर्म्स एक्ट में ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

अब आप अगर यह पूछें कि कौन-कौन से लोग कौन कपड़ा पहने थे, लाल थे या कैसे थे, यह नहीं बताया जा सकता ।

श्री जगन्नाथ राव—

जब ये पकड़े गये उस समय कौन-कौन से लोग थे ? क्या ये वही व्यक्ति थे जिनके खिलाफ सीतापुर में रिपोर्ट लिखाई गई थी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री परमाई लाल—

३ बजकर ४ मिनट पर वह शख्स कहां पर पकड़ा गया मिसरिख में पकड़ा गया और हरदोई में ४ बजे शाम को चौराहे पर वह किस सवारी से इतनी जल्दी वहां पहुंच गया, क्या मंत्री जी इसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसकी सूचना की आवश्यकता है ।

मंत्रियों के लिए आचार संहिता

*३१—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये बनाई गई सन्थानम जांच कमेटी की सिफारिश के अनुसार मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह मन्त्रियों के लिये किसी आचार संहिता के निर्माण पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो उसकी पूरी रूप रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

भारत सरकार ने संथानम कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अपने और प्रदेशों के मंत्रियों के लिये आचरण का एक कोड बनाया है। इस कोड को उत्तर प्रदेश में स्वीकार कर लिया गया है। कोड की †कापी सदन की मेज पर रख दी गई है।

दोहरीघाट में श्री कालिकाप्रसाद राय पर हमला

*३२—सर्वश्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित) तथा रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री दिनांक १७ अगस्त, १९६४ के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमे में अब तक कौन-सी कार्यवाही हुई है और मुकदमें की जांच किस अफसर द्वारा कराई गई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

प्रश्न से संबंधित मुकदमे की जांच सर्किल इन्सपेक्टर द्वारा कराई गई। जांच के उपरान्त मुकदमे में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन कारणों से मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जब मुकदमा झूठा होता है उसमें कोई गवाही नहीं मिलती, जब मुकदमा चलाये जाने पर सजायाब होने की आशा न हो तभी अन्तिम रिपोर्ट लगाई जाती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष जी, हमारी सहायता की जाय, हमने इस मुकदमें के बारे में पूछा है कि इस खास मुकदमें में किस-किस कारण से अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई, मैं जनरल नहीं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बता दें कि इस मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट क्यों लगाई गई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

गलत बयानी इस मामले में की गई थी। पहले उन्होंने बताया था कि मारपीट १०० गज दक्षिण में हुई और बाद में कहा कि वह रोडवेज बस स्टेशन पर हुई, झूठे बयान के कारण ही अन्तिम रिपोर्ट लगानी पड़ी।

---

†छापी नहीं गई।

ऐरवा कटरा क्षेत्र में डाकुओं और पुलिस में मुठभेड़

*३३—सर्वश्री ऊदल, रामसुन्दर पांडेय तथा होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ४ सितम्बर, १९६४ को थाना एरवा कटरा क्षेत्र के गांव मन्ना टोला के निकट जिला इटावा में पातीराम लोधी, सीताराम काछी, चतुरी बहेलिया तथा नरायन काछी को डाकू बता कर पुलिस ने हत्या कर दी है ? क्या इसके संबंध में एक प्रतिनिधि मण्डल २ अक्तूबर, १९६४ को मुख्य मंत्री से भी मिला था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है और इसकी जांच क्या सी० आई० डी० द्वारा सरकार करायेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सरकार को पुलिस क्षेत्र ऐरवा कटरा में पुलिस दल और सशस्त्र डाकुओं के बीच ४-९-६४ को ग्राम मन्ना टोला में मुठभेड़ की एक घटना की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें नरायन काछी, पातीराम लोधी, सीताराम काछी व चतुरी बहेलिया मारे गये बताए गये हैं।

इस संबंध में एक प्रतिनिधि मंडल अनौपचारिक रूप से मुख्य मंत्री से मिला था। इस घटना के संबंध में जिलाधीश इटावा ने एक मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच करवाई है। मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है और विचाराधीन है।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार को मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट कब प्राप्त हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

तारीख तो ठीक नहीं बता सकता, लेकिन करीब १ मास प्राप्त हुये हो गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ४ व्यक्तियों को गोली से पुलिस ने मारा उनके संबंध में पुलिस रजिस्टर में या और कहीं भी कोई शिकायत थी या जानबूझकर उन पर गोली चलाई गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

मैजिस्ट्रेट की जो इन्क्वायरी रिपोर्ट आई है उसमें इन सब चीजों पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है लेकिन जो जनता के द्वारा आक्षेप किये गये थे और जो मैजिस्ट्रेट के सामने आरोप थे उनकी जांच हो चुकी है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार के पास इस तरह की सूचना आई है कि डी० वाई० एस० पी० इसके लिये उत्सुक थे और उनकी योजना को पूरा करने का कार्य अहवरन सिंह ने अपने ऊपर लिया था और उसी गांव में बैठकर यह योजना बनाई गई थी और उसके अनुसार इन लोगों को एक जंगल में ले जाकर मार डाला गया और यदि ऐसी सूचना नहीं आई है तो क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

इस तथ्य की जांच मैजिस्ट्रेट ने की थी।

श्री विजयशंकर (जिला इटावा)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि यह चारों आदमी घर से लाकर एक रात अहवरन सिंह के मकान में बन्द रखे गये थे और दूसरे दिन गोली से उड़ा दिये गये ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

मैंने कहा कि यही तथ्य थे कि जिनकी जांच मैजिस्ट्रेट ने की ।

श्री विजयशंकर—

क्या गृह मंत्री जी को मालूम है कि जिस कमरे में इन लोगों को बन्द किया गया था उन में से एक को इतना मारा गया कि उसको रस्सी लगाकर पेड़ के सहारे खड़ा किया गया और तब गोली चलाई गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी में तो ऐसी बात नहीं लिखी है ।

श्री होरीलाल यादव—

क्या सरकार बतायेगी कि जब डाकुओं और पुलिस में मुठभेड़ हुई तो क्या पुलिस का कोई आदमी घायल हुआ या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं, पुलिस का कोई आदमी घायल नहीं हुआ ।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि मामला बहुत गम्भीर है अतः इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा करायेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उत्तर दिया गया कि मैजिस्ट्रेट ने इस विषय पर काफी लम्बी रिपोर्ट दी है । उसका अध्ययन किया जा रहा है और जितने आरोप यहां कहे गये थे और लगाये गये थे जनता की तरफ से सबकी उन्होंने जांच की और उस पर ४०, ५० पृष्ठ का जजमेंट है । उसका अध्ययन किया जा रहा है और यदि आवश्यकता समझी गयी तो आगे कार्यवाही की जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

(सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न करने का आग्रह करने पर) गृह मंत्री ने कहा है कि उसका अध्ययन हो रहा है, वह विषय समाप्त नहीं हुआ है । जो कुछ आप और सुझाव देना चाहें दें उन्होंने कहा है कि जो सूचनायें आयेंगी उन पर ध्यान दिया जायगा । आप दे दीजिये ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

एक प्रश्न की इजाजत दे दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय नहीं बढ़ाया जा सकता है ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं अभी । बाद में कहियेगा ।

नोट—तारांकित प्रश्न ३३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

खटीमा के थारू बच्चों का स्कूल

*३४—श्री ऊदल—

क्या समाज-कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खटीमा, जिला नैनीताल में जंगली थारू जाति के बच्चों को पढ़ाने के लिये जुलाई सन् १९६४ से एक प्राइमरी पाठशाला सरकार द्वारा खोली गई है जिसमें वर्दी, खाने तथा पढ़ाई आदि की भी व्यवस्था है ? यदि हां, तो इस स्कूल में कितने बच्चे हैं और क्या ऐसी भी शिकायत है कि वहां पर फर्जी नाम लिख कर सारा सामान ले लिया जाता है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां, खटीमा जिला नैनीताल में जन जाति के बच्चों के लिये एक आश्रम टाइप स्कूल अगस्त, सन् १९६४ में खोला गया है जिसमें प्राइमरी शिक्षा, खाना, कपड़ा तथा रहने आदि की व्यवस्था है। इस समय इस स्कूल में ९६ बच्चे हैं। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है कि फर्जी नाम लिखकर सारा सामान इस स्कूल में ले लिया जाता है।

आपत्तिजनक भाषण

*३५—श्री मुकुटबिहारीलाल—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनका ध्यान स्वतन्त्र भारत दैनिक दिनांक ११ सितम्बर, १९६४ (प्रभात संस्करण) के पृष्ठ ५ के कालम ६ पर प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है जिसमें यह बताया गया है कि मिर्जापुर के पास एक सभा में एक वक्ता ने यह घोषणा की कि 'हमें पुनः भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना करनी है' ? यदि हां, तो उस वक्ता के प्रति सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, इस आशय के समाचार छपने की सूचना मिली है।

उक्त वक्ता के भाषण पर सरकार द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

पलिया में सहकारी चीनी मिल की मांग तथा बिलरायां गन्ना केन्द्र बन्द होना

*३६—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार के पास निघासन क्षेत्र समिति, जिला खीरी से कोई अर्द्ध-सरकारी पत्र गत अगस्त माह में प्राप्त हुआ है जिसमें पलिया में गन्ने की सहकारी मिल लगाने की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। पलिया क्षेत्र में सहकारी चीनी मिल स्थापित करने के विषय में की गई मांग अभी सरकार के विचाराधीन है।

*३७—श्री रामचरण शाह—

क्या पिछले वर्ष हिन्दुस्तान शुगर मिल की ओर से बिलरायां सेन्टर बन्द कर दिया गया था और क्या सरकार इस वर्ष बिलराया का कांटा हिन्दुस्तान शुगर मिल से लगवाने जा रही है जिससे वहां के काश्तकारों को राहत मिल सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पिछले वर्ष के पूर्व से ही २४ फरवरी, १९६२ को सन् १९६२–६३ के सीजन से बिलरायां सेन्टर पर किसानों का गन्ना गोला चीनी मिल द्वारा खरीद न करने की नोटिस काश्तकारों को दी जा रही है।

गोला चीनी मिल से उक्त सेन्टर की दूरी लगभग ६० मील है। फलस्वरूप अत्यधिक असुविधा तथा कठिनाइयों के कारण उक्त सेन्टर को इस वर्ष सीजन १९६४–६५ में चालू करने का कोई प्रश्न नहीं है। गोला क्षेत्र में गन्ना वैसे ही बहुत अधिक है।

कहला ग्राम में साम्प्रदायिक तनाव

*३८—श्री सुकदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनका ध्यान दैनिक तरुण भारत सितम्बर, १९६४ के पृष्ठ सं० ४ के कालम एक में प्रकाशित मलिहाबाद तहसील के गांव में, 'पाकिस्तानी नजारा' शीर्षक समाचार की ओर गया है? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जन्माष्टमी समारोह के संबंध में १३–९–६४ को एक जुलूस निकालने के मामले को लेकर ग्राम कहला, तहसील महिलाबाद में कुछ साम्प्रदायिक तनातनी पैदा हो गई थी और जुलूस निकालने के बारे में आपत्ति की गई थी किन्तु अधिकारियों के समझाने पर दोनों सम्प्रदायों में समझौता हो गया और जुलूस निकालने की अनुमति अधिकारियों द्वारा दी गई। यह जुलूस १३–९–६४ को निकला और इस संबंध में कोई दुर्घटना नहीं हुई।

शाहजहांपुर जिले के अतिरिक्त खांडसारी अधिकारी के विरुद्ध जांच

*३९—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि शाहजहांपुर में एडीशनल खांडसारी आफिसर के खिलाफ जांच चल रही है? यदि हां, तो उसमें अभी तक क्या कार्यवाही हुई और उनके खिलाफ क्या-क्या शिकायतें थीं? क्या यह भी सही है कि शाहजहांपुर के कुछ विधायक उनके तबादले के लिये पहले ही लिख कर मुख्य मंत्री जी को दे चुके थे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

शाहजहांपुर जिले के अतिरिक्त खांडसारी अधिकारी के विरुद्ध घूंसखोरी के आरोपों के संबंध में सिटी मैजिस्ट्रेट शाहजहांपुर द्वारा जांच की जा चुकी है। उनके विरुद्ध कुछ लाइसेन्सियों से घूस लेने तथा कुछ अन्य लाइसेन्सियों से घूस मांगने के आरोप लगाये गये थे। प्रशासनात्मक दृष्टिकोण से जांच शुरू होने पर संबंधित अतिरिक्त खांडसारी अधिकारी को शाहजहांपुर जिले से इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दिया गया था तथा सिटी मैजिस्ट्रेट शाहजहांपुर की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हें मुअत्तिल कर दिया गया है। उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है एवं जिलाधीश शाहजहांपुर को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे इस मामले की जांच पुलिस द्वारा भी करा लें।

यह सच है कि शाहजहांपुर जिले के कुछ विधायकों ने मुख्य मंत्री जी से यह लिखित अनुरोध किया था कि जांच की सुविधा के हेतु उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया जाय।

बीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, मिश्रपुर महाराजगंज के हिसाब की जांच

*४०—श्री उमाशंकर—

क्या मुख्य मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के बीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मिश्रपुर महाराजगंज, आमजगढ़ के हिसाब किताब की जांच के लिये जो सी० आई० डी० नियुक्त हुई है उसकी जांच कब तक पूरी हो सकेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस जांच के पूरा होने के संबंध में कुछ कहना इस समय कठिन है।

*४१—श्री उमाशंकर—

क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि पुलिस कार्यवाही के शुरू होने के कारण उद्योग विभाग भी कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है एक आदेश देकर इस सोसाइटी की जांच को शीघ्र अन्जाम देने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सरकार ने सी० आई० डी० की जांच शीघ्र पूरी कराने के लिये आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं।

*४२—श्री उमाशंकर—

क्या गृह मंत्री कृपा करके उक्त सोसाइटी के हिसाब तथा कार्य पद्धति की जांच सन् १९४८ से १९६४ तक की पूर्ण रूप से देखने के लिये एक खास आफिसर नियुक्त करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) जी नहीं।

(ख) सी० आई० डी० की जांच के पश्चात् यदि आवश्यक हुआ तो सहकारिता ऐक्ट तथा नियमों के अनुसार विभागीय जांच होगी।

बांदा में पोलिटेक्निक खोलने पर विचार

*४३—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में सरकार की ओर से पोलीटेक्निक स्कूल खुलने की जो योजना बनी थी उस संबंध में कितनी प्रगति हो चुकी है ? क्या उपरोक्त योजना का कार्य स्थगित कर दिया गया है ? अगर यह सत्य है, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

तृतीय पंच वर्षीय योजना को बनाते समय प्रदेश में सात नये पोलीटेक्निक खोलने का विचार था, जिसमें एक बांदा में खोला जाने वाला था। बाद में यह उचित समझा गया कि केवल पांच नये पोलीटेक्निक खोले जायं और जो पोलीटेक्निक पहले से चल रहे हैं उनके विकास पर अधिक ध्यान दिया जाय। तदनुसार जो पांच पोलीटेक्निक तृतीय पंच वर्षीय योजना में शामिल किये गये उनमें बांदा को नहीं शामिल किया जा सका। चौथी पंच वर्षीय योजना में एक पोलीटेक्निक बांदा में खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

थाना कोतवाली, गोरखपुर में बद्री की मृत्यु की जांच

*४४—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर गांव, चौकी गोरखनाथ, जिला गोरखपुर के बद्री तथा दो व्यक्ति चौकी में रिपोर्ट लिखाने गये थे, तो उन्हें पुलिस ने एक डाके में गिरफ्तार कर कई दिनों तक बुरी तरह पीटा जिसकी वजह से १७ सितम्बर, १९६४ को बद्री की मौत सदर अस्पताल में हो गयी ? क्या उसका पोस्टमार्टम भी हुआ ? यदि हां, तो वह क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

५-६ सितम्बर, १९६४ की रात में २ बजे ग्राम रसूलपुर के निवासी श्री सीताराम द्वारा ग्राम रामपुर के बद्री, चतुरी तथा अन्य २ व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा ३९४ के अन्तर्गत की गई रिपोर्ट थाना कोतवाली, गोरखपुर पर दर्ज हुई जिसके अनुसार चतुरी मौके पर ही गांव वालों द्वारा पकड़ लिया गया था। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार बद्री तथा उसके भाई शेरवा को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किये गये तीनों व्यक्ति ७-९-६४ को सदर हवालात भेज दिये गये।

बद्री की मृत्यु सदर अस्पताल में १७-९-६४ को हुई। उस समय वह हिरासत में नहीं थे। शव की पोस्ट मार्टम परीक्षा की गई जिससे यह ज्ञात हुआ कि बद्री की मृत्यु मेनिन्जाइटिस बुखार से हुई। मामले में मैजिस्टीरियल जांच भी हुई तथा इस समय सी० आई० डी० द्वारा जांच हो रही है।

जिला उद्योग अधिकारी, उरई के विचाराधीन ऋण प्रार्थना-पत्र

*४५—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला उद्योग अधिकारी, उरई के कार्यालय में ऋण लेने के लिये किन-किन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं और इन पत्रों के प्राप्त होने की तिथियां क्या हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*४६—श्री बेदराम—

जिला जालौन में उद्योग विभाग द्वारा किन-किन व्यक्तियों को दिये गये ऋण को 'ऋण को उपयोग न करने के कारण' वापस वसूल करने का प्रयत्न किया जा रहा है ? क्या सरकार उन व्यक्तियों के नाम के साथ वसूल की जाने योग्य राशि की भी सूचना देने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

मुहम्मदाबाद थाने में पुलिस से मुठभेड़

*४७—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी हाल में फर्रुखाबाद जिले की पुलिस के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि उसने कुछ व्यक्तियों को पकड़ने के बाद उन्हें जेल न भेज कर गोली से मार दिया है ? क्या उस प्रार्थना-पत्र पर कुछ विधायकों के भी हस्ताक्षर थे ? यदि हां, तो सरकार ने उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

*४८—क्या यह सही है कि इस प्रकार मार डाले गये कुछ व्यक्ति निर्दोष थे] और उनके विरुद्ध कोई केस नहीं थे बल्कि पुलिस उन्हें घर से बुला कर लाई थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां । इस आशय का एक शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिस पर कुछ विधायकों के हस्ताक्षर भी थे ।

१९-२० जुलाई, १९६४ की रात को एक मुठभेड़ में चार व्यक्ति पुलिस की गोली से थाना मुहम्मदाबाद के क्षेत्र में मरे थे । इसके संबंध में मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच करायी गयी । मैजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो चुकी है और शासन के विचाराधीन है ।

मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि यह चारों व्यक्ति जिनमें से प्रत्येक कुछ अभियोगों में फरार था, मुठभेड़ में मरे हैं ।

भगाही ग्राम में गो-हत्या पर बलवा

*४९—श्री जगन्नाथ राव—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १६ सितम्बर, १९६४ को फैजाबाद से लगभग ६० मील दूर बसखारी थाने के ग्राम मकाही में कोई गो-हत्या हुई तथा पुलिस की गोली-वर्षा से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा सरकार द्वारा उस प्रसंग में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

१६ सितम्बर, १९६४ को नहीं बल्कि १३ सितम्बर, १९६४ को ग्राम भगाही (मकाही नहीं जैसा कि प्रश्न में कहा गया है) में एक बैल की हत्या हुई । इसके प्रतिक्रियास्वरूप उक्त ग्राम में १६-९-६४ को एक बलवा हुआ जिसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी । घटना का पूर्ण विवरण तथा की गई कार्यवाही का ब्योरा संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४३४ पर) ।

हरिजन बहुधंधी विद्यालय, बक्शी का तालाब

*५०—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिले के बक्शी का तालाब नामक स्थान पर हरिजनों के लिये जो बहुधन्धी विद्यालय स्थापित करनें की योजना थी क्या उक्त विद्यालय के लिये कोई दूसरा स्थान चुन लिया गया है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां ।

*५१—श्री सुखलाल—

यदि हां, तो उक्त विद्यालय के लिये भवन निर्माण हेतु जो भूमि १९६२ में अधिग्रहीत कर ली गई थी वह काश्तकारों को वापस कर दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं । उक्त भूमि शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई है । वह उसे बक्शी-का तालाब इण्टर कालेज, लखनऊ को कृषि, क्रीड़ा क्षेत्र तथा अन्य शैक्षिक प्रयोजनों के लिये देने पर विचार कर रहे हैं ।

चीनी मिलों पर बकाया

*५२—सर्वश्री कल्पनाथसिंह तथा चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया दिनांक २७ अगस्त, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५ व ६ के उत्तर के संदर्भ में बतायेंगी कि इस बकाये में से किस-किस मिल मालिक से अब तक कितना-कितना रुपया वसूल हुआ और कितना-कितना बाकी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित †सूचना संलग्न तालिका "क" तथा "ख" में दी हुई है ।

बाराबंकी जिले में पुलिस कर्मचारी

*५३—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में कौन-कौन पुलिस सब-इन्स-पेक्टर किस-किस थाने में कब-कब से हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिला बाराबंकी के थानों पर नियुक्त सब-इंन्सपेक्टरों की सूची, थाने के नाम तथा नियुक्ति की तिथि संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४३५ पर)

*५४—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

ऐसे कौन-कौन लोग हैं जिनको इस जिले में काम करते हुये तीन साल से अधिक हो गये हैं ? ऐसे लोगों के ट्रांसफर सरकार दूसरे जिलों में कब तक करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सब-इन्सपेक्टर सर्व श्री लक्ष्मी कुमार त्रिगम, गया बख्श सिंह, रनवीर सिंह, शिव प्रताप सिंह, हनुमान प्रसाद सिनहा, आगा सखावत कासिम कजलबास, केशवसिंह राना तथा योगेन्द्र सिंह को इस जिले में कार्य करते ३ वर्ष से अधिक हो गया है । एक सब इन्सपेक्टर किसी जिले में में ६ वर्ष रह सकता है, अतः इन लोगों के स्थानान्तरण का प्रश्न अभी नहीं उठता है क्योंकि इनका कार्यकाल अभी ६ साल से कम है ।

*५५—श्री द्विजेन्द्र नारायण—

ऐसे कितने हेड कांस्टेबुल तथा पुलिस कांस्टेबिल हैं जिनको इस जिले में दस साल या इससे ज्यादा हो गये हैं और उनके ट्रांसफर सरकार ने नहीं किये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

९ हेड कांस्टेबुल (३ नागरिक पुलिस तथा ६ सशस्त्र पुलिस) और ६९ कांन्टेबुल इस जिले में १० वर्ष या इसके अधिक समय से नियुक्त हैं ।

रामखेड़ा निवासी हेमसिंह के घर की तलाशी

*५६—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को मालूम है कि मौजा रामखेड़ा, थाना कांट, जिला शाहजहांपुर, में दिनांक २९ मार्च, १९६३ को जिला हरदोई के थाना पाली व चौकी पचदिउरा के दो थानेदारों ने

---

†छापी नहीं गई ।

दो व्यक्तियों को उनके मकान में घुस कर बुरी तरह मारा-पीटा व औरतों को मारपीट कर जलील भी किया है ? क्या इसका कारण भूतपूर्व इन्चार्ज, चौकी पचदिउरा तथा पाली की दुश्मनी में किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक २९-३-६३ को हरदोई के थाना पाली के इंचार्ज व चौकी पचदिउरा के इंचार्ज श्री हेमसिंह निवासी रामखेड़ा थाना कांट, जिला शाहजहांपुर, के घर की तलाशी एक डकैती की जांच के सिलसिले में ली थी क्योंकि हेम सिंह का भाई सरनाम सिंह इस डकैती में नामजद था और फरार था। हेम सिंह की पत्नी द्वारा सरनाम सिंह का पता न बताये जाने पर इन लोगों ने उसे मारा था। हेम सिंह के चाचा द्वारा इस काम में विरोध करने पर उनको भी मारा था। जांच से यह नहीं पाया गया कि यह कार्य भूतपूर्व इंचार्ज चौकी पचदिउरा तथा थाना पाली की दुश्मनी के कारण किया गया था।

*५७—श्री मुहम्मद रफी खां—

यदि नहीं, तो क्या इस सिलसिले में कोई जांच सरकार ने की ? यदि की, तो सरकार ने उन थानेदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की और पुलिस कर्मचारियों के इस अनैतिक अत्याचार की क्या वजह सरकार को मालूम हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मामले की जांच सी० आई० डी० द्वारा की गई। इसके फलस्वरूप इन दोनों थानेदारों के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की गई और दोनों को समुचित दण्ड दिया गया।

मारपीट का कारण प्रश्न ५६ के उत्तर में बताया गया है।

*५८-५९—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[प्रश्न संख्या ३३ की पुनरावृत्ति के कारण हटा दिये गये।]

आजमगढ़ जिले में राजपत्रित अधिकारियों का स्थानान्तरण

*६०—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि आजमगढ़ जिले के किन-किन राजपत्रित अधिकारियों का स्थानान्तरण चालू वर्ष में किया गया और रोका गया तथा रोकने के कारण कौन-कौन हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उभांव थाने में श्री जियाउतरक का कत्ल

*६१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या गृह मन्त्री को यह मालूम है कि दिनांक १० व ११ जून, १९६४ की रात में स्थान बिल्थरा रोड, जिला बलिया, के पास श्री जियाउतरक का कत्ल हुआ था और इस विषय में उन्हें श्री मैनेजरसिंह, श्री काशीनाथ मिश्र, एम० एल० ए०, की चिट्ठियां दिनांक २२ अगस्त, १९६४ को प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, इस घटना की रिपोर्ट ११ जून, १९६४ को थाना उभांव पर दर्ज कराई गई थी। विवेचना के उपरान्त अभियुक्तों का चालान न्यायालय को भेज दिया गया है तथा मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

चिट्ठियों की प्राप्ति के बारे में रेकार्ड से कोई पता नहीं चला।

जौनपुर जिले में हरिजनों को छात्रवृत्ति

*६२—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिला परिषद् में १९६१–६२, १९६२–६३, १९६३–६४ में हरिजन एवं पिछड़ी जाति के कितने छात्रों को बेसिक प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल छात्रवृत्ति दी गयी ? यह छात्रवृत्ति किन तिथियों में राजकीय कोष से निकाली गयी और किन तिथियों में सम्बन्धित छात्रों को वितरित की गयी ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष १९६१–६२, १९६२–६३ एवं १९६३–६४ को जूनियर हाई स्कूलों, प्राइमरी स्कूलों में स्वीकृत छात्रवृत्ति निम्न प्रकार है:—

वर्ष		जूनियर हाई स्कूल	प्राइमरी स्कूल
१९६१–६२	१—परिगणित जाति	८१	२८८
	२—पिछड़ी जाति	१८	३६
	३—मोमिन अन्सार	६	४
१९६२–६३	१—परिगणित जाति	८१	२८८
	२—पिछड़ी जाति	१६	३६
	३—मोमिन अन्सार	६	४
१९६३–६४	१—परिगणित जाति	८१	२८८
	२—पिछड़ी जाति	१८	३६
	३—मोमिन अन्सार	६	४

	किन तिथियों में छात्रवृत्ति निकाली गई	किन तिथियों में छात्रवृत्ति वितरित की गई
१९६१–६२	३१–३–१९६२	२४–४–१९६२
१९६२–६३	३१–३–१९६३	१५–५–१९६३
१९६३–६४	३१–३–१९६४	२५–४–१९६४

*६३—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मन्त्रीजी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि कुछ छात्रवृत्ति राजकोष से निकालने के दो वर्ष बाद छात्रों को दी गयी ? यदि हां, तो ऐसी अव्यवस्था के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सीताराम—

अध्यक्ष जिला परिषद् की आख्यानुसार छात्रवृत्ति का समस्त धन उपरोक्त तिथियों में ही बांटा गया। छात्रवृत्ति देर से मिलने की कोई शिकायत उनके कार्यालय में नहीं प्राप्त हुई।

बांदा जिलें में उद्योग खोलने का सुझाव

*६४—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

बांदा जिला अधिक पिछड़ा व गरीब होने के कारण क्या सरकार आगामी योजना में वहां पयाल से मोटा कागज (दफ्ती) व बांस से कागज, साले गुर्जा व सेमर की लकड़ी से दियासलाई सफेद मिट्टी से पाउडर व रंगीन मिट्टी से रंग तथा बरगढ़ में गिलास फैक्टरी बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४३६ पर)

पुलिस लाइन्स, लखनऊ में हरिजन सिपाहियों का खाना

*६५—सर्वश्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद) तथा नरदेवसिंह (जिला बिजनौर)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस लाइन लखनऊ के हरिजन सिपाहियों को खाना अलग से दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं ।

छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता

*६६—श्री सुरजन राम विशारद (जिला आजमगढ़)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा परिगणित जातियों, पिछड़ी जातियों तथा मोमिन अन्सार जातियों को जो प्रति वर्ष जिला परिषद् के माध्यम से छात्रवृत्ति तथा पुस्तकीय सहायता दी जाती है वह इस वर्ष अब तक दे दी गयी ? यदि नहीं, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोंडा जिले में केन-क्रशर

*६७—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में कितने केन-क्रशर लगे हुये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गोंडा जिले में वर्ष १९६४–६५ में सुरक्षित क्षेत्र में दो पावर क्रशर लगे हुए हैं ।

*६८—श्री गंगाप्रसाद—

गोंडा जिले में केन-क्रशर का लाइसेंस देने में सरकार की क्या नीति है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गोंडा जिले में पावर क्रशर के लाइसेंस देने के लिये कोई विशेष नीति नहीं है । साधारणतः मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में नए लाइसेंस नहीं दिये जाते हैं । अलबत्ता पिछले वर्ष के लाइसेंस रिन्यू किये जाते हैं ।

*६९—श्री गंगा प्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में सारा क्षेत्र केन एरिया में होने के कारण केन क्रशर सम्बन्धी कोई भी उद्योग नहीं हो रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह कहना ठीक नहीं है कि गोंडा जिले का समस्त क्षेत्रफल सुरक्षित में है। उपर्युक्त दो क्रशर सुरक्षित क्षेत्र में ही कार्य कर रहे हैं। अतः यह कहना असंगत है कि गोंडा जिले में केन क्रशर सम्बन्धी उद्योग नहीं हो रहा है।

न्योली चीनी मिल क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

*७०—श्री बेदराम—

क्या गन्ना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि न्योली शुगर मिल, जिला एटा द्वारा सोरों विकास खंड के अन्तर्गत सी० सी० ट्रैक सड़क निर्माण हेतु कोई योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में थी ? यदि हां, तो कितने मील लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और कितने मील और कहां तक बनने को शेष है तथा कब तक शेष कार्य पूरा होगा ?

डाक्टर सीताराम—

तृतीय पंचवर्षीय योजना में न्योली शुगर मिल, जिला एटा के क्षेत्र में नगरिया से हसनपुर (१ मील २ फर्लांग) तथा मिल से कादिरबाडी (४ मील लम्बी) दो सड़कों का बनाना स्वीकृत हुआ है। अभी इन सड़कों पर निर्माण-कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। अभी निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं।

बेनीगंज थाने में कल्लूराम की गिरफ्तारी

*७१—श्री परमाईलाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में थाना बेनीगंज में दिनांक ३१ अगस्त, १९६४ को कोई मिसरिख, जिला सीतापुर, निवासी कल्लू उर्फ काशी प्रकाश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो उक्त कल्लू उर्फ काशी प्रकाश किस समय, किस अभियोग में तथा किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री कल्लूराम पुत्र कन्हई लाल निवासी नीमसार, थाना मिसरिख, जिला सीतापुर, को दिनांक ३१-८-६४ को लगभग ४ बजे शाम को जिला हरदोई में शाहपुर चौराहे पर, जो ग्राम शाहपुर, थाना बेनीगंज की हद में पड़ता है, धारा २५ आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत पुलिस ने पकड़ा।

*श्री ७२—परमाईलाल—

[प्रश्न संख्या ३ की पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया।]

गन्ना विभाग से नलकूप इंजनों के लिए सब्सिडी

*७३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या गन्ना मंत्री को ज्ञात है कि केवल वर्ष १९६३-६४ के लिये गन्ना विभाग ने पुरानी परिपाटी से भिन्न यह नियम बना दिया था कि जो व्यक्ति पुराने इंजन नलकूपों के निर्माण में प्रयोग करेंगे उन्हें सब्सिडी न दी जाय ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां।

*७४—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या गन्ना मंत्री को यह भी ज्ञात है कि इस वर्ष १९६४–६५ में उक्त नियम में परिवर्तन कर दिया गया है और सब्सिडी देना निश्चित कर दिया है ? यदि हां, तो यह देखते हुये कि पिछले वर्ष परिवर्तन की सम्यक् सूचना न होने के कारण सैकड़ों लोगों को पुराने इंजन प्रयोग करने के कारण सब्सिडी नहीं मिल सकी, १९६४–६५ के परिवर्तित नियमों को सरकार पिछले वर्ष के मामलों पर भी लागू करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष १९६४–६५ से गत वर्ष की अपेक्षा केवल इतना परिवर्तन किया गया कि पुराने इंजिन से चालित नलकूप पर इंजन का दाम काट कर अनुदान दिया जाय। इस परिवर्तित नियम को पिछले वर्ष के मामलों पर लागू करना संभव नहीं है।

देवरिया जिले में अपराध

*७५—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के बरहजलार, खामपार, खुखुन्दू, रुद्रपुर तथा देवरिया और तरकुलवा थाने के अन्तर्गत १ जनवरी, १९६४ लगायत १ नवम्बर, १९६४ तक (अ) कितने कत्ल हुये और कहां-कहां (ब) कितनी डकैतियां पड़ीं और कहां-कहां (स) कितनी चोरियां हुईं तथा क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि गत वर्ष में जनपद देवरिया में कौन-कौन से शातिर डकैत मारे गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

(अ) (ब) व (स) मांगी गई सूची संलग्न तालिकाओं में दी हुई है।

सन् १९६४ में जनपद देवरिया में सहती भर उर्फ काला देव तथा मोती नामक दो शातिर डकैत मारे गये।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४३७ पर)

अलीगढ़ जिले में मुख्य मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षाकोष

*७६—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में मुख्य मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के हेतु कोष जमा करने के लिये कितने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था ? उनके संयोजक अधिकारी कौन-कौन थे ? उन अधिकारियों ने मनोरंजन कर का नियमानुसार हिसाब कितने दिनों बाद दिया था ? उनमें से किन अधिकारियों ने हिसाब दिया ही नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

१८ समस्त संबंधित संयोजकों ने हिसाब प्रस्तुत कर दिया था जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ४३८ पर)

कानपुर जिले में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति

*७७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त समारोह में मनोरंजन कर नियमानुसार हिसाब प्रस्तुत न करने और उसके दुरुपयोग की शिकायतों पर जांच किस अधिकारी ने की ? उनकी रिपोर्ट क्या थी और उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इन शिकायतों की जांच अतिरिक्त जिलाधीश, अलीगढ़ ने की थी जो कि प्रमाणित नहीं हो सकी ।

*७८—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उन्हें इस प्रकार शिकायतें कब प्राप्त हुईं और उक्त समारोहों में मनोरंजन कर वसूल न किये जाने तथा मनोरंजन कर अधिकारी की बिला स्वीकृति के संयोजक ने उक्त समारोहों के सभी सम्बन्धित कागजात जला दिये ? इस पर शासन की ओर से क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

संबंधित सांस्कृतिक समारोहों को मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया गया था अतः मनोरंजन कर का प्रश्न ही नहीं उठता । टिकटों का हिसाब जांचने के बाद जिलाधीश की स्वीकृति से मुसम्मा टिकटों को जला दिया गया था ।

*७९–८०—[हटा दिया गया ।]

कानपुर जिले में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति

*८१—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज तथा हरिजन-कल्याण विभाग के लिये कानपुर जिले में सोशल वर्कर तथा हरिजन कल्याण प्रचारकों के पद में नियुक्ति पाने हेतु कितने व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दिये तथा शिक्षा व अनुभव का क्या आधार निश्चय किया गया था ?

डाक्टर सीताराम—

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्त्ता के पद पर नियुक्ति पाने के लिये कानपुर के १२ व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये थे । इस पद पर नियुक्ति के लिये निर्धारित शर्तें इस प्रकार थीं :—

(१) इस पद के लिये कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है ।

(२) सामाजिक कार्यों का कम से कम ३ वर्ष का अनुभव अनिवार्य है ।

(३) प्रार्थी की आयु कम से कम २५ वर्ष अवश्य होनी चाहिये ।

(४) जनता में भाषण देने अथवा भजन आदि गाने की क्षमता अतिरिक्त योग्यता मानी जावेगी ।

(५) प्रत्येक जिले के स्थानीय अभ्यर्थियों को विशेषता दी जावेगी ।

(६) महिला एवं पुरुष दोनों ही इस पद के लिये आवेदन-पत्र दे सकते हैं ।

*८२—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में उपरोक्त स्थानों की पूर्ति हेतु साक्षात्कार में कौन-कौन अभ्यर्थी शामिल हुये, उनकी शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव क्या था और उनमें से किन-किन को नियुक्त किया गया है ?

डाक्टर सीताराम—

कानपुर जिले में हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यकर्त्ताओं के स्थान की पूर्ति हेतु साक्षात्कार के लिये ९ व्यक्ति उपस्थित हुये थे । उनके नाम तथा शैक्षिक योग्यता और अनुभव परिशिष्ट

"क" पर दिया गया है तथा इनमें से सर्व श्री लाल मणि कुरील, फूल चन्द्र शंखवार तथा शम्भू नाथ मिश्र नियुक्त किये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४३९ पर)

नरभक्षी एवं पशुहिंसक शेर

*८३—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली, शाहजहांपुर तथा नैनीताल जिलों में इस समय कितने आदमखोर (maneater) तथा cattle lifter tigers हैं और उनको मारने के लिये शासन द्वारा क्या सुविधायें हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस समय बरेली, शाहजहांपुर तथा नैनीताल जिलों में कोई आदमखोर तथा cattle lifter tigers नहीं है; इसलिए उनका मारने का प्रश्न नहीं उठता ।

बिजनौर जिले में हरिजनों को भूमि

*८४—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या हरिजन एवं समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब से लगभग १ वर्ष पूर्व जिला बिजनौर में भूमिहीन हरिजनों को कृषि की भूमि देने के लिये कितने एकड़ जमीन हरिजन कल्याण विभाग से एलाट कराई गई थी ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*८५—श्री श्रीराम—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि वह भूमि दीन हरिजनों को और किस-किस हरिजन को कितनी-कितनी एकड़ दी गई थी ? क्या उसमें से सर्वानन्द नाम के व्यक्ति ने जमीन बेंच दी है, यदि बेची है तो किस-किस नाम व्यक्ति को बेची है और कितने-कितने रुपये में अलग-अलग बेची है ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

दनघटा थाने में कत्ल

*८६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिला के दनघटा थाना क्षेत्र के भैंसही ग्राम में अक्तूबर के अन्त या नवम्बर, १९६४ के शुरू में किसी गड़ेरी का कत्ल हुआ है ? यदि हां, तो उस मुकदमें में कितनों का चालान हुआ है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

४-१०-६४ को थाना कोतवाली गोरखपुर में रिपोर्ट हुई कि ४-१०-६४ को टुनमुन निवासी भैंसही, थाना दनघटा जिला बस्ती, भाले से आहत पाये गये जिनका अस्पताल में बाद में देहान्त हुआ । जांच से अपराधियों का पता नहीं चला, अतः अंतिम रिपोर्ट लगाई गई ।

*८७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिला के दनघटा थाना क्षेत्र के ग्राम घोरहट का कोई कोरी सितम्बर, अक्तूबर, १९६४ में मार डाला गया है ? यदि हां तो उस मुकदमें में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिला बस्ती के थाना दनघटा पर ११-८-६४ को रिपोर्ट हुई कि ३-४ दिन से भोरई पुत्र गोवर्धन कोइरी गायब है और शक है कि बिन्देशरी चमार ने मार डाला है। जांच से अपराध का पता नहीं चला व अतः अंतिम रिपोर्ट लगाई गई ।

सोनवट ग्राम में गोलीकाण्ड

*८८—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार को इसकी सूचना है कि नवम्बर, १९६३ के प्रश्न प्रथम सप्ताह में मिर्जापुर की तहसील राबर्ट्सगंज के सोनपुर नामक ग्राम में दिन दहाड़े दो व्यक्तियों को गोली मार कर हत्या कर दी गई है ? यदि हां तो पूरी घटना क्या है तथा सरकार द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

नवम्बर १९६३ में प्रथम सप्ताह में मिर्जापुर जिले की तहसील राबर्ट्सगंज थाने के अन्तर्गत ग्राम सोनवट (ग्राम सोनपुर नहीं जैसा कि प्रश्न में अंकित है) में गोली चलने की एक घटना हुई जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा एक अन्य व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हुई । घटना का विवरण संलग्न है ।

जांच के उपरान्त ११ व्यक्तियों का चालान किया गया जिनमें से पांच न्यायालय से दंडित हुए और छः छूट गये ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ४४० पर)

गाजियाबाद में श्री भगवतप्रसाद के मकान का एलाटमेंट

*८९—श्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तारीख ११ अगस्त, १९६४ को श्री भगवत प्रसाद एडवोकेट, गाजियाबाद के मकान पर एन० डी० धीर, सब-इन्स्पेक्टर सी० आई० डी० ने जबरदस्ती ताला तोड़ कर कब्जा कर लिया है और उनके सामान को हजम कर लिया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री भगवत प्रसाद का मकान श्री एन० डी० धीर, सब इन्स्पेक्टर को रेंट कंट्रोल व एविक्शन अधिकारी द्वारा एलाट हुआ था जिस पर उन्होंने ११-९-६४ को कब्जा किया। कोई सामान चोरी नहीं हुआ ।

इस मामले की थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई ।

महोबागंज ग्राम का कथित झगड़ा

*९०—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३० अप्रैल, १९६४ को ग्राम महोबागंज, जिला लखीमपुर-खीरी, की सस्ते गल्ले की दुकान पर जो झगड़ा जनता और ब्लाक प्रमुख फूलबेहड़ के बीच हुआ उसका विवरण क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक ३०-४-६४ को उक्त स्थान पर ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ और न ही इस प्रकार की सूचना पुलिस को मिली ।

*९१—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि श्री शौकत अली खां, सब-इन्स्पेक्टर, कोतवाली, जिला लखीमपुर खीरी, ने ग्राम महोबागंज में जाकर कुछ परदानशीन औरतों को मारा-पीटा और उनके साथ सिपाहियों ने उनका जेवर भी छीन लिया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई ।

पैलानी थानान्तर्गत श्री राजकिशोर को रिवाल्वर लाइसेंस

*९२—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री राजकिशोर, ग्राम गौरी-कलां थाना पलानी, जिला बांदा, को सन् १९६४ में जिला कानपुर से रिवाल्वर का लाइसेंस प्रदान किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री राजकिशोर के जान माल की रक्षा के लिये जिला कानपुर से रिवाल्वर का लाइसेंस दिया गया था। अपने प्रार्थना-पत्र में श्री राजकिशोर ने अपना स्थायी पता जिला कानपुर तथा वर्तमान पता जिला बांदा दिया था ।

*९३—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या यह सही है कि उक्त लाइसेंस को जिलाधीश बांदा ने अवैध घोषित किया था, परन्तु थोड़े ही दिन बाद वह लाइसेंस उन्हें फिर से प्रदान कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। जिलाधीश, बांदा से यह शिकायत की गई थी कि उक्त लाइसेन्स बिना ठीक से जांच पड़ताल किये ही दे दिया गया था। इसलिये पुलिस द्वारा जांच होने तक के लिए उन्होंने इस लाइसेंस को मार्च, सन् १९६४ में निलम्बित कर दिया और लाइसेन्सदार के विरुद्ध स्थानीय जांच पूरी हो जाने के पश्चात् कोई शिकायत न मिलने पर लाइसेन्स अगस्त, सन् १९६४ में बहाल कर दिया गया ।

*९४—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति ने उक्त लाइसेंस चार सौ बीस करके जिला कानपुर से प्राप्त किया था ? यदि हां, तो सरकार इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

सौरिख थाने के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*९५—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या गृह मन्त्री तारांकित प्रश्न संख्या ५७, दिनांक ५ मार्च, १९६४ के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जांच डी० एस० पी० द्वारा कराई गई।

*९६—श्री होरीलाल यादव—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद के किन-किन विकास क्षेत्रों में अभी तक होम गार्ड के कम्पनी कामान्डेन्ट की नियुक्ति नहीं हुई है और क्यों, जबकि उनका सेलेक्शन हो चुका है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

फर्रुखाबाद के विकास क्षेत्रों में सभी होम गार्ड्स कम्पनियों के कमान्डरों की नियुक्ति उनके चुनाव के स्वरूप की जा चुकी है।

सौरिख थाना क्षेत्र में अपराध

*९७—श्री होरीलाल यादव—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना सौरिख, जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत १ मार्च, १९६३ से २८ मार्च, १९६४ तक कितनी डकैतियां, चोरियां, राहजनी और कत्ल हुये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? उनमें कितने मामलों पर मुकदमें चलाये गये, कितनों में सजा हुई और कितने मामले छूटे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ४४१ पर।)

पोलीटेक्निक, बख्शी का तालाब

*९८—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बख्शी का तालाब, लखनऊ में कोई योजना पोलीटेक्निक विद्यालय खोलने की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक कितना धन किस-किस मद में खर्च किया गया ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां।

अब तक पोलीटेक्निक पर निम्न प्रकार खर्च हो चुका है :—

			रु०
१—कर्मचारियों के वेतन आदि पर	..	..	३२,९००
२—आवर्तक व्यय (आकस्मिक आदि)	..	..	५१,५००
३—अनावर्तक व्यय (मशीन आदि)	..		२,२२,६००
		कुल योग	३,०७,०००

कोसीकलां थाना क्षेत्र में डकैतियां व कत्ल

*९९—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मौजूदा थानेदार, कोसीकलां, जिला मथुरा, के समय में कितने कत्ल-डकैती हुईं और यह कत्ल-डकैती थाने से कितने मील दूर हुईं और दिन में हुईं या रात में ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिला मथुरा के थाना कोसीकलां के वर्तमान थानेदार पर दिनांक १८-१२-६३ से तैनात हैं, इस तिथि से ३१-१२-१९६४ तक थाना कोसीकलां क्षेत्र में जो डकैती और कत्ल की घटनाएं हुई उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ४४२ पर)

देवरिया जिले की चीनी मिलें

*१००—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला की चीनी मिलों के चालू होने की तिथियां क्या हैं और उन मिलों के चालू होने के कितने कितने दिनों के बाद गन्ने का दाम भुगतान होना प्रारम्भ हुआ ? क्या समय से भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

देवरिया जिले की चीनी मिलों के चालू होने की तिथियां तथा मिलों द्वारा गन्ने का दाम भुगतान करने की तिथियां संलग्न तालिका 'क' में दी हुई हैं। जिन चीनी मिलों ने गन्ने के दाम का भुगतान नहीं किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ४४३ पर)

समाज कल्याण अनुदान का वितरण

*१०१—श्री जगन्नाथ राव—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मन्त्री महोदय द्वारा स्वयं इस वर्ष समाज-कल्याण हेतु जिलानुसार कितना-कितना रुपया किस-किस मास में वितरित किया गया ?

डाक्टर सीताराम—

वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में ३१ दिसम्बर, १९६४ तक जितना-जितना रुपया जिलेवार वितरित किया गया उसकी सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ४४४-४४६ पर)

गोंडा कोतवाली में सीताराम हरिजन की मृत्यु

*१०२—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

क्या गृह मंत्री मेरी इस सूचना को सत्य मान कर कि दिनांक २२ व २३ नवम्बर, १९६४ की रात्रि में गोंडा कोतवाली में पुलिस अधिकारियों द्वारा सीताराम नाम के एक हरि न को इतना मारा गया कि कोतवाली में ही उसकी मृत्यु हो गई यह बताने की कृपा करेंगे कि जांच के परिणामस्वरूप क्या तथ्य सामने आये तथा पुलिस वालों के विरुद्ध क्या कायवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना देना जनहित में उचित नहीं है।

*१०३—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एस० पी० गोंडा को इस घटना (सीताराम को पीटने) की सूचना किस दिन, कितने बजे मिली एवं उस पर उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा एस० पी० द्वारा जांच आदि के लिये किस अधिकारी को नियुक्त किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक २३–११–१९६४ को लगभग १२ बजे दोपहर पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि सीताराम नाम के व्यक्ति की, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, की मृत्यु हो गई है और यह सन्देह किया जाता है कि उनकी मृत्यु पुलिस की हिरासत में हुई है। सूचना मिलने पर डी० एस०-पी० श्री एम० ए० सईद को जांच करने के लिये नियुक्त किया गया।

*१०४—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २५ नवम्बर, १९६४ को उपरोक्त घटना को लेकर जनता द्वारा कोई प्रदर्शन एस० पी० के यहां किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदर्शनकारियों के मांग-पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा बतायेगी कि इस सबन्ध में (मांगों पर) क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक २५–११–१९६४ को ७–८ व्यक्तियों का डेपुटेशन एस० पी० से मिला तथा उन्हें एक मेमोरेन्डम दिया जिसकी प्रति संलग्न है। परन्तु दिनांक २६–११–१९६४ को न्यायालय में स्टेशन अफसर व ४ सिपाहियों के विरुद्ध इस्तगासा दायर हो जाने के कारण, कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ४४७ पर)

चीनी मिलें

*१०५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी मिलें गन्ने की पेराई कर रही हैं तथा कितनी गन्ने के अभाव के कारण बन्द हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रदेश की सभी चीनी मिलें जिनकी संख्या ७१ हैं इस समय गन्ने की पिराई कर रही हैं और कोई भी मिल बन्द नहीं है।

*१०६—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न नहीं उठता।

उन्नयन बस्तियों की हरिजन पाठशालायें

*१०७—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या हरिजन एवं समाज-कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९ सितम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१ व २२ के उत्तर में उन्नयन बस्तियों की पाठशालाओं के अध्यापकों

को जो वेतन कम मिलता है उसे बढ़ा कर अन्य संस्थाओं के वेतन-क्रम के बराबर करने पर विचार करने को कहा गया था उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

*१०८—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त उन्नयन बस्तियों के अध्यापकों के वेतन पर बढ़ोत्तरी अप्रैल, १९६२ से लागू करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

सीतापुर जिले में गन्ने की खरीद

*१०९—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर स्थित गन्ना मिलों में ऐसे कितने क्रय केन्द्र हैं जिन पर मिलों द्वारा गन्ना की खरीद के लिये सरकार ने ऐसी सुविधायें दी हैं कि वह सहकारी समितियों के माध्यम से न खरीद कर स्वतंत्र रीति से खरीदा करें ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिला सीतापुर स्थित महौली चीनी मिल के अन्तर्गत बबौना, बेहटी तथा दुल्हापुर तीन क्रय केन्द्र हैं। ये तीनों क्रय केन्द्र किसी भी गन्ना समिति के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हैं अतः उक्त मिल इन केन्द्रों से जो इसके लिए सुरक्षित हैं सीधे गन्ने की खरीद करती हैं। सरकार केन्द्रों में सुरक्षित किये जाने के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं करती है।

*११०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या यह सही है कि महोली गन्ना मिल के अन्तर्गत, जिला लखीमपुर के स्थित क्रय केन्द्र बबोना से महोली मिल के व्यक्तिगत रुपये से उस क्षेत्र के किसानों का गन्ना कई वर्षों से खरीदा जा रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। बबौन क्रय केन्द्र जिले की किसी भी गन्ना समिति के कार्य क्षेत्र में नहीं है।

*१११—[हटा दिया गया।]

चायल तहसील में आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस

*११२—सर्वश्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद), सुखदेवप्रसाद तथा सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील चायल, जिला इलाहाबाद में सन् १९६२ से १९६४ तक रिवाल्वर, बन्दूक एवं पिस्टलों का लाइसेंस कितनों को और किन-किन को दिया गया उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की सरकार कृपा करे।

श्री हरगोविन्द सिंह—

तहसील चायल, जिला इलाहाबाद में सन् १९६२ से १९६४ तक १२ रिवाल्वर, ३४५ बन्दूक एवं १२ पिस्टलों के लाइसेन्स दिये गये। जिन व्यक्तियों को ये लाइसेन्स दिये गये उनके नाम संलग्न† सूची में दिये गये हैं।

*११३—सर्वश्री नाथूराम शिक्षक, सुखदेव प्रसाद तथा सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या यह सत्य है कि इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में आर्म्स क्लर्क के मातहत कोई अवैतनिक क्लर्क काम कर रहा है, यदि हां, तो उसका नाम क्या है और उसकी नियुक्ति कब हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं।

अनुसूचित जातीय छात्रों को छात्रवृत्ति

*११४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या हरिजन एवं समाज-कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब दशमोत्तर कक्षाओं के अनुसूचित जाति के छात्रों को उनके संरक्षकों की ३०० रुपये मासिक आय पर छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था स्वयं प्रार्थना-पत्र फार्म पर है तब उनको निःशुल्क देने हेतु आदेश संख्या ११डी/३०८५, दिनांक २४ जुलाई, १९६४ द्वारा संरक्षकों की आमदनी २५० रुपये निर्धारित करने का निमित्त आधार क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

समस्त उत्तीर्ण अनुसूचित जाति के छात्रों को जो दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ते हैं तथा जिनके संरक्षकों की मासिक आय ३०० रुपये तक होती है उनको भारत सरकार अपने बजट से निःशुल्कता के साथ ही साथ छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है जैसा कि प्रार्थना-पत्र में भी छपा है। परन्तु अनुत्तीर्ण अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्कता इत्यादि प्रदान करने का भारत सरकार के बजट में कोई प्राविधान नहीं है। राज्य सरकार उन अनुसूचित जाति के छात्रों को जो प्रथम बार में कुछ ही अंकों से असफल हो जाते हैं उनको निःशुल्कता प्रदान करती है। उनके संरक्षकों की मासिक आय २५० रुपये निर्धारित की गई है। इसलिये परिपत्र संख्या एच० डी०/३०८५—अ, दिनांक २४ जुलाई, १९६४ जारी किया गया है।

*११५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या हरिजन एवं समाज-कल्याण मन्त्री ३०० रुपये आमदनी पर छात्रवृत्ति पाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को निशुल्कता देने हेतु सभी हरिजन संरक्षकों की आमदनी २५० रुपये के बजाय ३०० रुपये निर्धारित करने के बारे में विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक निर्णय होने की सम्भावना है ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

जैसा कि उपरोक्त प्रश्न में बताया गया है, इस समय ३०० रुपये मासिक आय वाले अभिभावकों के सभी छात्रों को फीस की माफी भी दी जाती है। इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उठता।

पुलिस विभाग में हरिजन

*११६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या गृह मंत्री को पता है कि पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों, इंसपेक्टरों, सब-इंसपेक्टरों, हेड कान्स्टेबिलों और कान्स्टेबिलों में १८ प्रतिशत हरिजन संरक्षण पूरा नहीं हुआ है ?

---

†छापी नहीं गई।

यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस कार्य को पूरा करने के लिये पुलिस फोर्स में हरिजनों का स्पेशल बैच चुन कर भेजने की व्यवस्था करेंगे और यदि नहीं, तो क्यों और यह कार्य किस प्रकार पूरा किया जायगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पुलिस में इंस्पेक्टरों तथा हेड कांस्टेबलों के पदों पर नियुक्ति पदोन्नति द्वारा की जाती है। अतः इन पदों में १८ प्रतिशत हरिजन संरक्षण पूरा किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक राजपत्रित अधिकारियों, सब इंस्पेक्टरों तथा कांस्टेबिलों का प्रश्न है, उपर्युक्त संरक्षण पूरा नहीं हुआ है। इस कमी को पूरा करने के लिये हरिजनों का स्पेशल बैच चुन कर भेजने का कोई विचार नहीं है क्योंकि न तो इस प्रकार का कोई प्राविधान ही है और न इसकी आवश्यकता ही प्रतीत होती है क्योंकि साधारण चुनाव में ही बहुत कम उपर्युक्त हरिजन उम्मीदवार उपलब्ध होते हैं। इस कमी को तभी पूरा किया जा सकेगा जब आवश्यक संख्या में उपर्युक्त हरिजन उम्मीदवार उपलब्ध होंगे।

गाजीपुर जिले की स्कीमें

*११७—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पटेल आयोग के अनुसार सरकार गाजीपुर जिले में कौन-कौन सी स्कीमें चालू कर रही है और इस ओर अब तक क्या कदम उठाया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

संयुक्त जांच समिति की संस्तुति पर जिला गाजीपुर में ली जाने वाली स्कीमों को संलग्न सूची संख्या १ में दिखाया गया है। इन स्कीमों की मंजूरी नियोजन विभाग ने दे दी है और विकास विभागों ने भी शासकीय आदेश जारी कर दिये हैं। इनमें से लगभग सभी स्कीमों पर कार्य भी प्रारम्भ हो गया है। १९६४–६५ में इन फार्मों के लिये योजनागत प्राविधान के अतिरिक्त ८७.४५८ लाख रु० इस जिले को और दिये गये हैं। अगले वर्ष भी उपर्युक्त प्राविधान किया जायगा।

*११८—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में सरकार की योजना पटेल आयोग के अन्तर्गत जिन-जिन सड़कों को बनाने की है, उन पर कब काम शुरू होगा और कब तक उन सड़कों की बन जाने की सम्भावना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

संयुक्त जांच समिति की संयुक्ति पर जिन सड़कों को बनाने का कार्यक्रम है वे संलग्न सूची संख्या २ में दिखाई गई हैं। उन पर मार्च, १९६५ में कार्य प्रारम्भ होगा और उनके १९६९ तक बन जाने की आशा है।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ४४८–४४९ पर।)

अथर्टन वेस्ट ऐण्ड कम्पनी, कानपुर

*११९—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार अथर्टन वेस्ट एन्ड कम्पनी, कानपुर जो उत्तर प्रदेश सरकार की अथराइज्ड कन्ट्रोलरी में चल रही है उसके संबंध में यह बताने की कृपा करेगी कि कम्पनी ने वित्तीय वर्ष १९६४ में इक्साइज ड्यूटी की लगभग २ लाख रुपये की रकम क्यों तथा कैसे राइट आफ कर दी तथा इसका उत्तरदायी कौन है ? यह रकम पिछले वर्षों से वैलेन्स शीट पर ब्राट फार्वर्ड होकर आई अथवा नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अथर्टन वेस्ट एन्ड कम्पनी कानपुर उत्तर प्रदेश सरकार की अथराईज्ड कन्ट्रोलरी में नहीं चल रही है, बल्कि केन्द्रीय सरकार ने उसके प्रबन्ध के लिये इन्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एन्ड रेगुलेशन) ऐक्ट १९५१ के अधीन एक अथराईज्ड कन्ट्रोलर नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष १९६४ में उक्त कम्पनी ने कोई इक्साइज ड्यूटी की रकम राइट आफ नहीं की। प्रश्न के शेष भाग उत्पन्न नहीं होते।

*१२०—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम प्रश्न में उल्लिखित रकम को राइट आफ किये जाने पर लेखा परीक्षकों द्वारा कम्पनी ऐक्ट के अधीन कोई आपत्ति उठाई गई है? यदि हां, तो उक्त आपत्ति क्या है तथा उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया

*१२१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न मिलों पर गन्ना किसानों का पावना कितना है तथा कब से और अभी तक अदायगी न करने का क्या कारण है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सीजन १९६४–६५ की १५ जनवरी, १९६५ तक तथा इसके पूर्व के सीजनों का जैसा कि संलग्न† तालिका 'क' में दिया गया है ५२१.१५ लाख तथा ३८.७३ लाख रुपया किसानों के गन्ने के मूल्य के रूप में प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों पर शेष था। चीनी मिलों की आर्थिक दशा सन्तोषजनक न होने के कारण समस्त बकाया धनराशि की अदायगी मिलों द्वारा न हो सकी।

मंत्रियों की सम्पत्ति

*१२२—सर्वश्री कमलासिंह, रक्षपालसिंह तथा कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जो मंत्री, उपमंत्री तथा सभा-सचिव हैं उनके पास प्रथम नियुक्ति के दिन तथा ३१ दिसम्बर, १९६४ को क्या-क्या सम्पत्ति चल तथा अचल थी और है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मंत्रियों के लिये जो आचरण का कोड स्वीकार किया गया है उसके अनुसार जरूरी सूचना वे दे रहे हैं लेकिन उसका ब्योरा देना जनहित में ठीक न होगा। उप मंत्रियों और सभा सचिवों के बारे में ऐसी सूचना अभी इकट्ठा नहीं की जा रही है। उनके लिये कोड को लागू करने पर विचार किया जायगा। जहां कोड के अधीन कार्यवाही उचित होगी की जायगी।

परिगणित जातीय छात्रों की फीस

*१२३—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि कालेजों में परिगणित जाति के छात्रों की फीस न लिये जाने के संबंध में हरिजन कल्याण विभाग से जी० ओ० किस तारीख से निकाला गया तथा उसकी पाबन्दी की गई या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

---

†छापी नहीं गई।

डाक्टर सीताराम—

कालेजों के परिगणित जाति के छात्रों से प्रवेश शुल्क न लिये जाने के संबंध में इस विभाग से ३ जुलाई, १९६४ को ही आदेश जारी कर दिये गये थे। इसकी पाबन्दी भी की गई है। अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं प्राप्त हुई जिससे ज्ञात हो कि प्रवेश शुल्क ली गई हो।

*१२४—श्री मन्नालाल—

क्या सरकार को पता है कि अधिकांश हरिजन छात्र इस कारण प्रवेश न करा पायें कि प्रवेश शुल्क हाई कास्ट वालों के बराबर ही लिया गया? यदि हां, तो सरकारी जी० ओ० का पालन क्यों नहीं हुआ?

डाक्टर सीताराम—

ऐसी कोई शिकायत अभी तक शासन को उपलब्ध नहीं हुई है।

अतारांकित प्रश्न

पटेल जांच समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन

१—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पटेल कमीशन की संस्तुति के आधार पर सम्प्रति आजमगढ़, जौनपुर, बलिया एवं देवरिया जिले में कौन-कौन कार्य कितने कितने रुपये व्यय करने के तखमीने पर प्रारम्भ किये जा चुके हैं और चालू वर्ष में और कौन-कौन आरम्भ किये जाने वाले हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पटेल जांच समिति की संस्तुति के आधार पर इस वर्ष प्रारम्भ किये गये कार्य तथा उनके लिये निर्धारित परिव्यय संलग्न तालिका में दिखाये गये हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में और कोई कार्य प्ररम्भ नहीं किये जायेंगे।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ४५० पर)

पोलीटेक्निक स्कूल, गाजीपुर का भवन

२—श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पोलीटेक्निक स्कूल गाजीपुर का विद्यालय भवन तथा छात्रों एवं अध्यापकों के होस्टल भवन का निर्माण नहीं हो रहा है जिसके लिये दो वर्ष से दस लाख रुपया मंजूर है? यदि हां, तो भवन-निर्माण न होने का कारण क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गाजीपुर में इस समय पोलीटेक्निक स्कूल नाम की कोई सरकारी संस्था नहीं है। वहां एक राजकीय सेकेन्ड्री टेक्निकल स्कूल है, जिसके विद्यालय भवन तथा छात्र एवं अध्यापकों के होस्टल भवन के निर्माण के लिये सरकार ने ५,१५,५०० रुपये के एस्टीमेट स्वीकृत किये हैं, किन्तु कुछ टेक्निकल तथा कार्य विधि संबंधी (Procedural) कठिनाइयों के कारण इन भवनों का निर्माण अभी तक न हो सका।

टेहरी गढ़वाल की आर्थिक स्थिति

३—श्री त्रेपनसिंह (जिला टेहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी)—

क्या यह सत्य है कि आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा १९५५–५६ में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार टेहरी-गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों में प्रति व्यक्ति औसत आमदनी ८४ रुपये थी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां ।

४—श्री त्रेपनसिंह—

उक्त सर्वेक्षण के अनुसार टेहरी-गढ़वाल के विशेष विकास के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रदेश की योजना में पहाड़ी क्षेत्र को राज्य के अन्य विकसित क्षेत्रों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ माना गया है । टेहरी–गढ़वाल पहाड़ी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये राज्य स्तर पर एक अलग से 'अनुभाग' (Cell) बनाया गया है जो कि राज्य के सीमित साधनों के अन्तर्गत इन क्षेत्रों क: परियोजनाओं पर विशेष ध्यान रखती है ।

५—श्री त्रेपनसिंह—

क्या यह सत्य है कि राज्य टेहरी-गढ़वाल की स्थिति सब से पिछड़ी है ? यदि हां, तो उसके सुधारने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा १९५५–५६ में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार टेहरी-गढ़वाल (उत्तर काशी को मिला कर) जिले की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी प्रदेश के सभी जिलों से कम थी । जिला टेहरी-गढ़वाल राज्य का एक पिछड़ा हुआ जिला अवश्य है परन्तु इसकी यथार्थ जानकारी करने के लिये कि टेहरी-गढ़वाल राज्य में सबसे पिछड़ा जिला है कोई सर्वेक्षण राज्य स्तर पर नहीं किया गया है । उत्तराखंड की जो सघन विकास की योजना चल रही है उससे उत्तरकाशी में काफी लाभ हो रहा है। इसके अतिरिक्त, टेहरी-गढ़वाल की समस्याओं पर जैसे ऊपर कहा गया है विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

आर० एस० शुगर फैक्ट्री, मैनपुरी

६—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या विधान सभा के (१९–३–६४) के तारांकित प्रश्न ३ या ४ के क्रम में सरकार बताने की कृपा करेगी कि एक माह में जो शक्कर बनी उसका उत्पादन एवं बिक्री विवरण जो मिल ने नहीं दिया है वह कब तक मांग लिया जायेगा और जब मिल में शक्कर नहीं बन रही है, तो जो एक लाख रुपया फैक्टरी की स्थापना के लिए ऋण दिया गया था वह कब तक वापस ले लिया जायेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

फैक्टरी सन् १९६१ में परीक्षा हेतु चलाई गई थी । उस दौरान में लगभग २ या ३ टन शक्कर बनी थी जो कि बाजार में बेंच दी गई । फैक्टरी के मालिक ने इस विषय में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया । जहां तक ऋण की वापसी का प्रश्न है, मिल मालिक से ऋण को वापस लेने के लिये उत्तर प्रदेशीय वित्त निगम कानपुर ने जिला जज, फर्रुखाबाद, की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है जो अभी विचाराधीन है ।

गोरखपुर जिले में अपराध

७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, सन् १९६४ से अक्तूबर, सन् १९६४ तक गोरखपुर जिले के अन्तर्गत विभिन्न थानों में कितनी चोरी, डकैती तथा कत्ल के मामले हुए ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

वांछित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ ४५१ पर)

इंचार्ज थाना, सांडी के विरुद्ध श्री योगेन्द्रनाथ मिश्रा के आरोप

८—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री को मालूम है कि दिनांक २८ जून, १९६४ को कोई दरख्वास्त, थाना सांडी इन्चार्ज के विरुद्ध श्री योगेन्द्रनाथ मिश्रा ने एस० पी०, हरदोई को दी जिसमें लगभग १३ वारदातों के छिपाये जाने और रिपोर्ट न लिखने का आरोप था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां ।

दरख्वास्त में उल्लिखित आरोपों की जांच कराई गई ।

९—श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जब उन्हीं शिकायतों के सिलसिले में दिनांक २ अगस्त, १९६४ को मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हो गयी जिसमें गवाहों ने साफ-साफ बयान दिये तो उसके बाद डी० वाई० एस० पी० द्वारा दिनांक २८ जून, १९६४ को जो इन्क्वायरी हुई उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री योगेन्द्रनाथ मिश्रा की दरख्वास्त दिनांक २८-६-६४ में जिन १३ घटनाओं का उल्लेख था उन्हीं घटनाओं में से एक घटना के संबंध में मैजिस्ट्रीरियल इन्क्वायरी कराई गई थी जिसका निष्कर्ष यह निकला कि पुलिस के विरुद्ध आरोपों में कोई बल नहीं था । इसके बाद डी० वाई० एस० पी० की जांच से भी पुलिस के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया गया ।

१०—श्री रियासत हुसैन—

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि दिनांक २२ अगस्त, १९६४ को शाम के ४.४५ बजे गवर्नमेंट इन्टर कालेज, हरदोई के पास जो सं० सो० पार्टी के कार्यकर्त्ता श्री योगेन्द्रनाथ मिश्रा पर एस० ओ० सांडी की साजिस से कत्लाना हमला किया गया, उस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस आशय की दो व्यक्तियों के विरुद्ध एक रिपोर्ट थाना कोतवाली हरदोई में लिखाई गई थी जांच से एस० ओ० सांडी के साजिश से हमला किये जाने का आरोप सही नहीं पाया गया । दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है और मामला न्यायालय के विचाराधीन है । दूसरे व्यक्ति को जो फरार है, गिरफ्तार करने का प्रयत्न जारी है ।

दनघटा थाने में अपराध तथा कांस्टेबिलों का तबादला रुकना

११—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिला के दनघटा थाना में १ जनवरी, १९६३ से आज तक कितने पुलिस सिपाही ऐसे हैं जिनका अन्यत्र तबादला हो जाने के बाद पुनः उसी थाने में तनात कर दिये जा रहे हैं और क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

बस्ती जिले के दनघटा थाने में १ जनवरी, १९६३ से आज तक केवल दो सिपाही ऐसे हैं जिनका अन्यत्र तबादला हो जाने के बाद पुनः उसी थाने में तैनाती की गई। उनका विवरण निम्न प्रकार है:

१—कान्सटेबुल, नागरिक पुलिस, श्री राम प्रसाद राम—

जून, १९६३ में इनका तबादला पुलिस नाका पुरानी बस्ती किया गया, थाना दनघटा के अन्तर्गत पड़ी एक डकैती के घटनास्थल का निरीक्षण करने जब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक गये तब थानाध्यक्ष की प्रार्थना पर उन्हें उक्त थाने पर पुनः तैनात किया गया।

२—कान्सटेबुल, नागरिक पुलिस, श्री रामलखन मिश्रा—

इन्हें बाढ़ के समय जुलाई १९६४ में थाना दनघठा की स्वीकृत संख्या से अधिक कांस्टेबुल की हैसियत से कुछ समय के लिये तैनात किया गया था। ६ अक्तूबर, १९६४ को इन्हें स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत पुनः उक्त थाने में तैनात किया गया है।

१२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिलों के दनघटा थाना क्षेत्र में १ जनवरी, १९६४ से आज तक कितने कत्ल, डाके, नकबजनियां, बलवे, राहजनियां आदि हुई हैं? उनमें कितने का चालान हुआ, कितने में अदालत से सजायें हुई और क्या-क्या और कितने में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया गया तथा क्यों?

श्री हरगोविन्द सिंह—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'प' आगे पृष्ठ ४५२–४५३ पर)

जसपुरा ब्लाक में चोरी, डकैती व कत्ल

१३—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिला के अन्तर्गत जसपुरा ब्लाक में सन् सन् १९६३ ई० तथा तथा १९६४ ई० में कितने डाके तथा कत्ल हुये हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ब्लाक जसपुरा जिला बांदा में सन् १९६३ में ३ डकैती व ४ कत्ल तथा १९६४ में ६ डकैती व ६ कत्ल की घटनाएं हुईं

१४—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बांदा जिले के जसपुरा ब्लाक में गत वर्ष ब्लाक के कार्यालय से तिजोरी सहित कितनी धनराशि चोरी गई थी? उस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस ब्लाक में मय तिजोरी के १५,००० रुपया नकद चोरी की रिपोर्ट थाना पैलानी में १३–७–६४ को दर्ज कराई गई थी जिसके आधार पर एक मुकदमा कायम किया गया। विवेचना के दौरान में तिजोरी एक गांव की जमीन में पड़ी पाई गई जिसमें १२,४९५ रुपये, पैसे नकद एवं १६६२ रु० का ड्राफ्ट प्राप्त हुआ था। ब्लाक के हिसाब की जांच कराई गई परन्तु आडिट रिपोर्ट के अनुसार कोई गबन नहीं पाया गया। विवेचना के उपरान्त मुकदमें में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई।

१५—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या सरकार जसपुरा ब्लाक की विशेष जयराम परिस्थिति को देखते हुये वहां पुलिस का थाना खोलने का पर विचार करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह क्षेत्र जिला हमीरपुर की सीमा पर है। आवश्यकतानुसार यहां एक अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित कर दी गई है। थाना खोलने का इस समय कोई विचार नहीं है।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत प्रचार अधिकारी का चयन

१६—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कोई चुनाव प्रचार एवं नियोजन अधिकारी का उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में दिनांक १९ अक्तूबर, १९६४ को हुआ था ? यदि हां, तो उसमें साक्षात्कार के लिये उपस्थित व्यक्तियों की योग्यतायें प्रमाण-पत्रों के आधार पर क्या थीं तथा चुने गये व्यक्ति की क्या योग्यतायें हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लिये प्रचार एवं नियोजन अधिकारी के चयनार्थ हुये साक्षात्कार में उपस्थित व्यक्तियों की, प्रमाण-पत्रों के आधार पर योग्यतायें संलग्न विवरण †पत्र में अंकित हैं तथा उपर्युक्त पद के लिये जो व्यक्ति चुना गया है उसकी योग्यतायें उक्त विवरण-पत्र में क्रमांक ५ पर दी हैं।

गन्ने का भाव

१७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार गन्ने का भाव प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में क्या-क्या घोषित किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रदेश में कुल ७२ चीनी मिलें हैं। उनमें से ६७ चीनी मिलों में सीजन १९६४–६५ के लिये ५.३६ रुपया प्रति क्विन्टल तथा ३ चीनी मिलों में ५.४० रुपया और शेष २ चीनी मिलों में ५.४८ रुपया तथा ५.५२ रुपया प्रति क्विटल क्रमशः निम्नतम गन्ने का भाव राज्य सरकार ने ने केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार घोषित किया है।

१८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[पहले सोमवार के लिये प्रश्न संख्या २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

फतेहपुर जिले में सैनिकों के आश्रितों को सहायता

१९—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नागरिक परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा नागरिक परिषद् जिला फतेहपुर को कुल कितना धन सीमायुद्ध में मृतकों अथवा लापता सैनिकों के आश्रित परिवारों के लिये दिया गया ?

---

†छापा नहीं गया।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

३,५०० रुपये ।

२०—श्री रक्षपालसिंह—

क्या यह सही है कि जिला नागरिक परिषद् फतेहपुर द्वारा जो रुपया उक्त व्यक्तियों को देना स्वीकार कर लिया गया था उसे उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् ने रोक दिया है अथवा वापस ले लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं ।

पिंडरा ब्लाक में हरिजनों को सहायता

२१—श्री ऊदल—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६३ में पिंडरा ब्लाक, जिला वाराणसी से कितने हरिजनों को मकान बनाने, कुआं बनाने एवं मुर्गीपालन के लिये कितना-कितना रुपया दिया गया ? उनके नाम तथा गांव क्या हैं और उक्त कार्य किये गये या नहीं ?

डाक्टर सीताराम—

सन् १९६३ में वाराणसी जिले के पिण्डरा ब्लाक में हरिजनों को कूप निर्माण हेतु दिये गये धन तथा कार्य पूर्ति की सूची संलग्न है । मकान बनाने तथा मुर्गीपालन हेतु किसी को धन नहीं दिया गया ।

(देखिये नत्थी 'फ' आगे पृष्ठ ४५४ पर)

२२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[पहले सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

मछलीशहर तहसील में उद्योगों के लिए सहायता

२३—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५८–५९, १९५९–६०, १९६०–६१, १९६१–६२, १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में जौनपुर जिले की मछलीशहर तहसील में लघु उद्योगों को चलाने के लिये किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना धन किन-किन उद्योगों के लिये दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

२४—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह उपरोक्त प्रश्न के अन्तर्गत जिन उद्योगों को चलाने के लिये धन दिया गया उनमें कौन से उद्योग धन्धे प्रारम्भ हुये और जिन व्यक्तियों ने धन लेकर काम नहीं किया उनके साथ क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के निकट सिनेमा

२५—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के तेलिया बग चौराहे से सटा हुआ पश्चिम तरफ एक बहुत बड़ा सिनेमा हाउस ५–६ वर्ष से अधूरा बन करा, सरकारी इजाजत न मिलने से, क्योंकि विश्वविद्यालय से वह आधा फर्लांग से कम दूरी पर था, बन्द पड़ा था, उसे चलाने की इजाजत सरकार ने दे दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह कहना सही नहीं है कि संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के तेलिया बाग चौराहे के पास पश्चिम तरफ एक सिनेमा हाउस विश्वविद्यालय से आधा फर्लांग से कम दूरी पर होने के कारण सरकारी इजाजत न मिलने से वह ५–६ वर्ष से अधूरा बन कर बंद पड़ा था। सही स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय के स्थान से लगभग एक फर्लांग से अधिक दूरी के स्थान पर सिनेमा घर बनाने के लिये श्री दामोदर दास सर्राफ का प्रार्थना-पत्र सन् १९५६ में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना को पहले अस्वीकृत कर दिया गया था क्योंकि प्रस्तावित सिनेमा का स्थान विश्वविद्यालय के समीप था। बाद में प्रार्थी ने पुनः प्रतिवेदन दिया कि चूंकि उनके सिनेमा का स्थान एक विश्वविद्यालय से एक फर्लांग से अधिक दूरी पर है अतः सिनेमा संबंधी नियमों का उल्लंघ नहीं होता और उनकी प्रार्थना को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। चूंकि यह स्थिति सही थी अतः उनकी प्रार्थना पर नियमानुकूल पुनः विचार किया गया, और सिनेमा के नक्शे इत्यादि पास किये गये। इसी बीच में सिनेमा संबंधी नियमों में संशोधन हो गया जिसके अनुसार विश्वविद्यालय से २ फर्लांग के रेडियस में सिनेमा नहीं बन सकता था। अतः सरकार ने संबंधित नियम से छूट देते हुए उक्त सिनेमा घर के बनाने की अनुमति प्रदान की है।

२६–२७—

[हटा दिये गये।]

भ्रष्टाचार

२८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भ्रष्टाचार कमेटी युक्त प्रान्त के समक्ष कितने सरकारी गजटेड आफिसर्स के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं और उनमें किन-किन मामलों की जांच समाप्त हो चुकी है और कितने मामलों की जांच करना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

भ्रष्टाचार कमेटी युक्त प्रान्त नाम की कोई कमेटी प्रदेश में नहीं है।

२९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या प्रदेश के ४५ गजटेड आफिसर्स के विरुद्ध भ्रष्टाचार की रिपोर्ट अब तक सरकार के पास भ्रष्टाचार कमेटी ने भेजी है ? यदि हां, तो वह अधिकारी किन-किन विभागों के हैं तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८ में प्रख्यापित संशोधन*

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम १९४८ में:—

(क) वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ४६४५/१०–९०२०–(६३)–१९५०, दिनांक २९ अगस्त, १९६४,

(ख) वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ६८११/१०–९४८(१)–६३, दिनांक १६ सितम्बर, १९६४।

(ग) वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस०टी०९०७७/१०–९४८–६२, दिनांक १४ सितम्बर, १९६४, तथा

वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस०टी ९४६४/१०––९४८(२)–६४, दिनांक १ जनवरी, १९६५,

के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्ति†

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३–क के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस०टी० ७५३६/१०–१०१२ (१)–६४, दिनांक १२ दिसम्बर १९६४ को, उक्त धारा ३–क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

समाचार-पत्र में दल का गलत उल्लेख किये जाने पर श्री लखीसिंह की आपत्ति

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जो बहुत जरूरी है। मेरा नाम जनसंघ सदस्य के रूप में अखबार वाले छाप देते हैं। और अंग्रेजी अखबार वाले तो और अर्थ को अनर्थ करते हैं। हिन्दी के अखबारों में तो मेरा कल का भाषण छपा ही नहीं। इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हमारी पार्टी में कुछ अभी ऐसा हुआ है कि लोग इधर-उधर भाग रहे हैं। अब हमारा नाम अगर जनसंघ पार्टी में छप जायगा तो व्यवस्था खराब होगी। आप अखबार वालों से कहें कि ठीक से हमारा नाम छापा करें, या इनको इधर बीच में बैठायें ताकि ठीक से सही रिपोर्ट छाप सकें।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी में गड़बड़ी है। वे अब सही पार्टी में आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय लखीसिंह ने स्वयं पैरवी कर ली है। मुझे आशा है कि समाचार-पत्र वाले ध्यान रखेंगे।

---

*छापे नहीं गये।

†छापी नहीं गयी।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मेरे पास एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है । माननीय टम्बेश्वरप्रसाद और माननीय सुखलाल जी का । उन्होंने शिकायत की है कि बस्ती जिले में होने वाले उप-निर्वाचन में सरकारी कर्मचारी खुलकर कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं तथा मत-दाताओं पर कांग्रेस के समर्थन में दबाव डाल रहे हैं । चूंकि यह न्याय याचिका का विषय है और हमारे पास ऐसे दृष्टांत मौजूद हैं कि न्याययाचिका से संबंधित प्रश्न न लिया जाय अतः मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, अगर सरकार यह कहती है कि यह न्याय याचिका का प्रश्न है तो और बात थी, परन्तु अध्यक्ष पद से यह व्यवस्था होना हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है । वहां पर सरकारी कर्मचारी और अफसर मतदाताओं पर दबाव डाल रहे हैं । मैंने माननीय मुख्य मंत्री को भी इस बात की शिकायत की थी ।

श्री अध्यक्ष—

नियमानुसार मैं इसे अस्वीकार कर चुका हूं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, यह तो न्याय संगत नहीं है कि सरकार तो कुछ न कहे और आप उसे अस्वीकार कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो मजबूर हूं ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

मालूम होता है इनका उम्मेदवार हार रहा है । जितनी बातें हैं ये गलत हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आपने मुझे नियमों से बांध दिया है । जो हमारे नियम हैं और जो हमारे दृष्टान्त मौजूद हैं, उन्हीं के आधार पर यह मैं निवेदन कर रहा हूं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमान्, आप ऐसा तो करें.....

श्री अध्यक्ष—

यह विषय समाप्त हो चुका है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमान्, यह तार आया है कि कांग्रेसी, अध्यापकों से जबरदस्ती काम करवा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने सुन लिया है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

श्रीमन्, आपके पास पहले भी एक शिकायत हुयी थी । कम से कम सरकार से तो पूछ लीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

अगर मुझे सरकार को यह सूचना न देनी होती तो मैं यह बतलाता नहीं । मैंने आपकी बात बता दी कि आपकी शिकायत है । आप अब संतोष कीजिए ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

माननीय राम किशोर और श्री उग्रसेन जी की नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुयी हैं । उन पर मैंने आदेश दे दिए हैं, आप चाहें तो देख लें । मैंने उन्हें भी अस्वीकार कर दिया है ।

उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी के लिये ४ सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केंद्रीय कमेटी में कार्य करने के लिये उक्त समिति के विधान और नियम संख्या १२(ख) (आ) के अनुसार विधान सभा के ४ सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केंद्रीय कमेटी में कार्य करने के लिये उक्त समिति के विधान और नियम संख्या १२(ख) (आ) के अनुसार विधान सभा के ४ सदस्यों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने कल से आपसे निवेदन किया था और मेरी जानकारी यह है कि कौंसिल ने पत्रकारों को अपने पुराने स्थान पर बैठने की आज्ञा दे दी है । आप भी इसी प्रकार सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करें और हो सके तो तुरन्त व्यवस्था करें ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—

अब महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर वादविवाद जारी रहेगा ।

†श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के संबोधन पर कुछ समस्यायें पैदा हुईं, कुछ इल्जामात और जवाबी इल्जामात हमारे सामने आये । मैं पहले उनको साफ कर देना चाहता हूं ताकि एक स्वस्थ वातावरण पैदा हो जाय और दिमागी उलझाव न रहे । पहली बात जिसका जिक्र परसों भी किया था कि राज्यपाल महोदय के खिलाफ कोई डिसरिस्पेक्ट, कोई अपमान का रवैया किसी का नहीं था । यह तयशुदा बात है कि इसमें कोई बहस नहीं ।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।
* १० फरवरी, १९६५ की कार्यवाही से ।

दूसरी बात यह कि जब हमने यह मतालबा किया कि यह सरकार हटे तो हमारा कतई यह खयाल नहीं था कि इस व्यक्ति को लाया जाय, या उस व्यक्ति को लाया जाय। हमारी दिलचस्पी तो नीतियों से है। जो सही नीतियों का पालन करेगा हम आगे बढ़ कर उसका समर्थन करेंगे और जो गलत नीतियों का पालन करेगा हम उसका विरोध करेंगे। इसलिये कांग्रेस पार्टी के अन्दर जो झगड़े हैं उनको कांग्रेस पार्टी तय करे, हमारा ताल्लुक उनसे कतई नहीं है। हम तो सीधे तौर पर नीतियों के सवाल पर सरकार का विरोध करते हैं।

तीसरा सवाल यह है कि पार्लियामेंटरी डिकोरम को हम मानते हैं अथवा नहीं। कम से कम मैं यह कहने का अधिकारी हूं कि जब कभी हमको मौका मिला मैंने इस बात पर जोर दिया कि पार्लियामेंटरी इदारों को हमें बचाना है। हमारी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन अगर पार्लियामेंटरी सिस्टम खत्म हो जाता है तो उसका आल्टरनेटिव हमारे देश में डिक्टेटरशिप है और आज कल की दुनिया में डिक्टेटरशिप की बात करने का मतलब यह है कि जनता के हितों को रौंदना जनता की आवाज को दबाना। इसलिये हम पार्लियामेंटरी सिस्टम को कायम रखना चाहते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसी विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जबकि सब्र का प्याला लबरेज हो जाता है और उस वक्त सरकार जनता के जजबात का आदर नहीं करती है और अपने तरीके से चलने लगती है तो फिर पार्लियामेंटरी इंस्टीट्यूशंस लड़खड़ाने लगती हैं। मैं समझता हूं कि हमारे ज्यादातर भाई इतिहास को जानते हैं कि यूरोप में क्या हुआ। वहां जब सरकारें गलत रास्ते पर चलने लगीं, जनता के हितों को नजर-न्दाज करने लगीं, तो पार्लियामेंटरी इदारे बिखरने लगे। और कहीं कहीं तो जैसे कि फ्रांस में, जर्मनी में प्रतिक्रियावादी ताकतों ने उसका इस्तेमाल किया और पार्लियामेंटरी इंस्टीट्यूशन्स को तोड़ कर फासिस्ट इंस्टीट्यूशन्स पनपाये। हम चाहते हैं कि अगर हमको पार्लियामेंटरी इंस्टीट्यूशन को बचाना है, तो सरकार को मुतवातिर जनता की नब्ज पर हाथ रखना चाहिये। अगर नहीं रहता है तो अन्दर विरोध पैदा हो जाता है इस इंस्टीट्यूशन में और जनता की भावनाओं में जिसका असर हमारे पार्लियामेंटरी इंस्टीट्यूशंस पर भी पड़ता है।

मुझे तो कभी-कभी दुख हो जाता है इस बात पर कि हमारी सरकार जो जनता की चुनी हुई सरकार है, वह क्यों नहीं देखती है कि जनता की क्या हालत है। मैं मिसाल के तौर पर रखना चाहता हूं जो आजकल दक्षिणी भारत में हो रहा है। मैं उस समय मद्रास में ही था। हम सब चाहते हैं कि हिन्दी भाषा राष्ट्र भाषा बने। ऐसी संभावना पैदा हो कि मद्रास का आदमी यहां आये, यहां का आदमी वहां जाये, यहां की सरकार वहां लिखे और वहां की सरकार यहां लिखे तो इसका माध्यम एक भाषा होनी चाहिये और वह हिन्दी होनी चाहिये। अंग्रेजी हमारे देश की भाषा का माध्यम नहीं हो सकती है। डी०एम०के० एक प्रतिक्रियावादी संगठन है जो हिन्दुस्तान का विभाजन कराना चाहती है। उसने एक समस्या खड़ी कर दी है जिसको सुलझे हुये तरीके से तय करना चाहिये। हमारे मुख्य मंत्री ने यह कहा कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। इस पर एक तूफान मच गया। उसे देखकर मुझे तो १९४२ के अन्दोलन की बात याद आती थी। किस तरह से पढ़े-लिखे लोग, स्टूडेंट्स और आम जनता ऊधम कर रही थी। मैं जानता हूं यह गलत था और इसको रोकना चाहिये था। लेकिन बजाय इसके कि उनके ऊपर पुलिस के डंडे पड़े, गिरफ्तार किया गया और जिसने झंडा लगाया उसके ऊपर पुलिस टूट पड़ी, उनको समझाना चाहिये था। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिये आपको जनता को समय देना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा और जबरदस्ती अगर आप चाहें तो यह चीज नहीं चलेगी। यह बड़ी जटिल समस्या है इसको हमें आहिस्ता-आहिस्ता बड़ी मुस्तैदी के साथ और सोच समझकर सुलझाना होगा। हम आहिस्ता-आहिस्ता देश को आगे ले जाना चाहते हैं।

इसी तरह से गल्ले का सवाल है। मैं जानता हूं कि न सिर्फ इस तरफ के लोग बल्कि उस तरफ के लोग जो सरकारी बेंचेज पर बैठते हैं, उनसे से एक एक एम०एल०ए० महसूस करता है, क्योंकि जब वह अपनी कांस्टीटुएंसी में जाता है तो वहां वह सिटपिटा जाता है।

[श्री जेड० ए० अहमद]

वहां तो वह मजबूर हैं । लेकिन यह हकीकत है कि गल्ले की समस्या बड़ी टेढ़ी है और इसको हम संभाल नहीं सके हैं । आप पंजाब चले जाइये, आंध्र में चले जाइये, किसी की सूबे में चले जाइये, आप देखेंगे कि वहां के लोगों ने उसको संभाला है । लेकिन हमारे यहां हालत बदतर होती चली जा रही है । एक फसल गई, दूसरी फसल अच्छी है इसलिये हालत ठीक हो जायगी लेकिन वह भी गुजर गई । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में है कि दूसरी फसल आ गई है उसका इंतजार किया जाय । क्या कोई ऐसी नीति नहीं है जिसको लेकर हम कार्य कर सकें । हमारे मिश्रा जी ने कल कहा था कि हम ने सब कुछ कर लिया है, इससे ज्यादा क्या करें ।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

आप जरा सुझाव दे दीजिये ।

श्री जेड०ए० अहमद—

मुझे बोलने दीजिये । मैं ऐसी बात कह रहा हूं जिसे सब सुन रहे हैं । मैं कांकरीट सजेशंस भी दूंगा । एक-एक फसल के इन्तजार में हम कब तक बैठे रह सकते हैं ? एक एक फसल पर हम निर्भर नहीं रह सकते, हमें कोई कदम उठाना चाहिये । आज वास्तविक समस्या क्या है ? नेचुरल कलैमिटीज का आज सवाल नहीं है । आज हिन्दुस्तान में हमारी प्लानिंग के ऊपर करोड़ों रुपये का जो खर्च हुआ है, उसके बाद भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो यह हमारे लिये शर्म की बात है । लेकिन इसका कारण आज क्या है ? चूंकि दौलत का बंटवारा सही तौर पर नहीं हुआ है । हमने समाजवाद की बात कही है, किन्तु समाजवादी वसूलों की तरफ हम तनिक भी नहीं बढ़े हैं । समाजवाद का मतलब है कि धन का बंटवारा हो । अमीर जमा न करें और उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो । गरीब के पास भी पैसा हो उसका भी पेट भरे, उसकी भी जरूरतें पूरी हों । किन्तु आज क्या है ? आज दौलत कुछ हाथों में केंद्रित होकर रह गई है और वह दौलत सीधे तौर पर दिखाई नहीं देती । उस दौलत का दूसरों के शोषण के लिये इस्तेमाल हो रहा है । यह ब्लैकमनी कहां है और कितना है ? क्या आपने इस बात का अन्दाजा किया ? श्री टी०टी० कृष्णामाचारी ने कहा सिर्फ १ दिन के अन्दर कलकत्ता में १० करोड़ रुपया निकला । ऐसे ही ब्लैक मनी का रुपया आज अनाज की होर्डिंग में लगा हुआ है । रिजर्व बैंक ने ही सौ, डेढ़ सौ करोड़ रुपया अनाज की खरीद के लिये दिया है और उससे गल्ला खरीद कर जखीरेबाजों ने भर लिया है । वह गल्ला खरीदने चले जाते हैं और अपने पास जमा करके रख लेते हैं, कभी किसानों के पास रखवा देते हैं । और इस तरह से खरीद कर जमा कर लेने के बाद सट्टेबाजी करते हैं और देश के अन्दर बनावटी अकाल पैदा करते हैं । ऐसी स्थिति में यह बड़ा जरूरी है कि सरकार गल्ले का व्यापार करे, इस चीज को अपने हाथ में ले । जब तक स्टेट ट्रेडिंग बड़े पैमाने पर नहीं होगी यह हमेशा समस्या बनी रहेगी, कभी सुलझ नहीं सकती और आप हमेशा मजबूर होंगे और उनके पैरों पर गिरेंगे । और अपनी पालिसी इन्हीं के इशारे में बनाते और बदलते रहेंगे । इसलिए स्टेट ट्रेडिंग बड़े पैमाने पर आज करना जरूरी है । आप कहते हैं कि जखीरेबाजी का कारण ब्लैकमनी है । तो क्या आप ब्लैकमनी सारा दो दिन में पकड़ लेंगे ? आप नहीं कर सकेंगे इसके लिये यही रास्ता है कि स्टेट ट्रेडिंग हो । व्यापारियों और आढ़तियों के पास बेशुमार रुपया भरा रहेगा और वह अनाज खरीद करके रखते रहेंगे । उनको क्या १६ रुपये मन में खरीद लिया और २५ रुपये में बेंच दिया, १ लाख के डेढ़ लाख पैदा कर लिये । जब तक चाहें तब तक अनाज अपने गोदामों में रोके रहें और जब चाहा तब मनमाने भाव पर बेंच दिया । सरकार के पास गल्ला खरीदने का प्रबन्ध होना चाहिये ताकि इसकी लगाम आपके हाथ में रहे । श्री नेगी जी इसको तस्लीम कर रहे हैं, और इस चीज के लिये क्या सरकार पर दबाव डालेंगे । यदि गवर्नमेंट के चलते चलते यह परिस्थिति रही तो यह ठीक नहीं है ।

सरकार कहेगी कि हम इतना बड़ा स्टेट ट्रेडिंग का काम कैसे कर सकते हैं हमारे पास साधन नहीं है। मैं कहता हूं कि आप करने का इरादा तो करें, आढ़तियों और व्यापारियों के जो एजेंट हैं उनको आप अपने यहां इम्पलाए कर लें, उनको कमीशन दिया जाये,उनको तनख्वाह दी जाये और और इन्हें अपने यहां काम दिया जाये, हम नहीं कहते कि इन्हें बेरोजगार किया जाये। इनको आप काम दें। बैंकों को नेशनलाइज किया जाये। यह जो लोन्स दिये जाते हैं, जिससे सट्टे-बाजी की जाती है इसे आप रोकिये। क्या यह नहीं रोका जा सकता? क्या यह बातें गवर्नर साहब के एड्रेस में नहीं आ सकती थीं? हम यह देखना चाहते थे कि आज की इस खाद्य समस्या और मंहगी पर फूड मिनिस्टर और गवर्नर साहब क्या कहना चाहते हैं और वह इस पर क्या कदम उठा रहे हैं? गवर्नर साहब ने इस अनाज की दिक्कतों के बारे में कुछ नहीं कहा। यह ठीक नहीं है कि केन्द्र का रोना रोया जाये उसको दोष दिया जाये। जब तक आप अपनी जरूरत का अनाज प्रोक्योर नहीं करते तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती और सदा आपको केन्द्र का रोना रोना पड़ेगा। गवर्नर साहब के एड्रेस में इस बारे में कोई बात नहीं कही गई।

इस बार से गवर्नर साहब का भाषण भी कितना छोटा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, इसे देखकर मैं समझ ही नहीं पाता कि किस पर बोला जाये, बोलने के लिये तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो मैं इस पर किस तरह बोलूं? मुझे मालूम पड़ता है कि हर विभाग के सेक्रेटरियों से कहा गया है कि अपने विभाग से सम्बन्धित कुछ लिखकर दे दीजिये। उन्होंने २-३ लाइनें लिखकर दे दीं और सबको मिलाकर गवर्नर का एड्रेस तैयार हो गया। प्रदेश की देखभाल के लिये यह तरीका होता है? किस तरफ आप कदम उठाने वाले हैं, एक एक विभाग के अन्दर आप क्या नया पहलू पैदा करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर आप कितनी पुरानी कमजोरियों को दूर करेंगे गवर्नर एड्रेस के अन्दर यह सब चीजें आयें। मैं समझता हूं कि मैं ऐसी यह कोई बात नहीं कर रहा हूं जो पार्लियामेंट्री इस्टीट्यूशन के खिलाफ हो। यह पार्लि-यामेंटरी सिस्टम का तकाजा है कि गवर्नर के एड्रेस में आने वाले साल भर के नये परिवर्तन और नये कदम, जो आप उठाने जा रहे हैं, उनका इशारा होना चाहिये ताकि लेजिस्लेचर उसको देखकर अपना सुझाव दे सके और सुझाव देकर उन पर मजबूती के साथ कदम उठाया जा सके।

हम समाजवाद की बात करते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि हिन्दुस्तान का बहुमत समाजवाद चाहता है। मैं यह भी मानता हूं कि बावजूद इसके कि कांग्रेस गवर्नमेन्ट वह कदम न उठाये, लेकिन कांग्रेस के अन्दर बहुत ऐसे लोग हैं जो दिलीतौर पर समाजवाद चाहते हैं। फिर भी मुझे अफसोस है कि हमारे कांग्रेस भाई खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने यह किया और वह किया। हमको जरा आलोचनात्मक रवैया भी तो अपनाना चाहिये। सिर्फ आप चिल्लाते रहें और अपनी सीट की हिफाजत करते रहें तो यह कोई ऐसी बात नहीं है जिससे यहां की समस्या हल हो सके। पार्लियामेंट्री सिस्टम का यह भी तकाजा है कि आपकी तरफ से कंक्रीट सजेशन आयें। यह नहीं होना चाहिये कि महज एक तारीफ की बात कह दी और खत्म। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बुनियादीतौर पर इस तरह से सोचने का ढंग दूसरा है जो मुझे उलझा हुआ नजर आता है। अगर मुल्क खत्म हो जायगा तो न आपकी सीट रहेगी और न मेरी। अगर जनता के अन्दर असन्तोष पैदा हो जाता है तो किसी की सीट भी नहीं रहेगी। हमारे भाई मिश्रा जी ने कल कहा कि देखिये हमारे यहां पार्लियामेंट्री एलेक्शन हुए और असेम्बली के एलेक्शन हुये और उनमें हम जीत गये। मसला सिर्फ इतना नहीं है कि नहले पर दहला मार दिया और काम हो गया। पार्लियमेंट या असेम्बली के एलेक्शन जीतना कोई कसौटी नहीं है। लोगों के दिल को जीता जाय वही उसकी कसौटी है। हकीकत यह है कि एलेक्शन के अन्दर ४०, ४२ परसेन्ट जनता हिस्सा लेती है और उसमें कांग्रेस जीत जाती है क्योंकि विरोधी दल संगठित नहीं है। वह भी बटा हुआ है। आपको इस सवाल को फंडा-मेंटल तरीके से सोचने की जरूरत है कि जिस चीज को बहुमत कहे उसको ठीक माना जाय। आप उस सिस्टम को यहां पर मानने के लिये तैयार नहीं हैं जो फ्रान्स में है, जो जर्मनी में है। अगर उस प्रपोर्शनल रिप्रिजन्टेशन की बात मान लें तो फिर आपको मालूम हो जाय कि मेजा-

[श्री जेड० ए० अहमद]

रिटी क्या चाहती है। सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट के आधार पर आप यहां पर एलेक्शन कराते हैं। अगर उस तरह से यहां पर कर दिया जाय तो आप अल्पमत में तब्दील हो जायं और इधर के लोग उधर पहुंच जायं।

मैं इस बात को भी मानता हूं कि हम डिवाइडेड हैं। हमारा अपोजीशन एक नहीं है वह बुनियादी तौर पर दो टुकड़ों में बटा हुआ है। एक अपोजीशन वह है जो वाम पक्ष से आपका विरोध करता है, जो उसी खान्दान से निकला है जिससे हम और आप निकले हैं। उसमें हम अपने को शरीक करते हैं, समाजवादी हैं, समाजवादी भाइयों को शरीक करते हैं, इंडिपेन्डेन्ट को शरीक करते हैं और रिपब्लिकन को शरीक करते हैं। दूसरे वह हैं जो हमारे भाई जनसंघ में बैठते हैं और दूसरी तरफ कुछ स्वतन्त्र पार्टी के भाई बैठते हैं। ये हमारे खान्दान के नहीं हैं। मैं कहता हूं कि कांग्रेस जो हमारी राष्ट्रीय संस्था है रही है, जिसके झंडे के नीचे हम सब ने खड़े हो कर देश की आजादी हासिल की है और अपनी परम्पराओं को रखा है, करांची प्रस्ताव को आप याद रखें और फंडामेन्टल राइट के प्रस्ताव को भी याद रखें और जितनी बातें उन प्रस्तावों में कही गई हैं उनको भी याद रखें, लेकिन जो दल सामन्तवादियों और बड़े बड़े महाजन और पूंजीपतियों की यहां पर नुमायन्दगी करते हैं मैं उनका विरोध करता हूं। मैं यह चाहता हूं कि यह हो और तभी जा कर इस हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र की धारा बहेगी। मैं बिलकुल इस राय का हूं। आप हमें हटा दें या हम आप को हटा दें इससे मसला हल होने वाला नहीं है। मैं जनसंघ को बहुत खतरनाक समझता हूं। फासिज्म हमेशा राष्ट्रवाद की शक्ल में आया है। हमारे यहां तो गोली मारने की प्रथा नहीं है। महात्मा गांधी या पं० नेहरू होते तो उनके सामने इन सामन्ती नुमाइन्दों की बात चलती नहीं। जिसे गोली मारना होगा उसे हम मारेंगे, लेकिन तुम्हारी जबान से नहीं, तुम्हारे दृष्टिकोण से नहीं। हम जनता का जो दुश्मन है उसे देखेंगे। लेकिन फिर भी हम अपनी बात अपने कुछ उसूलों के साथ ही चलायेंगे उन्हीं को लेकर आगे बढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज बड़ा असंतोष है और इसे आप को देखना चाहिये। यह बढ़ता जा रहा है और बढ़ते-बढ़ते यह फटेगा। यह काफी जमा हो चुका है। आजकल का प्रदर्शन देखिये। दुनिया में कोई चीज बिना बेसिस के आर्गनाइज नहीं होती। चर्चिल कहता-कहता मर गया कि यह लंगोटी वाला ब्राह्मणों का राज्य बनाना चाहता है, लेकिन उसी चर्चिल को हमारी हिन्दुस्तान की जनता ने लात मार कर बाहर फेंक दिया। आज एक रुपये १० आने सेर अरहर की दाल, १ रुपये का १० छटांक गेहूं जो बिक रहा है इससे ७५ और १०० रुपये तनख्वाह वाले तो क्या हम लोग भी परेशान हैं। इस लिये सुचेता जी सोचें। हम और आप ईमानदार हैं तो सोचें। हमको इसके लिये बुनियादी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हिन्दुस्तान आज जहां खड़ा है वहां रहेगा नहीं, या तो यह काम वाम पक्ष के हाथ में चला जायगा यह हम लोगों के हाथों में आयेगा जो ईमानदार हैं। हम इस लड़ाई को एक राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे की शक्ल में देखते हैं, लेकिन हमारा मुकाबला उन लोगों से ही होगा जो देश को पीछे ले जाने वाले हैं, जो हिन्दुस्तान में खून की नदियां बहाना चाहते हैं, जो पूंजीपतियों की बुनियाद पर खड़े हैं, जो नाथूराम गोडसे द्वारा राष्ट्रपिता बापू की हत्या करवा कर आज खड़े हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि डिवीजन हो और आप सोचें। आप समाजवाद की तरफ सोचें और इन चीजों को सुलझायें।

आखिर में मैं एक बात सुचेता जी से कहना चाहता हूं और इस पर वह इनिशियेटिव ले कर सोचें। जब वह चीफ मिनिस्टर बनी थीं तो मुझे बड़ी खुशी थी कि हमारी एक बहिन चीफ मिनिस्टर बनी, लेकिन वह मुझे माफ करें यह बात कहने के लिये कि उनमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग की कैपेसिटी नहीं है। उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिसिएन्सी नहीं है। उनका यहां के बारे में व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। सेक्रेटरीज के हाथों में फाइलें चलती हैं....

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

यह व्यक्तिगत आक्षेप है....

श्री जेड० ए० अहमद—

जी नहीं, यह व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है। मैं उनसे अपील करूंगा कि वे यू० पी० को सम्भालें, क्योंकि यह बहुत पिछड़ा हुआ है। जब मैं दूसरे प्रान्तों में जाता हूं तो वहां की तरक्की देख कर मुझे अपने यहां की हालत पर बड़ा दुख होता है। वह प्रान्त जो हमेशा राष्ट्रीय आन्दोलन में अगुआ रहा, आज वह शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। आज जो असंतोष लोगों में है, उसको कम करना पड़ेगा। यू० पी० को उठाना पड़ेगा। आज जो करोड़ों रुपया ब्लाक्स में खर्च हो रहा है उसका ठीक से उपयोग नहीं हो रहा है। उद्योगों के लिये रुपया जाता है, हरिजनों के लिये रुपया जाता है, मगर उसका इस्तेमाल नहीं होता। लोक लेखा समिति में रहकर मैंने इन बातों को देखा। तो कभी-कभी सोचता हूं कि मैं असेम्बली में न होता तो अच्छा होता।

आज अपने जीत जाने की बात कहते हैं। हिन्दुस्तान इतना बड़ा देश है, आप १०—५ इलैक्शन जीत जायेंगे। मगर हिन्दुस्तान की जनता अगर भूखी और नंगी रहेगी तो वह चुप नहीं बैठेगी, वह दिन आयेगा जब जनता बगावत करेगी। वह दिन मत भूलिये जब बड़े बड़े राष्ट्रों ने करवटें बदली हैं। अपने आपको इन प्रतिक्रियावादी लोगों से आपको अलग रखना होगा। गल्ले की समस्या को हल करना होगा। बढ़ती हुई कीमतों को रोकना होगा। चोर बाजारी में जो धन लगा है उसे रोकिये, सरकारी नौकरों की मदद कीजिये, मास्टरों की मदद कीजिये, तब जाकर देश में ताकत पैदा होगी, राष्ट्र मजबूत बनेगा और समाजवाद तथा प्रजातंत्र की रक्षा हो सकेगी। आपको वह प्रयत्न करने होंगे जिससे लोगों में नयी जिन्दगी पैदा हो, लोगों को खाने को अन्न मिले, पहनने को कपड़ा मिले। मैं समझता था कि गवर्नर महोदय के एड्रेस में नये भारत की कुछ झलक होगी, मगर वह नहीं मिली। इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं, डटकर विरोध करता हूं, ईमानदारी के साथ विरोध करता हूं और सही पालिसियों के लिये हमेशा जब तक जिन्दा रहूंगा लड़ता रहूंगा।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण पर जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये, बड़े ध्यानपूर्वक सुना। राज्यपाल महोदय ने इस बार जो अपना अभिभाषण दिया है वह सभी माननीय सदस्यों के अनुसार बड़ा संक्षिप्त है। ठीक है, जब आदमी के दिल में गम होता है तो भाषा या विचारों को ज्यादा व्यक्त करने की इच्छा नहीं होती है और गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया जाता है। मैं समझता हूं कि अगर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को उनके एक-एक शब्द को हृदयंगम करते तो यह आलोचना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यह बात सही है कि हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि समस्त देश में इस वक्त खाद्य-संकट लगभग एक वर्ष से मुंह बाये खड़ा है और अनेकों चेष्टायें उसको कम करने की की गई हैं और उसमें पूर्णतया सफलता नहीं मिली है। यह बात सही है कि हमारे प्रदेश के नागरिक बड़े कष्ट में हैं और उनका कष्ट हमारे हृदयों को विदीर्ण करता है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक कि इसके समाधान का सवाल है कि कैसे किया जाय, गवर्नमेन्ट ने पूरी ईमानदारी और पूरी चेष्टा से और शक्ति से उसको सुलझाने की कोशिश की है। विरोधी दल से भी अभी हमारे माननीय सदस्य और बड़े समझदार व्यक्ति श्री जेड० ए० अहमद बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी ओर से कहने पर भी कि सुझाव दूंगा कोई सुझाव नहीं दिया सिवाय एक नुस्खा बताने के। इसके अलावा और किसी ने भी कोई सुझाव नहीं दिया। अगर यह देखा जाय कि हमें जनतन्त्र रखना है अपने देश में और साथ में हमें यहां गरीबी, अशिक्षा तथा

[श्री जगमोहन सिंहनेगी]

अनेक दिक्कतें दूर करनी हैं तो सर्वप्रथम हमें अपने देश के अन्दर जनतंत्र को कायम करना है। जहां तक जनतंत्र का सवाल है उसमें विचारों का आदान-प्रदान सर्वप्रमुख है और इसी के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। मानना पड़ेगा कि जनतन्त्र की प्रगति अन्य प्रगतियों के मुकाबिले में बहुत धीमी हुई है। मैं यह देख रहा था कि हमारे प्रदेश में पिछले दो तीन सालों से जो उत्पादन हुआ है उसमें घटोत्तरी हुई है और दैवी आपदाओं से अगर आप देखें सन् १९५१-५२ की तुलना में जब ९३ लाख टन ही पैदावार थी, उसके मुकाबिले में अगर हम अब १४० लाख टन के बजाय ११६ लाख भी मान लें तब भी २३ लाख टन की बढ़ोत्तरी हमें देखने को मिलती है। हमारे प्रदेश में जनसंख्या भी तो बढ़ी है। परन्तु मेरा यह भी कहना है कि फूड प्रडक्शन भी बहुत बढ़ा है और उस की गति धीमी नहीं की जा सकती। ७.५ परसेन्ट एकरेज फूड प्रोडक्शन में बढ़ा है और करीबन ५० परसेंट एकरेज आपकी कैश क्राप्स में हुआ है। यील्ड में भी आप देखें तो उसी अनुपात से कई लाख टन ज्यादा बढ़ा है। मगर उधर पापुलेशन भी बहुत बढ़ी है। इन चीजों को लगायें तो प्रोडक्शन में भी कमी नहीं की गई है। गणतंत्र के माध्यम से जितना किया जा सकता था वह सन्तोषजनक है। मैं अब भी कहता हूं कि आबादी बढ़ने की वजह से और कैश क्राप में ज्यादा जाने की वजह से अन्न के उत्पादन में कमी हो गई और अगर आप देखें कि हमारा कितना अन्न उत्पादन फूड ग्रेन्स का कम हुआ है तो आप आश्चर्य में पड़ जायेंगे और मैं इस बात को बताता हूं कि हमने अपने सूबे में तीन चार वर्षों में तीन चार लाख टन कुल वितरण किया था और इस एक साल के अन्दर १२ लाख टन से ऊपर यानी १३ लाख टन के करीब बांटा है। कल राधेश्याम जी एक अनुमान दे रहे थे कि अगर ११६ लाख टन उत्पादन भी माना जाय तो भी सांत छटांक के हिसाब से यहां की पापुलेशन को वह बांटा जा सकता है और इसलिए वितरण व्यवस्था खराब है। मगर मैंने देखा कि अगर १६ औंस के हिसाब से दें तो ११२.१७ लाख टन के करीब आपको जरूरत पड़ेगी अपने प्रदेश के अन्दर। मगर उन्होंने बीज को छोड़ दिया, बैलों को नदारद कर दिया और जो चूहे वगैरह खा जाते हैं, जो खराब होता है उसका भी हिसाब नहीं लगाया। अगर वह हिसाब भी लगाया जाय तो २३ लाख टन के करीब इन चीजों के लिए आवश्यकता पड़ेगी, जानवरों के लिए और बीज इत्यादि के लिए। तो इस तरह ४० लाख टन की कमी हुई है दो साल में। एक साल का अगर होता तो खरीफ की फसल मदद कर देती। लेकिन चूंकि दो साल मुतवातिर खराब गए इसलिए उसका असर पड़ा और अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। मुख्य कारण उसका यह है कि दो साल का गैप एक ही खरीफ की फसल से पूरा होना नामुमकिन था।

डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब चले गए। मैं उनकी एक बात की पुष्टि करना चाहता था। वह बात सही है। हमें सोचना पड़ेगा कि कीमतों के बढ़ने के कारण क्या हैं और कैसे इसको रोका जाय। शान्तिपूर्वक बैठकर बुद्धि लगाकर अगर हम सोचें तो इसका कोई न कोई हल निकल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम भाषण में तो कहें कि समाजवाद लाना है मगर कंट्रोल के बाबत कहें कि कंट्रोल ने सब व्यवस्था खराब कर दी। अगर समाजवाद लाना है तो कंट्रोल होगा और जरूर होगा। अगर समाजवाद नहीं लाना है तो कंट्रोल का कोई सवाल नहीं है फ्रीट्रेड रख सकते हैं। तो एक मुंह से दो बात कहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। एक तो कुछ विशेष कारण हैं जिनकी वजह से कीमतें बढ़ी हैं और दूसरे कारण साधारण कहे जा सकते हैं। मुख्य कारण जो हैं वह प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और मुद्रास्फीति। अगर हमको इस देश के अन्दर प्लानिंग नहीं करनी है तो कीमत अपनी जगह पर आ सकती हैं, लेकिन अगर आप को योजनाओं को चलाना चाहते हैं और भविष्य का सुख देखना है तो जरूर कीमतें बढ़ेंगी। बैंकिंग फैसिलिटीज के बाबत भी उन्होंने कहा, यह बात सही है और उन्होंने इस बात को कहा कि दोष यू० पी० का है लेकिन उन्होंने स्वयं अपने सवाल को काट दिया कि बैंकिंग के विषय में और प्लानिंग के मामले में एक आल इंडिया पालिसी है और उसके अन्तर्गत हम सबको चलना है। तो मैं कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट जरूरी है भविष्य के सुख के लिए। आज का सुख भविष्य के लिए दुख देने वाला होगा। यह आल इंडिया पालिसी की बात है।

उन्होंने कहा कि हम दक्षिण के प्रदेशों में हो आये हैं यू० पी० की हालत सब से ज्यादा खराब है। क्या देख आये हैं? क्या आपने देखा नहीं था दक्षिण में १७० रुपया क्विन्टल गेहूं था और बाम्बे में अब भी १४० रुपया प्रति क्विन्टल है। और किसी प्रदेश को देख लीजिये। गुजरात की परकैपटा इन्कम कितनी ज्यादा है; लेकिन वहां सब से ज्यादा भुखमरी है। एक बात यह कही गयी है कि तुम ठीक करो या निकल जाओ, नहीं तो हम और तुम कोई न रहेगा। ठीक है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट का सवाल आता है, जब टैक्सेशन का सवाल आता है तो जेड० ए० अहमद साहब जनसंघ के साथ मिल कर वाक आउट कर जाते हैं। कम्युनिस्टों ने पिछली दफा वाक आउट किया था। इस कारण कम्युनिस्टों पर किसी भी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। जनसंघ जिस तरह से देश को गारत करने में लगा हुआ है, उसी तरह से कम्युनिस्ट लोग भी लगे हैं, उनसे किसी हालत में कम नहीं हैं। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो टैक्स लगाने होंगे। समय समय पर सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन सब वे ऊंचा आदर्श जो देश प्रेम का है, उसको कभी नहीं छोड़ा जा सकता। अगर जनसंघ कहीं देशभक्ति में कमी करता है तो कम्युनिस्ट चीन के साथ मिल कर सब से ज्यादा देशद्रोहिता करते हैं। ठीक है, प्रतिक्रियावादी व्यक्तियों को आगे न बढ़ने देना चाहिये, लेकिन सर्वोपरि देश की स्वतंत्रता है।

एक सदस्य —

आप यहूदी हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हों यहूदी, लेकिन देश प्रेमी तो हैं। जनतंत्र में यह भी तो है कि अगर कोई शख्स बोलता हो तो बीच में बाधा नहीं डालना चाहिये। यह आपकी फासिस्टवादी मनोवृत्ति है।

यह ठीक है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हम केन्द्रीय सरकार से बराबर कहते रहते हैं, लेकिन यह आल इंडिया पालिसी का सवाल है। अगर आपको प्लानिंग चलाना है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही। स्टेट ट्रेडिंग का हमने समर्थन किया है। मगर हम जनतंत्र प्रणाली को मानने वाले हैं। जो बात एक बार केन्द्रीय सरकार ने तय कर दी हम उसका पालन करेंगे।

(इस समय १२ बज कर ५४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए।)

जहां तक उत्पादन का सवाल है, उसको बढ़ाने के लिये जितने साधन हैं उनमें हमने बहुत कुछ किया है। नहरें, कुएं आदि बनवाये हैं। जेड० ए० अहमद साहब कहने लगे कि हमने कुछ नहीं किया है। हम अच्छा काम करें या बुरा आप हमारी बुराई ही करते रहेंगे तो फिर यह जनतंत्र किस प्रकार से पनप सकता है? आपको तो हर बात में बुरा ही बुरा नजर आता है। स्टेट ट्रेडिंग का जहां तक सवाल है ऐसा तो नहीं है कि बिजली का बटन दबा दिया और एक रात में ही स्टेट ट्रेडिंग हो गयी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल पास किया और कारपोरेशन बन गया तथा कारपोरेशन ने अपना काम करना भी प्रारम्भ कर दिया है। पिछली दफा इसी सदन में लोगों ने कहा था कि आपने गल्ला क्यों नहीं खरीदा। आपने गलती की जो गल्ला नहीं खरीदा और अब जब हम खरीदने लगे तो कहा जाने लगा कि बाजार में उतर कर आपने भाव बढ़ा दिया। तो हम क्या करें? जब न खरीदें तब जुल्म हुआ और जब खरीदने लगे तब जुल्म हुआ। एक तरफ जनसंघ कहता है कि स्टेट ट्रेडिंग न हो, फ्री ट्रेड हो, दूसरी तरफ और पार्टीज, कुछ और कहती हैं, तो हमने तो बीच का सरल रास्ता अपनाया है, फिर भी न ये खुश और न वे खुश। सभी जानते हैं कि बीच का रास्ता हमेशा अच्छा होता है। आप क्या चाहते हैं कि हम कम्युनिस्ट बन जायं? क्या आप चाहते हैं कि हम जनसंघी बन जायं? स्पष्ट बात है कि मैं तो अपने ही रास्ते पर रहूंगा क्योंकि हमारा रास्ता साफ है। अगर हमारी प्रगति रुक जाय तो इसका हमें दुःख होगा। अगर लोगों को कष्ट हो और कीमतें बढ़ें तो भी महान दुःख है, लेकिन हम करें क्या? हम तो उसी नीति को अपनायेंगे जो जनहित में हो और जिससे उसे फायदा पहुंचे। क्या सारी विरोधी पार्टीज का यह फर्ज नहीं है कि इस तरह के

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

कामों में वे सरकार की मदद करें ? रूस में जब फर्स्ट प्लान फेल हो गया तो बाद में वहां की व्यक्ति आध पाव रोटी का कंट्रोल लगाया गया तो वहां के विरोधी दल ने सरकार का पूरा-पूरा साथ दिया और वहां कोई खून खराबी नहीं हुई। इसी तरह से विरोधी पार्टीज को चाहिये कि व सरकार का साथ इस काम में दें। आप सही नीति तो बतलाते नहीं और हमारी नीति को गलत कहते हैं। आखिर आप बतलावें तो कि हमारी नीति कहां पर गलत है और हमारा कौन सा कदम गलत है। अगर हमारी नीति गलत हुई तो हम इस्तीफा देकर चले जायेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

आपकी हर नीति गलत है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

श्री गोविन्दसहाय ने क्या कहा, उनकी नीति पर चलें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आप तो फासिस्टवाद की बात करते हैं। श्री गोविन्द साहब ने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल यही कहा कि ब्यूरोक्रेसी की हालत अच्छी नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी तो उसी पर चलती है जो पालिसी हम निश्चित करते हैं। यह बात हो सकती है कि उसके इम्प्लिमेंटेशन में वे पूरी दिलचस्पी न लेते हों, लेकिन यह तो हम भारतवासियों के चरित्र का दोष है। हमें अपने चरित्र को सुधारना है। यह तो एक जेनरल स्टैंडर्ड की बात है।

मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। यह कि जितना हमने रेट दिया और जो गल्ला मैंने पकड़ा, उसमें व्यापारियों ने हाईकोर्ट में रिट किया और हाईकोर्ट से फैसला हमारे खिलाफ आया। यह हुआ कि हम उस गल्ले को बाजार में नहीं बिकवा सके। मुझसे एक महर्षि कह रहे थे कि नेगी जी कह रहे थे कि इसमें हम लाचार हैं। मैं क्या सारा सदन हाई कोर्ट के सामने लाचार हो गया। आप मेम्बर भी लाचार हो गये जुडिशियरी और मेम्बर्स के मामले में। मेरी एक हैसियत क्या है। तो जिस कन्स्टीट्युशन के मुताबिक हम चल रहे हैं, उसको हम मान रहे हैं। कोर्ट ने जितना गल्ला जब्त किया, होर्डर्स से निकाल कर उससे फायदा क्या हुआ ? होर्डर्स से निकला और फिर जरा सी ज्यादती कर दी तो चले आ रहे हैं किसी को साथ में लिए सिफारिश कराने के लिये कि साहब उनको भी छोड़ दीजिए, उनको भी छोड़ दीजिए। आप यह हमारी मजबूरी देखते नहीं। हम मिनिस्टर हैं, डिक्टेटर नहीं हैं, जैसे यहां पर हैं, हम तो सब को नाराज कर दें यहां पर ? आप व्यक्तिगत हमारे खिलाफ नहीं कहेंगे इसलिए बाबा हम तुम्हारी भी मानें और उनकी भी मानें और अपने देश को चलायें। अगर हमें इस बात का इतमिनान हो जाय कि हमारे निकलने के बाद सचमुच देश का भला होगा तो हम आज छोड़ने को तैयार हैं। मगर हमें इतमिनान नहीं है। इस वक्त हमारे सामने बड़ी गम्भीर समस्या है, मैं आप से ईमानदारी के साथ कहता हूं, किसी को विश्वास दिलाने की नहीं है, मगर मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने कुछ लोगों को एक महीने के लिए सस्पेंड किया है। इससे पूर्वी जिलों में चावल ठीक भाव व मात्रा में लोगों को मिल जाता है। ताकि उस अनुभव के आधार पर काम चले। इकोनामिक कानून जो आज तक सप्लाई और डिमांड का चलता था मौजूदा जरूरत में नहीं चल रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि बड़े सप्लाई और डिमांड का जो नियम था वह इसलिये चलता था कि आवागमन के साधन, अखबार का चलन और इधर से माल लादने का और रुपया इधर से उधर ले जाने की इतनी सहूलियतें नहीं थीं। आज की दुनियां में तो यू० पी० के चेम्बर का बाबा हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, वह आप के दिल में इकोनामिक लाज नहीं रहेगा। मैं आप से बताता हूं कि जिस हिसाब से आप हमें बतावेंगे, आप खुद नहीं कर सकते, कौन सी बात मानी जाये, मैं सच्ची बात कह रहा हूं कि कैसी ही बम्पर क्राप हो जाय ; हम कोशिश करते हैं कोई कामयाबी का दावा हम नहीं करते लेकिन अगर यह सदन, जनता और सरकार यह

फैसला कर लें कि हम होर्डर्स का मुकाबला करेंगे तो दस दिन में कीमतें कम हो सकती हैं। आप को मालूम होगा कि दिल्ली में औरतों ने हलवाइयों के खिलाफ रेजिस्टेंस कमेटी बनाई और नतीजा यह हुआ कि हलवाइयों को झक मारकर कीमतें कम करनी पड़ीं। क्या हम दिल्ली की महिलाओं के बराबर भी नहीं रहे? इतनी रेजिस्टेंस नहीं कर सकते और कहते हैं कि दुनिया फट पड़ने वाली है, बगावत होने वाली है। इतना कह देना ही काफी होता है कि असेम्बली यह कदम उठाने जा रही है। आज उत्पादक और ट्रेडर्स सब मिल गये हैं। आप का कहना ठीक है कि जबतक बफर स्टाक्स नहीं होंगे काम नहीं चल सकता। सेन्टर पर निर्भर रहेंगे तो कभी देर होगी कभी कोटा कम मिलेगा यह सब होगा ही। हमें तो अपना इंतजाम स्वयं करना होगा और हम कर भी लें लेकिन जहां किसानों से गल्ला लेने का सवाल आयेगा तो सब सिट्टीपिट्टी भूल जायगा। मैं कल भी सुन रहा था कि यह कौन से समाजवाद को मानने वाली गवर्नमेंट है और आखिर में वही महाशय कह रहे थे कि सारा झगड़ा ही कंट्रोल का है, फ्री मार्केट को छोड़ दें तो सब ठीक हो जाय। अगर हम उनके कहने से छोड़ दें तो समाजवाद कैसे आयेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। न ऐसा कभी हुआ न होगा, यह सम्भव नहीं है। स्टेट ट्रेडिंग का फैसला लिया गया है और आज अगर हम इसी बजट सेशन में यह तय कर लें और सारे दल राजी हो जांय और सीधे किसानों से गल्ला लेकर हम रखें और व्यापारियों को बीच में न आने दें तो गवर्नमेंट तो इस चीज का स्वागत करेगी। मैं कहता हूं कि हम उसका स्वागत करेंगे। श्री भानुप्रतापसिंह जी की बात रह गयी। हमने ऐसा केवल इसलिये किया था कि लोगों को अधिक फायदा हो। जब हमारे भाइयों को चने के बारे में शिकायत हुई तो हम ज्वार, बाजरे और मकाई पर गये, हम को तो पूरे आंकड़े देखकर चलना पड़ता था और चूंकि खरीफ इतनी जल्दी आ गई थी कि हम सीधे काश्तकार से वसूलने में असमर्थ थे इसलिये हमने मानोपली सिस्टम पर लिया, उस में भी लोगों को दिक्कतें हुईं। अखबारों में चर्चा हुई, यह तो ड्रेमोक्रेटिक सरकार है, लोगों से कहा गया कि लोग बड़ी परेशानी में हैं। थोड़ी वसूली के बाद अब ज्वार, बाजरे पर है मक्का से हटा दी और चावल पर भी थोड़े से हिस्से में अनुभव के लिये छोड़ा है। सेन्कटिटी क्लाज कोई है नहीं। बाढ़ बड़ी भारी है और उसमें छोटी सी बंधियां बांधने वाले हैं। जो कुछ भी रेगुलेटिव मेंजर्स हो सकते हैं वह लिये गये हैं। माननीय जेड० ए० अहमद साहब की साइन्टिफिक बातों से कोई मेरा मतभेद नहीं है। बैंक की बात है, पैसे की बात है, इनफ्लेशन की बात है सारी दिक्कतें हैं जो हमारे सामने आती हैं। हमने खुद कहा कि जोनल सिस्टम को खत्म करो, किसी अनाज पर प्रतिबन्ध न रहे, हम इसके लिये तैयार हैं। और अगर किसी अनाज पर रखते हैं तो यह नहीं कि चावल और गेहूं पर जोन रखा और बाकी अनाजों पर नहीं रखा। यह ठीक नहीं है। हमने होल्डर्स के खिलाफ ऐक्शन लिये हैं, १,००० के खिलाफ कार्यवाही की है, उनका प्रोसीक्यूशन किया है, १,००० दुकानें कैंसिल कीं, ६७ सरकारी कर्मचारियों को हटाया है। तो हमने अपनी तरफ से ड्रेमोक्रेसी के छप्पर के नीचे बैठ कर कुछ किया है। डेमोक्रेसी में तो सरकार सारी जनता के सामने उसी तरह से दबी रहती है जिस प्रकार पुराने जमींदार के सामने काश्तकार दबा रहता था। हमारे मुख्य मंत्री ने, जनता के प्रति जितना उनके हित में दुख दर्द है, उसके अनुसार, जिस तरह से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की है और कर रही है मैं ईमानदारी से कहता हूं कि उतना कोई नहीं कर सकता। २४ घंटे इसी में व्यस्त रहती है। इस दौड़ में हमसे आगे निकलने वाला कोई नहीं है। रही बात ब्यूरोक्रेसी की अगर वह इतनी खतरनाक है जितना विरोधी दल वाले समझते हैं तो आप जब इधर बैठेंगे तो वह आपको भी खा जायेगी। हमने तो उनको थोड़ा बहुत खाया भी है, लेकिन आप में, मुझे विश्वास है, उतनी भी शक्ति नहीं है।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस गम्भीरतापूर्वक सुन रहा था और विचार नहीं था कुछ अपने विचार प्रकट करने का क्योंकि पार्टी की तरफ से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण हीं किया।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

कुछ लोग विचार रख चुके थे और कुछ रखने वाले थे। परन्तु डाक्टर जेड० ए० अहमद के बोलने के बाद मुझे कुछ प्रोत्साहन मिला। और उनकी बात से भी मुझे प्रोत्साहन न मिलता अगर उन्होंने एक कुनबा न बनाया होता, एक परिवार न बनाया होता। और उस परिवार की रचना किस नीयत से की यह तो भगवान जाने क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं जान सकता और शायद किसी अवसर पर उसे भी नहीं मालूम होता।

डाक्टर साहब ने बड़े जोश के साथ कहा कि देशभक्तों की लिस्ट में जब हम जेल में थे उस समय यहां कहां थे। श्रीमन् १९४२ का अन्दोलन, जो स्वतंत्रता प्राप्ति का अंतिम आन्दोलन था, जब अंग्रेजों की क्रूरता से भारत माता कराह उठी थी उस समय यह कम्युनिस्ट लोग कहां थे ? लड़ाई के समय यह लोग कम्युनिस्ट बन कर बाहर निकल आये और जब तक रूस लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था तब तक उसको पीपुल्स वार नहीं कहते थे। लेकिन रूस के शामिल होते ही वह लड़ाई पीपुल्स वार हो गयी और यह लोग अपने को कम्युनिस्ट कह कर जेलों से बाहर आ गये लड़ाई में शामिल होने के लिये। बाहर निकल आये और चर्चिल के तलुए चाटकर प्रचार करना शुरू कर दिया कि यह तो पीपुल्स वार है। यह रही उनकी देश भक्ति। आज भी मुझे दुःख होता है जब ये लोग अपने को कांग्रेस के नजदीक बतलाते हैं। कांग्रेस से हमारा विरोध है। कांग्रेस के कुछ सिद्धांत हैं और हमारे कुछ सिद्धांत हैं। परन्तु मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि हमारे कांग्रेस के तपे तपाये नेता जो राष्ट्र की दौड़ में अनेकों बार जेल में गये हैं वे कम्युनिस्टों की माप पर आ सकते हैं।

श्रीमन्, देश भक्ति का दूसरा नमूना देखिये। जिस समय चीन ने, जो कम्युनिस्टों के छोटे आका हैं, इनकी भारत की पवित्र भूमि के ऊपर अपनी कलुषित दृष्टि डाली, उस समय उनकी देश भक्ति उनकी थैली में रही थी। उस समय उन्होंने कहा था, उन्होंने एक रचना रची थी कि जितनी भी यहां आवश्यक सेवायें हैं, जैसे रेल, डाक तार, आदि उन्होंने ऐसी सेवाओं को तनख्वाहों की कमी दिखा कर एक बड़े पैमाने का आन्दोलन खड़ा किया। वास्तव में वे चाहते थे कि ये सेवायें ठप पड़ जायें। आन्दोलन करके उनका विचार था कि चीन उधर से हमला करे और वे लोग देश में डाक, तार और रेल हड़ताल करके उनको रोकें। वे पंडित जी व कांग्रेसियों को जेल में बन्द करें और उनके जो दोस्त हैं कांग्रेस में वे जेल से छूट कर कह दें कि हम भी तो लाल हो गये। १९४९ में जब चीन में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ था तो माओत्सुंग ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को संदेश भेजा था कि उन्हें भारत को कम्युनिस्ट परिवार में शरीक करना है। ये आपसे आज अलग नहीं हुए हैं। जब रूस और चीन से खटक गयी थी तो हमारे यहां भी अलग हो गये थे। एक साहब चीन की तरफ और एक साहब रूस की तरफ। एक दक्षिण पंथी और एक वाम पंथी बन गये। पर उनमें से कोई भारत की तरफ भी है ? दो तरफ हो गये। अब ये कांग्रेस से अपना गठबन्धन चलाना चाहते हैं। यह तो इसी प्रकार हुआ कि जैसे मछली मारने के लिये जब जाते हैं तो आगे आगे बड़ा जाल जाता है और पीछे पीछे छोटा। छोटा जाल इसलिये चलता है कि मोटी-मोटी मछलियां तो बड़े जाल में आ जायें और जो उनसे बचें जैसे हमारे यहां डिडई मछलियां होती हैं वे उस छोटे जाल में फंस जांय। यही उनका काम है। कांग्रेस के साथ उनका क्या व्यवहार है। और उसके बाद आपने देश का सत्यानाश करने का प्रयत्न किया। मैं अपनी जबानी कुछ नहीं कहता यह नन्दा जी जो गृह मंत्री हैं उन्हीं का वक्तव्य है जिस कांग्रेस के लिये अभी डाक्टर साहब ने कहा कि हम उसी परिवार के सदस्य हैं।

"वामपंथी कम्युनिस्ट गृह युद्ध द्वारा चीन की सहायता करने को उत्सुक--केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री गुलजारी लाल नन्दा का वक्तव्य-देशघाती विध्वंसकारी तत्वों को छूट देने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा।" यह मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के गृह मंत्री कह रहे हैं और गृह मंत्री ही नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, देश का बच्चा बच्चा कह रहा हूं, देश की आबोहवा कह रही है, देश की मिट्टी और पत्थर कह रहे हैं। यहां एक प्रार्थना-पत्र वामपंथी कम्युनिस्टों की तरफ से

आया है कि हमारे इतने आदमी जेल में बन्द हैं, उनको छुड़ाने का प्रयास किया जाय। हम क्या सबसे बड़े गद्दार हैं इन गद्दारों को छुड़वाने का प्रयत्न करें? देश के साथ जो देशद्रोह करे, चाहे वह मेरा लड़का हो, बाप हो, भाई हो और फिर इस जिम्मेदारी के साथ गृह मंत्री कहते हों, कि इस प्रकार की हरकत इनकी है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया के जितने कानून हैं उनको ताक पर रख कर इनको गोली मार देना चाहिये, फांसी पर लटका देना चाहिये तभी देश आजाद रह सकता है, वर्ना इस प्रकार से मक्खन लगा कर धोखा देते रहिये और देशभक्त बड़े भारी बने रहिये। देशभक्ति देख ली है आपकी। आप सुनाइये दूसरों को जिन्होंने आपकी देशभक्ति न देखी हो। सौभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से सन् ३५ से आपकी देशभक्ति मैं देखता चला आ रहा हूं। कम्युनिस्टों की देशभक्ति रूस की तरफ ताक कर काम करने में थी। रूस के जितने अहकामात आते हैं उन्हीं को पूरा करने का इनका काम है।

डाक्टर साहब ने स्टेट ट्रेडिंग की बात कही। स्टेट ट्रेडिंग सरकार नहीं करेगी तो कुछ काम नहीं होने का। डाक्टर साहब की काशी, मक्का मास्को है जहां ख्रुश्चेव साहब बड़ा भारी इन्तजाम करके बैठे थे कम्युनिज्म तथा समाजवाद के नाम पर और एक डबल रोटी के लिये एक आदमी को गोली दगवा दी थी। जब स्टेट ट्रेडिंग वहां है तो फिर एक डबल रोटी ज्यादा कैसे मिल गयी। अब मतलब यह है कि स्टेट ट्रेडिंग कह देना आसान होता है लेकिन जब इन्तजाम करना पड़ता है तब मालूम होता है। सरकार के पास इतना अमला है, इतने साधन हैं कि गांव-गांव जाकर गल्ला खरीदे, फिर कच्चा आढ़तिया और पक्का आढ़तिया बने और तब गल्ला बांटे। या तो सरकार शासन कर ले या व्यापार कर ले। इनको तो किसी न किसी तरह गड़बड़ी पैदा करनी है। चट से उस परिवार के सदस्य बन गये। सोशलिस्ट मित्रों को भी अपने परिवार में शामिल कर लिया। ये तपे तपाये हैं। आज कांग्रेस में नहीं हैं, लेकिन हैं सब तपे तपाये। उन्होंने जेल में सन् ४२ में माफी नहीं मांगी इन्होंने जेल में यह कभी नहीं सोचा कि अब रूस युद्ध में शरीक हो गया है इसलिए यह हमारी लड़ाई हो गई, इसलिए सरकार को आज मदद देने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। जिस समय कम्युनिस्ट उनके साथ शिरकत करते हैं तो लज्जा को भी लज्जा मालूम पड़ती है।

एक मेरी मांग है। गल्ले की जो कमी है उसको मैं मानता हूं और सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर सकी। इसलिए नहीं कर सकी, इन कम्युनिस्टों की वजह से नहीं कर सकी। जब यह सरकार कुछ करने की कोशिश करती है तो यह एक तमाशा खड़ा कर देते हैं और उधर ले जाते हैं जिधर गड्ढा है और हमारी सरकार उनके चक्कर में आ जाती है और माननीय गोविन्द-सहाय जी मान चुके हैं कि ये भी उसी परिवार के हैं।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

आपके पेट में से गल्ला निकाला जा सकता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

अगर हमारा बस चले तो हम आपके खून में से गद्दारी निकाल कर फेंक दें। आज देश की मांग यह है कि कम्युनिस्टों के काले कारनामे प्रकाश में लाये जायं, उनकी हरकतें प्रकाश में लाई जायं। इसके बिना कोई नहीं चल सकता है यह मेरी मांग है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

आप लोग ही ब्लैक करते हैं और आपके पास ही गल्ला है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता था। यही डाक्टर साहब जब पी० ए० सी० के चेयरमैन थे तो कांग्रेस की खुशामद किया करते थे। जब हम लोग सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाये थे तो उन्होंने कहा था कि अविश्वास के प्रस्ताव लाने का यह समय नहीं

[कुंवर श्रीपालसिंह]

है। लेकिन जब रुपया मिलना बन्द हो गया तो सरकार बुरी हो गई और कांग्रेस वाले बेईमान हो गये। यह उनकी व्यक्तिगत मांग है। मैं उसको कहना नहीं चाहता था।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जब सदन में व्यक्तिगत आक्षेप होने लगे तो आपने एक मिनट का समय और दे दिया। सदन के समय की कीमत समझनी चाहिए और आपसी मन मुटाव नहीं होना चाहिए। इससे सदन का समय खराब हो रहा है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अगर विरोधी दल व्यक्तिगत आक्षेप एक दूसरे पर करने लगें तो आप उसको कंट्रोल करेंगे या समय बढ़ाकर छींटाकशी होने देंगे।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपकी राय से सहमत हूं, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करने चाहिए और इसको प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत है उस पर जो वाद विवाद हुआ उसको मैंने सुना। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय जो वाकयात हुए इस सदन में, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि सदन ने प्रस्ताव करने के बाद उस मामले को शांत कर दिया था, किंतु आज डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने जो पार्लियामेंटरी डिकोरम की बात कही और उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए गवर्नर का उचित सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी इशारा किया कि कभी-कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिनसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की तारीफ वह सुनना नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने सदन का त्याग किया था। किंतु मैं कहता हूं कि माननीय राज्यपाल के भाषण में एक शब्द भी सरकार की तारीफ का नहीं था, एक शब्द भी नहीं था। एक शब्द भी उन्होंने तारीफ का नहीं कहा है। मैंने अभिभाषण को खूब पढ़ा, हिन्दी में भी पढ़ा और अंग्रेजी का भी पढ़ा, लेकिन मुझे सरकार की तारीफ में इसमें कुछ नहीं मिला।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि अपोजीशन को यह अधिकार होता है कि वह वाक-आउट कर सकता है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उन्हें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, अपोज करने का अधिकार है, किंतु वाक-आउट करने का अधिकार नहीं है। वाक-आउट करना तो केवल प्रोटेस्ट और अपोजीशन को प्रकट करने का एक तरीका है और इस तरीके का इस्तेमाल किसी गंभीर समय के लिए रखना चाहिए। और भी बहुत से तरीके हैं प्रोटेस्ट प्रकट करने के और यह समय और स्थिति के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए कि किस समय किस ढंग का इस्तेमाल किया जाये। जिस समय गवर्नर हाउस को एड्रेस कर रहे हों, जिस समय हेड आफ दी स्टेट ऐड्रेस कर रहे हों जिनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है, उ के प्रति ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है, यह अनुचित है। किसी भी देश के पार्लियामेंटरी इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां पर कोई हेड आफ दी स्टेट एड्रेस करने वाला हो और उसके विरोध में किसी भी अपोजीशन ने वाक आउट किया हो। डाक्टर साहब सरकार के विरोध में डिमांस्ट्रेशन करते, वाक-आउट करते, बार-बार करते, लेकिन ऐसे समय में जब कि राज्यपाल महोदय आते हों उनका ऐसा करना अनुचित था और यह परिस्थिति ऐसी गंभीर नहीं थी कि उनका विरोध किया जाता।

मैं राज्यपाल महोदय को दिये गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं उनको बधाई देता हूं। मैं उनको इसलिए बधाई देता हूं कि इस बार उनका सम्भाषण छोटा है, टू-दी-प्वाइंट है और हिन्दी में है, जिसके अन्तर्गत सारी आवश्यक बातों का कि सदन क्यों बुलाया गया

है समावेश हो गया है। किन्तु डाक्टर साहब को फिर भी आपत्ति है कि उसमें कुछ बुनियादी प्रश्नों पर उन्होंने चर्चा नहीं की है, इस पर उन्होंने आपत्ति की है । उनकी यह बात मेरी समझ में नहीं आती । जहां तक पार्लिय मेंटरी पद्धति का संबंध है राज्यपाल का संबोधन उसी के अनुसार था । राज्यपाल अपने संबोधन में केवल संक्षेप में यही बताते हैं कि विधान मंडल की बैठक बुलाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, जिसे उन्होंने अच्छी तरह अपने भाषण में प्रकट किया है । उन्होंने स्वस्थ्य परंपरा को अपनाया है और उन्होंने खुद कहा है कि जब बजट पेश होगा तब वह समय होगा जबकि वित्त मंत्री सारी बातों पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। और उन पर विस्तार से विचार करने का वही उचित समय भी है ।

श्रीमन्, यों तो इस पर बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन मैं ४–५ प्वाइंट्स लूंगा । सबसे पहली बात, राज्यपाल महोदय ने सबसे पहले हमारा ध्यान हमारी सीमाओं की ओर आकर्षित किया है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही जरूरी बात है । अभी सीमाओं की स्थिति पूर्णतया सुधरी नहीं है, अभी एमरजेंसी बनी हुई है, किन्तु कुछ लोगों का कहना कि एमरजेंसी खत्म हो और उन्होंने इसके लिए मांग भी की कि एमरजेंसी खत्म होना चाहिए । किन्तु राज्यपाल महोदय ने फिर इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर इस विषय की महत्ता महसूस की है और हमारा ध्यान दिलाया है । आज भी स्थिति गम्भीर है, चीन की फौजें आज भी भारत की ओर बढ़ी चली आ रही हैं, हमारी सीमाओं पर जमा होती जा रही हैं । फिर आज चीन ने अणु बम का भी विस्फोट किया है जिसका दक्षिण पूर्व एशिया पर अच्छा असर नहीं पड़ा है । पाकिस्तान की हरकतें भी आज की स्थिति को देखते हुए अच्छी नहीं हैं, हमारे लिए खतरनाक हैं । इन सारी बातों और स्थितियों को देखते हुए वास्तव में एमरजेंसी हमारे देश में घटी नहीं है, बल्कि बढ़ी है । इसलिए आवश्यक था कि वह हमारा ध्यान इसकी ओर आकर्षित करते ।

उन्होंने यह संकेत भी दिया कि देश में इंटरनल सिक्योरिटी की भी बहुत जरूरत है, उसका भी होना बहुत आवश्यक है । मैं कोई कम्युनिस्टों के बारे में बात नहीं करता, उसके बारे में तो माननीय श्रीपालसिंह ने काफी कहा है । मेरा तो यही कहना है कि देश के सभी अन्दरूनी दुश्मनों पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए, जिनकी भी देश विरोधी हरकतें हैं, चाहे वह जिस पार्टी के भी क्यों न हों उन पर निगाह रखनी है । कोशिश होनी चाहिये कि जो साम्प्रदायिक झगड़े हैं वह न हों और प्रदेश में शांति व्यवस्था रहे यह सभी सरकारों का और हमारा कर्त्तव्य है ।

मान्यवर, मैं इसमें यह भी कह दूं कि डाक्टर साहब ने हिन्दी की बात कही। मुझे बड़ा खेद है कि आज दक्षिण भारत में और खासकर मद्रास में जो स्थिति है वह बहुत शोचनीय और अशोभनीय है । मैं किसी स्टेट के अन्दरूनी मामलों में जाने की बात नहीं करता, लेकिन डाक्टर साहब ने उसका खासतौर से जिक्र किया क्योंकि वह विरोधी पक्ष के हैं और मद्रास में आन्दोलन भी विरोधी पक्ष की ओर से ही चलाया जा रहा है । वहां पर स्टेट प्रापर्टी को बुरी तरह से जलाया जा रहा है इन्सान भी जलाये जा रहे हैं और इन्तजाम के लिए फौज तक खड़ी हुई है इन सब बातों ने हमारे सिर को झुका दिया है । किसी भी तरह से हिन्दी को किसी पर किसी भी प्रदेश में थोपना नहीं चाहिए मैं इस बात को मानता हूं आज हमारे देश को १८ साल हो गये आजाद हुए शुरू में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया था कि वह जल्दी में हिन्दी किसी पर लादना नहीं चाहते हैं । मैं डाक्टर साहब से कहूंगा कि ऐडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से और इस हद तक नुकसान पहुंचाना कि लोग एक तरह से फैनेटिक होकर इतने पागलपन में आगे बढ़ जायं, उचित बात नहीं है ।

यहां पर जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के झगड़े की बात कही गई है। इस संबंध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विवाद की हमने शुरुआत नहीं की । यह झगड़ा जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया । इसमें हाउस की मान मर्यादा का प्रश्न था तो हमको उसमें जाना पड़ा । सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन बजाय इसके कि इस झगड़े को सुलझाती उसने इसको और भी उलझा दिया । सुप्रीम कोर्ट की इस ओपिनियन के बाद हमारे इस सदन को एक सबोर्डिनेट कोर्ट के स्तर पर पहुंच दिया गया ।

[श्री नवलकिशोर]

इस संबंध में मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ३००, ४०० साल से हाउस आफ कामन्स, हाउस आफ लार्डस् का यह सर्वमान्य प्रीविलेज रहा है और बिल आफ राइट्स में भी दिया हुआ है कि सदन को जो प्रोसीडिंग्स या डिबेट्स हैं, उनके सम्बन्ध में कहीं भी सदन के बाहर इस बात की आज्ञा नहीं है कि आलोचना की जाय। मगर यदि सुप्रिम कोर्ट की राय मान लें तब हमारे यहां हमारी प्रोसीडिंग्स पर किसी भी हाईकोर्ट को यह अधिकार हो जाता है कि वह हमारी प्रोसीडिंग्स पर टीका टिप्पणी कर सके। यह एक बुनियादी हक है कि हाउस की किसी प्रोसीडिंग्स या स्पीच के ऊपर कोई हाई कोर्ट टीका नहीं कर सकता वह इससे समाप्त हो जाता है। इसके लिए समिति ने टाइम मांगा है अध्यक्ष जी से कि सदन में बहस हो इसलिये मैं इस समय इसके ऊपर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

खाद्य समस्या के बारे में यहां पर बहुत सी बातें कही गईं। सो यह केवल उत्तर प्रदेश का ही मसला नहीं है। आज सारे देश की यह एक राष्ट्रीय समस्या है। एक बात मैं अपने विरोधी भाइयों से कहना चाहता हूं कि वह इस बात को याद रखें कि इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप प्रदेशीय सरकार का नहीं है। गल्ले की बुनियादी नीति केंद्र से संचालित होती है। केंद्र ने देश भर में फूड जोन्स बना दिये हैं। मान्यवर, मैं उन लोगों में से हूं जो यह मानते हैं कि फूड का जोन बनाना ही एक बुनियादी गलती है। जब हमारा सारा देश एक इकाई है तो कोई माने नहीं हैं कि दिल्ली में गेहूं का भाव २०, २२ रुपये मन हो और मेरठ में गेहूं का भाव ४०, ५० रुपये हो। लिहाजा इस प्रदेशीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस बात पर जोर दे कि जो यह फूड जोन हैं उनको समाप्त किया जाय। मान्यवर, मुझको याद है और हमारे सभी साथियों को याद होगा कि हमारा गेहूं का कोटा जो गवर्नमेंट आफ इंडिया देती था वह कुछ दिनों पहले १ लाख ९८ हजार टन देना तय हुआ था। उसमें से १०५ हजार टन इस सरकार को देने थे और ६८ हजार टन आटा मिलों को और २५ हजार टन कबाल टाउन्स को मिलता था। बाद में १ लाख ९८ हजार टन में से काटकर १ लाख ५ हजार टन किया और फिर उसको काटकर ९० हजार टन किया गया है और अब सुनने में आया है कि पिछले महीने ५९, ६० हजार टन ही उत्तर प्रदेश में आया है। मैं जानता हूं कि कठिनाई है। मुझे यह देखकर परेशानी होती है कि जब कभी उत्तर प्रदेश में गल्ले की कठिनाई पैदा होती है तो उसके कोटे को और काट दिया जाता है। ९० हजार टन देने की बात जो की गई वह १५ हजार टन काटकर ही की थी। मैं यह तो कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि केन्द्र से स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जो कोटा काट दिया गया है वह सही नहीं है, मौजूदा कोटा उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए निहायत कम है और उसे बढ़ाना चाहिये।

मुझे एक परेशानी और हुई। शुरू-शुरू में जो बयानात आये उनमें खाद्य विभाग के कुछ होते थे, खाद्य मंत्री के कुछ होते थे और मुख्य मंत्री के कुछ और होते थे। अब शायद यह तय हो गया है कि तीनों के मशविरे से एक ही बयान दिया जायगा, लेकिन उस तरह के कंट्रेडिक्शन से एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है जो मुनासिब नहीं है।

इसके अलावा प्रोक्योरमेंट के टार्गेट्स भी हम पूरे नहीं कर सके। यह सही बात है। इसकी वजह एक तो यह थी कि जो कीमतें फिक्स की गयी थीं वह बमुकाबले बाजार की कीमतों के कम थीं। दूसरे, गल्ले की कीमतें आपने फिक्स कर दीं, लेकिन कंज्यूमर गुड्स की कीमतें आपने फिक्स नहीं की थीं। इसके लिये आप को कीमतों का एक तरह का इन्टीग्रेटिड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उनमें एकरूपता रखनी पड़ेगी तभी यह सफल हो सकता है। इसके अलावा खरीफ का अनाज बाजार में आने के पहले ही सरकार ने बाजार में जाकर खरीदारी शुरू कर दी। मैं मेरठ में था। वहां ४५ रुपये क्विंटल मक्का का भाव था। लेकिन सरकार की खरीदारी और तलाशियां शुरू होते ही भाव ६२ रुपये का हो गया। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट के लिये जो आपकी मशीनरी है वह बेहद इनएफीशियेंट है। जो इंस्पेक्टर्स जाते हैं वे इतने करप्ट हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता उन्होंने गांव की बाजारों में एक किस्म का आतंक फैला रखा है।

कीमतें बढ़ गयी है यह सही बात है । हमने पिछले तीन प्लानों में ९०० करोड़ रुपया खर्च किया । हम काफी पैसा अनप्रोडक्टिव स्कीम्स पर खर्च करते हैं । जो प्रोडक्टिव स्कीम्स हैं उनसे भी प्रोडक्शन बढ़ता नहीं । नतीजा यह होता है कि इंफ्लेशन बढ़ता चला जाता है । रुपया बढ़ गया लेकिन माल बढ़ा नहीं इससे कीमतें बढ़ ही जाती हैं । शार्टेज अपनी जगह पर है ही । यह गनीमत है कि शहरों में स्थिति अब कुछ अच्छी है । किसी कीमत पर सही, गल्ला शहरों में मिल तो जाता है, लेकिन देहातों में वह मिलता भी नहीं । जो आपने देहातों में गल्ला बांटा है वह केवल कागजी कार्यवाही रही है । उससे गरीब किसान को कोई फायदा पहुंचा नहीं । जो गरीब तबका है वह बड़ा हार्डहिट है ।

स्टेट ट्रेडिंग की बात कही गयी । मैं सौ प्रतिशत उसके पक्ष में हूं, लेकिन जो स्टेट ट्रेडिंग है वह आपकी इस मशीनरी से चल नहीं सकती । आपकी स्टेट ट्रेडिंग के माने हैं प्रदेश की ८ करोड़ जनता के लिये पूर्ण रूप से रेशनिंग व्यवस्था लागू करना । यह इसका लाजिकल कनक्लूजन है । और मुझे शक है कि इस बड़े काम को आप इस मशीनरी से चला सकेंगे । जैसे ही आपने एनाउन्स किया कि हम कंट्रोल ढीला कर रहे हैं उससे स्थिति में कुछ सुधार हुआ ।

मान्यवर, इस संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं । जहां पर कीमतों की बात आयी, महंगायी का जिक्र किया गया, वहां पर सरकारी कर्मचारियों के प्रति भी यदि राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में दो शब्द कह देते तो अच्छा रहता । उनकी सहानुभूति में भी उनको कुछ कहना चाहिये था । यह सही है कि उनके लिये एक पे कमेटी बिठा दी गयी है, मगर आज महंगाई इतनी अधिक बढ़ी हुई है, हमें उसकी सिफारिश का इन्तजार नहीं करना चाहिये और तत्काल कुछ न कुछ सहायता के रूप में उन्हें देना चाहिये । जहां तक उस पे कमेटी के गठन का प्रश्न है, उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, हां यह अच्छा होता यदि इस सदन के भी दो एक माननीय सदस्य उसमें होते । आज की स्थिति में अगर हम पे कमेटी की सिफारिशों का इन्तजार करते रहेंगे तो यह कोई अच्छी बात नहीं होगी । जब भारत सरकार ने महंगायी भत्ता बढ़ाया है, तो हमारी सरकार को भी अपने कर्मचारियों को थोड़ा या ज्यादा अवश्य देना चाहिये, उनके आंसू अवश्य पोंछने चाहिये । इस तरह का कदम सरकार को तुरन्त उठाना चाहिये, यह मेरी प्रार्थना है ।

चौथी प्लान की भी चर्चा हुई । कुछ टैक्सेशन की भी बात आई । जहां रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की बात हुई, वहां एकोनामी की भी चर्चा होनी चाहिये थी । आज से १५–१६ महीने पहले माननीय गुप्ता जी ने एक अभियान उसके लिये चलाया था और करीब ८० लाख की बचत भी हुई थी । सन् १९६३–६४ में कमिश्नर्स की एक कांफ्रेंस भी यहां हुई थी जिसमें मैं भी गया था । मैंने कहा था कि १० करोड़ की बचत हो सकती है, इस पर कमिश्नरों ने कहा था कि ५ करोड़ का टार्जेट रखा जाय । आज १५ महीने हो गये, मेरे सुनने में नहीं आया कि इस ओर क्या कदम उठाया गया । एक एकोनामी कमेटी भी बनी थी, पता नहीं उसका क्या हुआ । शायद अकर्मण्य होकर रह गयी ।

एक दो बातें मैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री तथा कोआपरेटिव के बारे में भी कहना चाहूंगा । कृषि के बारे में जरूर कुछ कारण ऐसे रहे हैं जिनके कारण प्रोडक्शन घटा है । माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने जो आंकड़े दिये कि थर्ड प्लान में उसका टार्जेट १८२ लाख टन रखा था और अब १५२ लाख टन ही रखा है । मालूम होता है कि या तो पहले ओवर एम्बीशश टार्जेट था या क्या बात थी जो अब कम रखा है । मेरी यह समझ में नहीं आता कि एग्रीकल्चर में गिरावट की जिम्मेदारी किस पर डाली जाय, कौन-सा विभाग उसके लिये जिम्मेदार है । कृषि मंत्री जी का यह खयाल है कि पालिसी का निदान ही उनके हाथ में है, प्रोडक्शन आदि से उनका संबंध नहीं है । मेरा सुझाव है कि प्रोडक्शन से संबंधित जितनी एजेंसीज हैं उन सब के लिये एक ही व्यक्ति पूरी तरह से जिम्मेदार होना चाहिये ।

उद्योग के बारे में भी एक निवेदन करना चाहता हूं । हमारा प्रदेश उद्योगों के बारे में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है । इस संबंध में मैं एक रिपोर्ट भी पेश करने वाला हूं । परन्तु

[श्री नवलकिशोर]

उद्योगों को बढ़ाने की बात तो बाद की है, जो आलरेडी इंडस्ट्रीज अपने यहां है उनके बारे में ही पहले हमें सोचना है । इस ओर उचित ध्यान नहीं गया है, जिस पर हमें ध्यान देना है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब समय आपका खत्म हो रहा है ।

श्री नवलकिशोर—

बस एक बात और कहना चाहता हूं । कोआपरेटिव के बारे में यह कहना चाहता हूं कि अभी फतेहगढ़ में सेंटर के डिप्टी मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट हुआ था । मैं केवल माननीय बनारसीदास जी से यह चाहूंगा कि वे केवल उसे पढ़ लें (व्यवधान) ।

सरकार ने बहुत सी बातें की हैं जो सराहनीय हैं । इस प्रदेश में हाई स्कूल तक लड़कियों की फीस माफ कर दी गई है । मेरठ, कानपुर में यूनिवर्सिटी बन रही है । अच्छा हो अगर एक यूनीवर्सिटी और एक मेडिकल कालेज बरेली में हो । अन्त में मेरी अपोजिशन के सदस्यों से यही अपील है कि वे जितनी आलोचना करना चाहें करें, जितना कंडम करना चाहें गवर्नमेंट को करें, परन्तु आपोजिशन वालों को यह चाहिये कि वे अपनी समझदारी से वही आलोचना करें जो जनतांत्रिक परम्पराओं के अनुकूल हो जिससे जनता का हित सम्पादित हो सके । जैसा कि आपोजिशन से कहा गया कि गवर्नमेंट इस्तीफा दे दे मगर आयेगा कौन, मांगने से तो मौत भी नहीं मिलती है फिर यह तो सरकार है । सरकारें ली जाती हैं मांगी नहीं जाती हैं । मुझे आशा है कि विरोधी पक्ष संसदीय जनतन्त्र की परम्पराओं के अन्तर्गत अपना उत्तरदायित्व निभाने की चेष्टा करेगा ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में कल से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है । इस अभिभाषण के बाद विवाद में देखने में आया कि निजी विवाद में ही ज्यादा समय चला गया । इस समय हमारे प्रदेश की हालत बहुत गम्भीर और नाजुक दौर में गुजर रही है । सदन का समय बहुमूल्य है और यह समय जनता के हित के कार्यों के लिये देना आवश्यक है । इस समय प्रदेश के अन्दर अकाल जैसी गम्भीर स्थिति पैदा हो रही है और कुछ लोगों का विचार है कि इस हालत को इसलिये कायम किया जा रहा है कि राशन की कमी है । श्रीमन्, मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि प्रदेश में राशन की कमी है । सौ रुपये की एक सेर शक्कर बाजार में नहीं मिल सकती थी अगर शक्कर की कमी होती । एक छोटे से छोटे शहर में आप हजारों रुपये की शक्कर खरीद सकते हैं, इससे साबित होता है कि कमी किसी प्रकार की नहीं है । अगर किसी चीज की कमी है तो वह है ईमान की कमी । इस प्रदेश में ऐसी ही हालत पैदा हो गई है । जिस प्रदेश में ऐसी हालत पैदा हो जावेगी उस प्रदेश को जीवित रखना आसान चीज नहीं है और यह अब सरकार की शक्ति के बाहर हो चुका है कि वह प्रदेश के अन्दर ईमान को वापिस ले आये । इसका कारण भी यह है कि हमारी प्रदेशीय सरकार गुटबन्दी में फंसी हुई है । वह जनता के हितों के प्रति उदासीन हो गई है । और दूसरी ओर यह भी सही है कि केवल विरोधी दलों के कोसने मात्र से ही भूखी जनता को रोटी नहीं मिल सकती । जरूरत इस बात की है कि विरोधी दलों की ओर से भी सही व ठोस सुझाव दिये जायं और उन पर अमल भी किया जाय । जैसा कि मैंने पहिले भी सुझाव दिया था कि आटा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है उससे इस प्रदेश को लाभ होता । बड़े-बड़े जो कृषि फार्म हैं उनको भी यदि सरकार अपने हाथ में ले ले तो इस प्रदेश का सुधार हो सकता है ।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि बहुत से किसानों के पास नये ढंग के औजार नहीं हैं । वह पुराने औजारों से ही अपनी खेती पुराने तरीकों पर चलाये जा रहे हैं । जिस किसान को चार बैलों की आवश्यकता है उसके पास एक ही बैल है । अगर हमारी सरकार उन्हीं किसानों को अपना नौकर रख ले और उनको आवश्यक सुविधायें दे तो वे अन्न की खूब पैदावार बढ़ा सकते हैं । इसके अलावा आबपाशी पर इतना टैक्स बढ़ा दिया गया है कि बेचारे किसान

की कमर टूट गयी है । खाद भी जो दी जाती है वह दूषित है । ये जो पुराने साधन चले आ रहे हैं अगर उससे सरकार पैदावार बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ सकती है । चाहे वे विरोधी दल के हों या सरकारी दल के हम जब गांवों में जाते हैं तो हम अपने इलाके में उनके सामने ऐसी हालत में क्या कह सकते हैं। ईमानदारी की बात है कि मैं अभी अपने क्षेत्र के अन्दर एक देहात में ईद मिलने के लिये गया । रात के ९ बजे तक लोग मुझे घेरे रहे और यहां तक कहा कि अगर आप लोगों को वोट न देते तो एक किलो का गल्ला न बिकता। एक आदमी ने तो यहां तक कहा कि हम इतने आजिज आ गये हैं कि चार बच्चे हमारे हैं उनको पहले आप गोली मार दीजिये तब यहां से जाइये । मैं समझता हूं कि एक माननीय सदस्य के क्षेत्र की यह हालत नहीं है, सभी माननीय सदस्यों के यहां यही हालत होगी और अगर वह अपने क्षेत्र में जायं तो ईमानदारी के साथ अपना मुंह नहीं दिखा सकते । उसका कारण यह भी है कि छोटे से लेकर बड़े से बड़े मामलों तक में सिफारिशें आज की जाती हैं और आप सिफारिशों पर निर्णय देते हैं । इसकी वजह से प्रदेश को बहुत बड़े खतरे में आज आप पहुंचा चुके हैं । दौरे पर जब आप जाते हैं प्रदेश के अन्दर तो कायदे की बात यह है कि सभी पार्टियों के लोगों को इसकी इत्तिला मिलनी चाहिये; लेकिन केवल अपनी पार्टी को आप खबर देते हैं (व्यवधान) केवल जिला कांग्रेस कमेटी को आपकी सूचना जाती है, मैं एक नहीं हजार सूचनायें ऐसी बता सकता हूं ।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को खबर जाती है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिला कांग्रेस कमेटी की सलाह के बिना आपका प्रोग्राम नहीं बना सकता । आपके प्रोग्राम में हमारी कोई राय नहीं ली जाती । आपका जो प्रोग्राम होता है, जरा सोचिये कि कहां-कहां आप जाते हैं ? क्या मजदूरों की बस्तियों में, छोटे-छोटे मुहल्लों में गली टोलों में जाते हैं आप ? होता क्या है कि स्टेशन पर ही आप एक बुर्के वाली बेगम की तरह कैद कर लिये जाते हैं, आपकी पार्टी के माननीय सदस्य आपको वहीं कैद कर लेते हैं और फिर घुमाते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर, अच्छे अच्छे बंगलों और डाक बंगलों में ले जाकर ठहराते हैं दावतें देते हैं, मेहमाननिवाजी आपकी होती है और उसका नतीजा यह होगा कि आप यह सोच लेते हैं कि जनता बहुत सुखी है क्योंकि हमारी इतनी अच्छी मेहमाननिवाजी हुई । लेकिन यह मेहमाननिवाजी जनता की खुशी पर नहीं जनता के खून पर होती है, सच पूछिये ऐसी कब्रिस्तान व शमशानों पर होती है । जनता आजिज है, परेशान है । चुने हुए मंत्री होने के नाते अगर आप उसके बीच में जायं और उसके दुख दर्द को सुनें तो मुसीबत के वक्त में कुछ राहत शायद उसको मिल सकती है । लेकिन आप वह नहीं करते । उससे दूर रहते हैं। जनता इसका जवाब देगी क्योंकि आप जनता के हृदय पर अपना राज्य स्थापित नहीं किये हुये हैं जुल्म और कानून के बल पर चल रहे हैं । बापू का कहना था कि अगर किसी एक आत्मा को भी मुहब्बत के बल पर हम अपना बना सकें तो वह १०० बार मक्का और मदीना जाने से बढ़कर है। मगर आज लोग कितने दुखी और परेशान हैं, आप देहातों और शहरों के अन्दर जाकर देखिये तो आप को पता चलेगा ।

(इस समय १ बज कर ५७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये ।)

प्रदेश की हालत आज भी सुधर सकती है बशर्ते कि आप मजबूती, ईमानदारी और अपने पवित्र कर्त्तव्यों पर कायम रहें । प्रदेश की इस दुर्दशा का एक दूसरा कारण यह भी है कि आप पार्टीबन्दी में पड़े हैं । यह आदमी फलां पार्टी का है, यह दूसरी पार्टी का है, इस चक्कर में आप पड़े रहते हैं। मैं समझता हूं कि देश और प्रदेश को बचाने के लिए पार्टी अगर जहन्नुम में चली जाय तो उसे जाने दें, क्योंकि जब प्रदेश ही नहीं रहेगा, तो पार्टी कहां से आयेगी। एक माननीय सदस्य ने कहा कि मन्त्रियों के पास विरोधी लोग आकर के सिफारिश करते हैं कि फलां आदमी को छोड़ दिया जाय। मैं कहता हूं कि चाहे कांग्रेस का आदमी सिफारिश करने

[श्री लखपतराम शर्मा]

जाय, चाहे विरोधी आदमी जाय. . . (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे तो चार-पांच मिनट ही अभी हुये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये शर्मा जी, दस मिनट का समय है। १ बजकर ५० मिनट पर आप ने शुरू किया था। दो मिनट अभी आप के हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप भ्रष्टाचारियों के हमदर्द नहीं हैं तो देश के फायदे के विचार से बड़ी से बड़ी कार्यवाही उनके खिलाफ करें। मुझे मुख्य मन्त्री जी से कोई शिकायत नहीं है। एक विरोधी सदस्य होने के नाते मैं यह कहने को तैयार हूं कि उन्होंने सख्त कदम उठाये हैं भ्रष्टाचार के मामले जब मैंने उनके सामने रखे। लेकिन जब मुख्य मन्त्री पार्टीबन्दी से घिरी हों व अन्य मन्त्री भी पार्टीबन्दी से घिरे हों, तो सही-सही काम कैसे हो सकता है। इसी सदन के अन्दर माताटीला कांड मैंने पेश किया, अखबारों में भी उस की चर्चा हुई। मैंने माताटीला के मामले में सरकार को अनेकाने सूचनायें दीं और माननीय मुख्य मन्त्री ने मुझसे कहा कि सतर्कता पुलिस को मामला दिया जा चुका है। ५ महीने तक कोई अफसर इन्क्वायरी के लिएन हीं गया। तो क्या आप भ्रष्टाचार को इसी तरह से मिटाना चाहते हैं? इस तरह के गम्भीर मामलों में अगर जरूरत हो अ र प्लेन से भी जाना जरूरी हो तो जाना चाहिये। माननीय नन्दाजी चूंकि बड़ी हैसियत के हैं इसलिए उनकी छोटी बात भी बड़ी हो जाती है और हमारी बड़ी से बड़ी बात को भी शायद उतना स्थान नहीं मिलता है। माननीय नन्दा जी ऐलान करते हैं कि हम देश से एक वर्ष में भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, लेकिन मेरी उनकी छोटी-सी चुनौती है कि ५ वर्ष में भी वह यह नहीं जान सकते हैं कि हिन्दुस्तान में बेईमानी व भ्रष्टाचार के तरीके क्या हैं। ५ महीने के बाद मेरे लिखने के, मुझे नन्दा जी का उत्तर मिला कि मेरा भेजा मामला स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया गया है। इस तरह से कैसे भ्रष्टाचार मिटेगा?

कल एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप लोग सिफारिशें करते हैं। झांसी में ५ मुकदमें फौजदारी के १२०—बी०, ४०९, ४२०, ४७०, ४६९ आदि के चले लेकिन कांग्रेस के एक भाई को बचाने के लिए सरकार ने मुकदमें वापिस ले लिये और सेशन की अदालत से भी मुकदमा फौजदारी का वापिस ले लिया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

*श्री रामायणराय—

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के बारे में जो धन्यवाद का प्रस्ताव हमारी ओर से प्रस्तुत किया गया है मैं उसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

जहां तक मुझे स्मरण है, पिछले अनेकानेक वर्षों में इस सदन के समक्ष महामहिम राज्यपाल द्वारा जितने भी सम्बोधन प्रस्तुत किये गये उन सभी का यदि मैं तुलनात्मक अध्ययन करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यही पहला सम्बोधन है जिसे हम वस्तुस्थिति का सच्चा चित्र मान सकते हैं। इस सम्बोधन में निस्संदेह आज हमारे देश और प्रदेश की जो परिस्थिति है उसका वास्तविक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिबिम्ब किसी भी देखने वाले को मिल सकता है। मैं ऐसी आशा करता था कि राज्यपाल महोदय ने जिस गम्भीरता के साथ इस सदन से यह आग्रह किया है हमें ऐसे मौके पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारे सामने जन-जीवन के जो बड़े-बड़े सवाल हैं उनको हल करने में सक्रिय योगदान करना चाहिये। परन्तु मुझे बड़ी निराशा हुई जब मैंने देखा कि पिछले दिनों में जिन दलों ने भी अपने विचार व्यक्त किये उनके विचार एक दूसरे पर छींटाकशी के अतिरिक्त कोई रचनात्मक सुझाव देने वाले नहीं थे। मैं यह आशा करता था कि यदि विरोधी दल यह मानता है कि यह सरकार अन्न की समस्या हल करने में असफल सिद्ध हुई, यदि यह विरोधी दल यह मानते हैं कि इस सरकार द्वारा जो उपाय होने चाहिये थे वो इसने नहीं किये, तो उसे ब्योरे के साथ उन भूलों को और उनका समाधान प्रस्तुत करना चाहिये था। यदि मैं भूलता नहीं हूं तो कल ही की बात है कि एक माननीय सदस्य ने, जो अलीगढ़ जिले से आते हैं, यह कहा कि आज जितनी भी समस्यायें हैं, चाहे वह अन्न की हो या प्रशासन की या और कोई भी हो, चाहे भाषा का प्रश्न हो, इन सभी समस्याओं का एकमात्र हल है कि सुचेता कृपालानी जी को मुख्य मंत्री जी की कुर्सी से उतार दीजिये। मैं यह सुनकर हैरान हुआ। वह काफ़ी विद्वान आदमी हैं। (श्री कमलासिंह के कुछ कहने पर) मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय कमला सिंह जी, जिनका जनतंत्र में विश्वास है, मेरे विचारों को ध्यान से सुनने की कृपा करेंगे। न सुनना हराम है, मगर सुनने के बाद तैश में आना हराम है। मेरी प्रार्थना है कि आज जनतंत्र पर खतरा है और आप लोग ऐसे काम न करें जिससे इतिहासकार को लिखना पड़े कि उस समय कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक तरफ तो जनतंत्र का हवाला देते थे और दूसरी ओर ऐसे काम करते थे, ऐसा आचरण करते थे, जो जनतंत्र की जड़ों को खोदने वाले हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह जी के क्या विचार हैं कम्युनिस्टों के बारे में, डाक्टर जेड० ए० अहमद साहेब के क्या विचार हैं जनसंघ के बारे में, इससे ऊपर उठकर जब आप विचार करेंगे तभी आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आज की समस्या ऐसी समस्या है जिस पर आपको दलगत दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिये और कम से कम....

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरंम्भ हुई।)

श्री रामायणराय—

मैं यह आग्रह कर रहा था कि यदि हमारे साम्यवादी दल के मित्रों को ठीक पता होगा तो वे जानते होंगे कि ख्रुश्चेव का हटाया जाना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। जहां तक मेरी जानकारी है, उनका हटाया जाना अन्न की समस्या से संबंधित है। रूस जैसे देश को, जो वर्षों से साम्यवादी विचारों के आधार पर, सहकारिता के आधार पर, कृषि के क्षेत्र में अपनी जनता के उदर की ज्वाला शांति करना चाहता था वह भी असफल रहा और उसे भी दूसरे देश से अपनी जनता का पेट भरने के लिये अन्न मांगना पड़ा तो ऐसे अवसर पर ख्रुश्चेव ने एक नया प्रयोग किया। उन्होंने व्यक्तिगत खेती कराई। उसके कुछ ऐसे परिणाम निकले जिनके चलते एक नयी पालिसी अपनी पार्टी के सम्मेलन के सम्मुख वह प्रस्तुत करने वाले थे। मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, जैसा कि मसानी साहब ने कहा है, सारी-की सारी फार्म मैनेजरों और कारखाना मैनेजरों के द्वारा संचालित होती है। जब फार्म मैनेजरों ने यह देखा कि ख्रुश्चेव एक नयी नीति को अपनाने जा रहे हैं तो उन्होंने जब वे ओडेसा प्रान्त में दौरे पर गये हुए थे, उनको अपदस्थ करा दिया। इसलिये आपको जानना चाहिये कि अन्न की समस्या ऐसी समस्या नहीं है जो केवल उत्तर प्रदेश में ही हो, वह सारे संसार की समस्या है। एक दूसरे को कोसने से काम नहीं चलेगा। अगर हमारी जगह आप को पदासीन कर भी दिया जाय तो भी समस्या सुलझ नहीं सकती।

[श्री रामाश्रयराय]

इस समस्या के दो पहलू हैं। मैं समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि यदि कोई आदमी भारत को समाजवादी देश बनाने की बात कहता है तो उसको मानना होगा, जैसा कि एक बार रूस में लेनिन साहब ने कहा था कि हमारा सोशलिज्म सीधे-सीधे सोशलिज्म प्लस धन प्लस विद्युतीकरण है। इसी प्रकार से भारत के समाजवाद की परिभाषा होगी—उत्पादन प्लस धन प्लस फेमिली प्लानिंग। कोई भी इस समस्या पर जब गंभीरतापूर्वक विचार करेगा तो उस को मालूम होगा कि पिछले १०० सालों में भारत की जन संख्या किस तरह से बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ उत्पादन की समस्या पर भी हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करना है। अगर आप इस दृष्टिकोण से विचार न करेंगे तो चाहे कितना ही आप एक दूसरे को कोसा करें, कोई चीज हल होने वाली नहीं है।

मैं यह मानता हूं की वितरण की आज जो व्यवस्था है वह दोषपूर्ण है। जिस क्षेत्र में दो नीतियां चलेंगी उस क्षेत्र में कभी भी हम ठीक काम नहीं कर सकते। एक ओर गल्ले का खुला व्यापार भी चलता रहे और दूसरी ओर सोसाइटी की दूकानें भी चलती रहें तो समस्या का किसी प्रकार से भी हल नहीं हो सकता। जाहिर है कि हमारी पार्टी के लोगों ने इस मामले में काफी गंभीरतापूर्वक कदम उठाये हैं। जहां हमने यह सोचा है कि नियोजन से किस प्रकार धन का केन्द्रीयकरण होता है और बड़े-बड़े धंधों को चलाते हुए मुद्रास्फीति को किस प्रकार रोका जाय, इस पर भी विचार किया गया है। हमने यह भी सोचा है कि स्टेट ट्रेडिंग के अलावा और कोई समाधान इस समस्या का नहीं हो सकता है। जहां तक वितरण का प्रश्न है मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि वितरण के क्षेत्र में दुहरी नीति का होना समस्या को और भी अधिक उलझाना है। लेकिन उसके साथ-साथ आज जो भी एजेन्सीज काम कर रही हैं उनकी क्या हालत है। सस्ते गल्ले की दूकानों के बारे में मैं यह नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जब कोई दूकानदार पकड़ा जाता है तो उसकी वकालत कौन लोग करते हैं? दूकानदार की बात जाने दीजिये, आज समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मैं खाद्यान्न के क्षेत्र में एक अपराधी मानता हूं। पिछले दिनों गंगा फ्लावर मिल का प्रोपाइटर कुछ गड़बड़ी करते हुए पकड़ा गया, तो एक तरफ उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार की एक कमेटी तो सिफारिश करती है और उस कमेटी के सदस्य अभी लखनऊ पहुंचे भी नहीं उसके पहले ही कुछ लोग उसकी सिफारिश के लिये पहुंचे हुए थे। यह कुछ ही दिन पहले की बात है। मैं उन लोगों में नहीं हूं कि मर्यादा को तोड़ कर उस माननीय सदस्य की इस कमजोरी से कोई फायदा उठाने की कोशिश करूं। मैं तो आग्रह कर रहा हूं कि आज की सरकार ने जो प्रगतिशील काम किये हैं उन प्रगतिशील कामों की चर्चा माननीय सदन के इस ओर बैठने वालों ने अनेकानेक अवसरों पर की है, पर आज जो सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन की बात की जाती है, मैं स्वयं भी मानता हूं कि आज की जो खाद्य स्थिति है उसमें समाज का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो उससे प्रभावित हुए बिना रहा हो। राज्य सरकार भी इस समस्या पर गहराई से सोच रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिस सरकार का सूत्र संचालन एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो रहा है जिसकी आस्था समाजवाद और जनतंत्र में है, उसके द्वारा आज की समस्या का समाधान अपनी सीमा और मर्यादा के भीतर रहते हुए अवश्य प्रस्तुत किया जायगा। लेकिन उस समाधान के प्रस्तुत होने के अवसर पर जिस सहयोग की आशा हम करते थे वह हमारी आशा तिरोहित हो गयी और वह निराशा में बदल गयी।

एक महान क्रान्तिकारी नेता ने भाषा का प्रश्न इस सदन में सामने उठा दिया। आप देखें कि डी० एम० के० के द्वारा मद्रास में क्या हो रहा है और किस तरह से वे हिन्दी का विरोध कर रहे हैं। अगर वे सचमुच अपने को देश-भक्त कहते हैं और देश की अखंडता में विश्वास रखते हैं तो वे मेरी राय से सहमत होंगे तथा उन्हें यह मानना पड़ेगा कि भारत को अखंड व अक्षुण रखने के लिये आज पहले से अधिक सहयोग अपेक्षित है, पहले से अधिक सद्भावना अपेक्षित है। जो लोग घृणा की राजनीति में विश्वास करते हैं, बिखराव की राजनीति में विश्वास करते हैं, वे अपने भाइयों पर लात जूता चलाने में भी नहीं हिचकते हैं। उनसे भी मेरा आग्रह

है कि वे जनतंत्र के नाम पर, समाजवाद के नाम पर इस तरह के जहरीले विचार फैलाने की कृपा न करें।

*श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर केवल भाषा के सम्बन्ध में अगर उन्हें धन्यावाद दिया जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। इसके अलावा और जितनी भी बातें अभिभाषण में हैं वे सरकार के कामों की लीपा पोती करने वाली हैं।

श्रीमन्, आपका ध्यान मैं उस ओर खींचना चाहता हूं जो अभी-अभी आधा घंटा पहले माननीय नेगी जी ने कहा था। श्रीमन्, आपको याद होगा कि ९ तारीख को माननीय सुचेता जी ने इसी सदन में इस प्रकार का एक प्रस्ताव रखा था कि बहिर्गमन करने वाले सदस्यों ने अच्छा काम नहीं किया है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन से पूछना चाहता हूं और श्रीमन्, सदन के द्वारा माननीय राज्यपाल से निवेदन करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में हम सब लोगों ने महामहिम राज्यपाल को एक पत्र लिखा था कि आज जो सरकार की हालत है उस दशा में अगर परिवर्तन नहीं किया गया, जो लूट है, उसको बन्द नहीं किया गया, भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है उसको खत्म नहीं किया गया तो आप जो सम्बोधन करने वाले हैं उसमें हम आपके साथ शामिल नहीं हो सकेंगे। श्रीमन्, यह भी कहा था कि आज के जमाने में जब कि सरकार पद भ्रष्ट हो गई है अपने फैसले के खिलाफ काम करती है, आपस में मंत्रि-परिषद् में उलझाव है, यह मंत्रि-परिषद् अच्छे माने में शासन नहीं कर सकती है और सारे देश में निराशा का वातावरण है। हरएक व्यक्ति अपने को महफूज नहीं मानता है। हरएक व्यक्ति सोचता है कि हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। इसका एक ही रास्ता हो सकता है कि आप विधान सभा को भंग कर दें और नया निर्वाचन करावें। यद्यपि, इससे मुझको तकलीफ है और श्रीमन्, हरएक व्यक्ति को तकलीफ है। मैं सोचता था कि महामहिम राज्यपाल जिनके पास साधनों की कमी नहीं है हम लोग यह उम्मीद करते थे कि हम लोगों को बुलाकर बात करेंगे। श्रीमन, आपको तकलीफ होगी, इस सदन को तकलीफ होगी यह सुनकर कि महामहिम राज्यपाल ने उस पत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया। महामहिम राज्यपाल की तरफ यदि कोई पत्र जाता है और उसका उत्तर वे नहीं देते हैं, तो क्या विश्वास किया जा सकता है। उधर के बैठने वाले अथवा जो मंत्री जी बैठते हैं ये हमारा क्या उत्तर नहीं दे सकेंगे? मैं दाव के साथ कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का व्यवहार महामहिम राज्यपाल की तरफ से हो तो हमारे एसे लाखों व्यक्ति हो सकते हैं, जो इस प्रकार के महामहिम राज्यपालके व्यवहार का विरोध करेंगे।

मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अपने प्रदेश में ५ महीने तक असेम्बली बन्द रही। आप उदाहरण दीजिए, उत्तर प्रदेश को छोड़िये इस हिन्दुस्तान की कौन सी विधान सभा है, जो इतने दिनों तक बन्द रही हो। आप एक भी उदाहरण दीजिये कि ऐसी कौन-सी विधान सभा कभी बन्द रही है? ऐसे संकट काल में विधान सभा बन्द कर दो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल के इस सम्बन्ध में क्या अधिकार हैं। श्रीमान् यह संविधान की कापी मेरे पास है इसमें अनुच्छेद १७४ को आप देखें। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि राज्यपाल जैसा वह उचित समझे अधिवेशन के लिये आहूत करेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इस तरह की परिस्थिति अपने प्रदेश में है, मंत्रियों में इस तरह की खींच तथा मारपीट है, श्रीमन, प्रदेश में लाखों आदमी हैं, राम-लखन मिश्रा जी इसकी ताईद करते हैं जिनको तीन वक्त खाना नसीब नहीं होता है। तो ऐसी दशा में क्या आप चाहते हैं कि विधान सभा की बैठक न हो, आप चाहते हैं कि किसानों की समस्याओं का हल न हो सके? सरकार चाहती है कि जो लाखों खेत इस वर्ष परती पड़े हुये हैं, परती पड़े रहें? जनता के प्रतिनिधि इधर और उधर दोनों तरफ हैं आप जानते थे कि जनता की आवाज को यहां पर सुनना पड़ेगा, इसलिये आपने विधान सभा की बैठक नहीं बुलाई। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि विधान सभा को न बुलाने का मतलब है कि आप जनता की तकलीफ को सुनना नहीं चाहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

इसी पांच महीने में ७–७ आर्डिनेन्स निकाले हैं। वह आर्डिनेन्स क्या है? उन आर्डिनेन्स में क्या लिखा था? वह ऐसा है कि जो जनहित के विरुद्ध है और वह इस तरह का है कि किसानों के गले पर आरी चलाने वाला है। चीनी मिल मालिकों को भरपूर गन्ना मिल सके इस वास्ते सूबे की जो गुड़ वाली इकाइयां हैं उन पर ५० प्रतिशत कर बढ़ाया जाता है। इस तरह का आर्डिनेन्स हमारी गैर हाजिरी में लाया गया है और हमारी मर्जी के खिलाफ पैसा इकट्ठा किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह किसका दोष है यह किस की जिम्मेदारी है? मंत्रि मंडल की जिम्मेदारी है या राज्यपाल की जिम्मेदारी है? जब कि संविधान में पूरा पूरा अधिकार उनको है? वह परिस्थिति को जानते थे और उनके दस्तखत से आर्डिनेन्स निकाला जाता है और सारे काम होते हैं। उनको ऐसे गाढ़े वक्त में सोचना चाहिये था कि ऐसे अध्यादेश से क्या अहित किसानों का होगा। वह हमारी बातों को सुनते और इस सरकार को ऐसा करने से रोकते। मैं समझता हूं कि इस से विधान सभा का नुकसान है, करोड़ों जनता की बात को अमान्य किया गया है और इस कारण से हम लोगों ने उस दिन बहिर्गमन किया वह कोई अनुचित कार्य नहीं किया है और मैं उधर बैठने वालों से यहां के मंत्रियों से और राज्यपाल महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इस प्रदेश में इस तरह का रवैया ऐसे महान जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा अपनाया जायगा तब तक विरोधी दल सम्मानपूर्वक उनके अभिभाषण का बहिष्कार करेगा।

एक निवेदन मैं और करूंगा—कल अखबार में हमने पढ़ा माननीय बनारसीदासजी का बयान। स्पीकर महोदय से राज्यपाल महोदय ने कहा था कि विरोधी दलों के नेताओं से हम साढ़े ३ बजे मिलना चाहते हैं— हम को सूचना दी गई कि साढ़े ३ बजे गवर्नमेंट हाउस जाना है। आप की बगल में बैठने वाले श्री मित्तल जी यहां मौजूद नहीं हैं। उनके कमरे में हम, भानुप्रताप जी और श्री भगवान सहाय जी गये पूछने के लिये—माननीय जेड० ए० अहमद तो स्पीकर साहब के जाल में फंस गये, लेकिन हम ने सोचा कि सही जानकारी पहले हासिल कर लें कि बुलाया गया है या नहीं। जब मित्तल साहब के कमरे से वहां फोन किया गया तो उत्तर मिला कि बुलाया नहीं गया है जब कि जेड० ए० अहमद साहब उस समय राज्यपाल के यहां पहुंच चुके थे। उनको वहां बताया गया कि साढ़े ३ बजे नहीं बल्कि साढ़े ५ बजे मिलना है, लेकिन आप को सुनकर ताज्जुब होगा कि वह सूचना भी किसी को नहीं दी गई केवल डा० जेड० ए० अहमद को आई थी। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय बनारसीदास जी क्या चाहते हैं? इस तरह का उन का रवैया है और ऐसे बयान वह अखबार में छपवाते हैं। विरोधी दल के नेता की बात छोड़ीये, वह क्या चाहते हैं। किसी भी नागरिक के लिये वह क्या चाहते हैं? क्या वह चाहते हैं कि २४ घंटे उनकी दरबारदारी में खड़ा रहे या राज्यपाल के दरवाजे पर जाकर बैठ जाय। सूचना तक नहीं देते और बयान अखबार में छपवा देते हैं मैं समझता हूं यह बहुत ही गैर जिम्मेदारी की बात है कम से कम सूचना वह देते तब शिकायत हो सकती थी। कहा गया कि माननीय राज्यपाल ने विरोधी दल के नेताओं को सूचना दे दी, लेकिन माननीय राज्यपाल की सूचना क्या है किस तारीख को दी गई किस को दी गई इसका हमें पता भी नहीं। कोई सूचना हमारे पास समय के भीतर लिखित रूप से नहीं आई। समाचार पत्रों में ऐसे गलत बयान देना और दूसरों के विषय में गलत प्रचार करना अपने दोष को दूसरों पर मढ़ना लोकतन्त्र के लिये हितकर और जनतन्त्र के लिये कोई सच्चाई की बात नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की गलत लीपापोती भविष्य में नहीं होनी चाहिये।

एक शब्द मैं भाषा के सम्बन्ध में और कहना चाहता हूं। यहां की हिन्दी राष्ट्रभाषा हो गई है और इस के लिये हम ने माननीय राज्यपाल को धन्यवाद भी दिया था, लेकिन माननीय जेड, ए० अहमद साहब ने जो इशारा किया था दक्षिण के लोगों के लिये और उनका जो मतलब था कि हिन्दी राष्ट्रभाषा रहे। श्री भक्तवत्सलम का उन्होंने उदाहरण भी दिया था।

मैं कहता हूं कि दक्षिण और उत्तर का मेल-जोल और बढ़ना चाहिये। मुझे याद है, माननीय चन्द्रभानु गुप्त जब मुख्य मंत्री थे तो तीन भाषा फारमूला तय किया गया था जिसके अनुसार यहां हिन्दी अंग्रेजी और कोई दक्षिणी भाषा या और कोई भाषा रखने की बात थी। संस्कृत भी चालू की गयी स्कूलों में। लेकिन मेरा सुझाव है कि हम अपने प्रदेश में यह भी तय करें कि हर एक हायर सेकेन्डरी स्कूल में ऐसे अध्यापक रखे जायंगे जो दक्षिण की भाषायें तामिल, तेलगू मलय लम जानते हों ताकि प्रदेश में इन भाषाओं को सीखने की इच्छा रखने वालों को पढ़ायी जा सके। यहां के लोग दक्षिण में जायं और उधर के यहां आये भाषा सीखने के लिये। इस प्रकार हिन्दी के प्रति जो विरोध है वह खत्म हो सकता है और ऐसा वातावरण पैदा किया जा सकता जिसमें दक्षिण और उत्तर का प्रश्न तथा हिन्दी विरोधी भावना समाप्त की जा सकती है।

अब मैं अनाज के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। माननीय रामायण राय जी चले गये, उन्होंने कहा कि कोई ठोस सुझाव नहीं दिया जाता है। जब आदमी इतनी जल्दी जल्दी भूल जाता है तो फिर काम कैसे चलेगा? माननीय रामायणराय जी इन्हीं कुर्सियों पर बैठ कर और कल्पनार्थसिंह जी तथा गेंदासिंह जी एक बार नहीं हजारों बार सुझाव दे चुके हैं। सुझाव हम लोगों ने दिये हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि उधर जाने के बाद लोगों को दूसरे स्वप्न दिखायी देने लगते हैं और सारी तकलीफ भूल जाते है। अनाज में राज्य व्यापार का जो फैसला कांग्रेस सरकार ने दिया है हम उसका समर्थन करते हैं। क्यों नहीं आप उसको लागू करते? क्या कारण है? माननीय नेगी जी ने कहा कि पचासों दिक्कतें है। उनको दूर करना भी तो आपका कर्त्तव्य है। जहां जनता के हित के खिलाफ कोई दिक्कत आती है वहां हम आपको अवश्य विरोध करेंगे लेकिन जहां जनता के फायदे की बात आप करते हैं वहां हम आपका समर्थन करते हैं और करेंगे। लेकिन अनाज के मामले में सरकार ने जनता के हकों के साथ खिलवाड़ किया है। मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश में कितने जखीरेबाजों को आपने गिरफतार किया? जब खरीफ की फसल आने वाली थी तो माननीय लालबहादुर शास्त्री माननीय सुब्रामण्यम ने कहा था कि खरीफ की फसल काफी अच्छी हुई है और हमारी गल्ले की समस्या हल हो जायगी। मैं पूछना चाहता हूं वह फसल कहां गयी? मैं कहता हूं, इस प्रदेश में दो समुदाय हैं बड़े-बड़े—किसान और जखीरेबाज, जिनके घरों में गल्ला पड़ा हुआ है? कितने बड़े-बड़े किसानों के खिलाफ आपने मुकदमा चलाया, जखीरेबाजों को पकड़ा? अभी माननीय नेगी जी ने कहा कि हमने लाखों टन गल्ला पकड़ा, लेकिन हाई कोर्ट से छूट गया। वहां से तो इसी कारण छूटा क्योंकि आपके कानून में कमी थी। इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है जो ऐसे लचीले कानून बनाती है, ऐसे अनुभवहीन सलाहकारों से बनवाती है जिससे अदालतों में उनकी छीछालेदर होती है और साथ साथ विधान सभा की भी होती है। सारी कमजोरी सरकार की है इसीलिये गल्ले की कमी है।

माननीय कल्पनार्थसिंह जी ने बीसों बार कहा, माननीय गोविन्दवल्लभ पन्त जी यहां नहीं हैं, उनकी अध्यक्षता में जो जमींदारी उन्मूलन कमेटी बनी थी उसने क्या सिपारिश की थी? उसने कहा था कि जब जमींदारी एबोलिशन होगा तो जितनी भी अलाभकर जोतें हैं वे सब लगान से माफ हो जायेंगी। आप जानते हैं कि ये अलाभकर जोत वाले कौन लोग हैं? ये वे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं और गल्ला पैदा करते हैं। छोटे-छोटे किसान हैं। उनके लिए मालगुजारी देना, तकावी का रुपया देना और विवाह, और शादी वगैरह करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसकी जरूरत के सब सामानों की कीमतों के भाव अत्यधिक बढ़ गये हैं। श्रीमन्, आपको याद होगा कि खरीफ की फसल में मकई और बाजरे के दाम तय किये गये। जो भाव तय किये गये वह बहुत कम हैं। किसानों के गल्ले के भावों को ये क्यों कम करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि किसान सस्ते भाव से अपना सामान दें और जब अपने प्रयोग के लिये कोई सामान खरीदें तो चौगुने दाम पर उन्हें खरीदें? माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमने केन्द्रीय सरकार को लिखा था कि वे गल्ले के और सामानों की कीमतों को संतुलित करें, लेकिन केन्द्रीय सरकार इसको नहीं मानती है। केन्द्रीय सरकारन इकी (श्री नेगी जी की) बात को नहीं मानती है।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

जब हम लोग, इधर के बैठने वाले, इन लोगों की आंखों को खोलना चाहते हैं, इन्हें ठीक रास्ते पर लाना चाहते हैं, जखीरे बाजों के स्टाक्स को निकलवाकर सस्ते भाव करवाना चाहते हैं तो आप नहीं करने देते हैं। मेरे पीछे माननीय गिरजाशंकर जी बैठे हुए हैं। अभी अभी सितम्बर के मास में इन्होंने सत्याग्रह किया तो इन पर डकैती का केस चलाया गया, विशेषतया जबकि उन्होंने सरकार को नोटिस भी दिया कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं। माननीय रामायणराय जी बहुत बड़े विशाल हृदय के हो सकते हैं और यह भी उधर जाने के बाद हो सकते हैं। मुझे अत्यन्त कष्ट होता है कि जब विधान सभा के सदस्य, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जखीरेबाजी को खत्म करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सत्याग्रह करते हैं तो उस समय आपकी सरकार पुलिस के जरिये उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करती है। आप स्वयं अपने हृदयों को नहीं टटोलते हैं। सारी जनता, जो इस समय अत्यन्त परेशान है, उसको आप नहीं देखते हैं। आपकी आंखों में अन्धकार छाया हुआ है। आपके दिल निष्ठुर हो गये हैं। इधर के बैठने वाले सदस्य तो आपके लिये चिराग का काम करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं पर आप लोग फिर भी नहीं चेतते। आप समाजवाद का दावा करते हैं पर जनता की इच्छाओं का ध्यान नहीं रखते। गांधी जी कहते थे कि वह जनतंत्र जनतंत्र नहीं है जहां देश के बड़े बड़े धनिकों को जो सुविधाएं हैं वे गरीबों को न हों। आपके प्रदेश में ५ रु० पाने वाला चौकीदार कैसे उम्मीद कर सकता है कि उसका लड़का भी डिप्टी कलक्टर हो सकता है? समाजवाद वही है जहां पर समान अधिकार हों आगे बढ़ने के। श्रीमन् फीस माफी की दुहाई दी गई। सन् १९५२-५४ की बात है। वित्त मंत्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम थे और उनकी घोषणा थी कि छठे क्लास तक की फीस माफ कर दी गई है और दसवीं क्लास तक फीस आगे माफ करेंगे। समाजवादी लोकतंत्र की आप स्थापना करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि इस प्रदेश में १० वीं क्लास तक फीस सभी के लिये माफी की जाय।

निकायों के चुनाव कराने की बात कही गयी है। निकायों के मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि सीतापुर जाकर देख लीजिये। आपके पुराने सहयोगी माहेश्वरी जी ने लिख कर भेजा है प्रेसीडेंट के खिलाफ। बेकायदा उन्होंने रसीदें काटी हैं। पैसा सुरक्षा कोष का है। उसे सरकारी खजाने में नहीं बल्कि पेट के खाने में जमा किया है। देवी दयाल शुक्ल अनशन करने जा रहे हैं १२ तारीख से और अवधेश कुमार सिन्हा ने डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर तथा मुख्य मंत्री के पास-प्रार्थना पत्र दिये कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हालत पक्षपातपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि निकायों का बजट जब आये तो इस तरफ ध्यान दिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो धन्यवाद का प्रस्ताव जगदीशप्रसाद जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं दो रोज से जो भाषण इस पर हो रहे हैं उनको सुन रहा हूं। मुझे आशा थी कि अनुभव प्राप्त व्यक्ति अपने अनुभव से सदन को लाभान्वित करेंगे और कोई ठोस व रचनात्मक सुझाव रखेंगे लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो भाषण हुए उनके सुनने के बाद एक ही निष्कर्ष मैंने निकाला कि ये दिलजलों की आहें हैं, दिल के फफोले फोड़े जा रहे हैं और मुझे ताज्जुब तब होता है जब मैं सदन में बार बार इसी प्रकार की बातें सुनता हूं चाहे वह बजट अधिवेशन हो, चाहे अनुदानों पर मांगें हों, चाहे राज्यपाल का सम्बोधन हो, चाहे अविश्वास का प्रस्ताव हो। हर वक्त एक ही स्वर अलापा जाता है, कभी कोई ठोस रचनात्मक बात नहीं कही जाती है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमारे माननीय मित्रों को आलोचना का अधिकार है लेकिन उनका आलोचना सद्भावनापूर्ण हो, रचनात्मक हो, व्यावहारिक हो। आप ठंढे दिल से इन आलोचनाओं का सिंहावलोकन करें तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि केवल सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिये और लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने के लिये अव्यावहारिक बातें कह कर सदन का तथा अपना समय नष्ट किया जाता है।

माननीय राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में जिन समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित किया है वे समस्यायें इतनी गंभीर हैं कि आज हम सबका यह कर्त्तव्य है कि इस प्रदेश के जनहित में, इस सूबे को उन्नतशील बनाने के लिये उन पर गंभीरता से विचार करें। यह प्रसन्नता की बात है कि हमारी लोकप्रिय सरकार ने सदैव इन समस्याओं को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया है लेकिन खेद की बात है कि यहां उसकी बड़ी आलोचना हुई है। बात ठीक है कि खाद्य संकट उपस्थित हो गया है, लेकिन बुद्धिमत्ता की यह मांग थी कि हम सब बैठ कर इस समस्या को हल करने का कोई उपाय निकालते। लेकिन हुआ क्या? दैवी प्रकोप से इस प्रदेश तथा देश के अन्दर आज खाद्य संकट उपस्थित है। उस पर हमारे विरोधी पार्टी के मित्रों ने राजनीतिक लाभ उठाने की बात सोची और आन्दोलन चलाये। अगर खाद्य संकट के इतिहास का सूक्ष्म परीक्षण किया जाय तो इसकी जिम्मेदारी स्पष्टतया विरोधी दलों पर है और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सत्य से परे नहीं है। तीन फसलें इत्तिफाक से खराब हो गयीं, भाव महंगे हो गये, इन लोगों ने तमाशे करने शुरू किये और अखबारों का सहारा किया और सारे प्रदेश के अन्दर प्रचार किया कि भुखमरी है, कमी है इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने गल्ला दबाना शुरू किया। चाहे जखीरेबाज हों या किसान हों, यह मानव स्वभाव है कि जब किसी चीज की कमी होती है तो लोग उसे पकड़ते हैं और हाथ से निकलने नहीं देते हैं। इसलिये लोगों ने गल्ला दबाना शुरू कर दिया और तेजी शुरू हो गई। इसकी जिम्मेदारी इन पर नहीं है तो किस पर है। यह अगर आन्दोलन न चलाते तो यह स्थिति पैदा न होती। लेकिन यह संकट आया और खाद्य विभाग ने भगीरथ प्रयत्न किया और आज्ञायें प्रसारित कीं। लेकिन माननीय मित्रों की कृपा से वह नहीं चल सकीं। खाद्य विभाग से जो आदेश निकलते थे उनके खिलाफ ये लोग जनता को भड़काते थे। यह जनता की सरकार है, कैसे किसी के साथ कुछ कर सकती है? आन्दोलन चला, जिससे गल्ला बाजारों में कम आया। सरकार ने जिलाबन्दी तोड़ दी क्योंकि सरकार तो जनता की भावना का आदर करती है। अब हालात ठीक हो रही है और भाव नीचे गिर रहे हैं। सब से बड़ा श्रेय सरकार को यह है कि इस प्रदेश में किसी को भूख से मरने नहीं दिया गया। वैसे प्राकृतिक मृत्यु तो होती ही रहती है।

मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। उसने समाजवाद की ओर प्रगति की है। बड़े किसानों से जमीन लेकर छोटे किसानों को देना यह समाजवाद की ओर जाना नहीं है तो क्या है? शिक्षा की प्रगति की, आंतरिक सुरक्षा कायम रखी, उद्यागों को आगे बढ़ाया और सभी प्रकार से प्रदेश को आगे बढ़ाया। इन तमाम बातों के होते हुये कहा जाता है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा विश्वास था कि यहां पर विवाद का स्तर ऊंचा होगा, लेकिन व्यक्तिगत बातें कही गईं। मैं उसको सदन की मर्यादा के विरुद्ध समझता हूं। व्यक्तिगत बातों के लिये तो दूसरा प्लेटफार्म है। हमारे इटावा के एक मित्र जो एक पार्टी से संबंध रखते हैं उनका यह रवैया है कि जहां कहीं मौका मिलता है वह आलोचना किया करते हैं। इटावा में विकास सम्मेलन हो रहा था। जब वे बोलने खड़े हुये तो डी० सी० डी० एफ० और जिला परिषद् आदि की सारी बातें कहनी शुरू कीं। मैंने उनसे नम्रता से कहा कि इन बातों का यह उपयुक्त अवसर नहीं है। ये आप पार्टी प्लेटफार्म पर कीजिये। यहां तो ऐसी बातें होनी चाहिये जिनसे जिले को लाभ हो। मुझे आशा थी कि वे इस सदन के माननीय सदस्य हैं, इसलिये गम्भीर बातें कहेंगे, लेकिन वे हल्की फुल्की बातों पर आ गये। हमारे जिले में संयोग से ऐसे पुलिस अधीक्षक आ गये हैं जो पक्षपात नहीं करते। इनका रवैया यह है कि जो पुलिस अधीक्षक इनसे डरता है उनका कहना मानता है तब तो ठीक है वरना उसके खिलाफ जुलूस निकाला जाता है, आन्दोलन किया जाता है वह नालायक है, यह उनका उनका तरीका है।

इसी तरह से हमारे यहां डी० सी० डी० एफ० हैं। उसका काम बहुत अच्छा है। उसको कोल्ड स्टोरेज बनवाना है। इसके लिये एक सज्जन ३७ पैसे वर्ग फीट पर जमीन देने को तैयार हो गये। लेकिन इन्होंने आन्दोलन किया। जमीन मौके की थी और कीमती थी। उन्होंने मना कर दिया। वह जनसेवक हैं, हमें वे कृपा करके ५० पैसे फीट के हिसाब से दिलवा

[श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल]

दें। लेकिन हमें इनकी वजह से वह जमीन नहीं मिल सकेगी। इसी प्रकार से वह संयोग से कोआपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं, तो वह वहां भी ऐसी बातें कहा करते हैं। हमारा दावा है कि कोई साहब भी जाकर हमारे कोआपरेटिव बैंक का निरीक्षण कर लें और हमारा हिसाब देखें, वह उसे बिलकुल ठीक पायेंगे। हमारा खर्चा बहुत कम हो गया, हमने अपनी कारोबारी पूंजी बढ़ा ली हमने किसानों का ब्याज कम कर दिया है हमने इसकी तीन शाखायें खोली हैं जिससे दूर-दूर के लोगों को इटावा तक नहीं जाना पड़ता है, हमने उनको और तमाम सुविधाएं दी हैं। श्रीमन् मैं समझता हूं कि यह फोरम नहीं है इन चीजों के कहने का लेकिन मैं मजबूर हो गया उनको जवाब देने के लिये। क्योंकि किसी झूठ का जवाब न देने का मतलब है कि उस झूठ को स्वीकार किया जाय। उन्होंने परिषद् की बात कही, उसको कोई जाकर देखें कि उसने कितना सुन्दर काम किया है। वहां पर जमीन लेने की बात कही गई। वहां पर कमीशन नियुक्त हुआ, सरकारी वकील गया उन्होंने जाकर उसकी जांच की और कहा कि इस सर्राफ ने कोई जमीन इसकी नहीं पायी है। आज जो एक रोग फैल गया है आलोचना करना, उल्टी सीधी बातें कहना। मैं उसके बारे में अपने मित्रों से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं—

तुलसी जो कीरत चहत, पर कीरत को खोय।
तिनके मुंह मसि लागि है, मिटे न मेटे धोय।।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तीन दिनों से महामहिम राज्यपाल के भाषण पर विवाद हो रहा है। मैंने दोनों तरफ के भाषण सुने। रूलिंग पार्टी के भाषण भी सुने और बिरोधी दल के नेताओं के भी सुने। जब मैं हाउस में आता हूं तो जनता की आवाज यहां कहने की कोशिश करता हूं। रूलिंग पार्टी के लोग भी जनता की आवाज कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जब सदन में जनता की आवाज कहते हैं तो मंत्रियों से डरते हुये बोलते हैं और यह सोचते हैं कि यदि सरकार की आलोचना की तो हमारे जो निजी काम हैं अपने और अपने रिश्तेदारों के निकलते हैं वह नहीं निकाल सकेंगे। इसलिये उन्हीं की ऐसी कहते चलो। राज्यपाल महोदय का इस वर्ष का जो भाषण है उसके पढ़ने से पता चलता है कि उसमें मायूसी भरी पड़ी है। राज्यपाल महोदय का भाषण पूर्व सालों की तरह से नहीं था, छोटा-सा भाषण था और उसमें हम देखते हैं कि राज्यपाल महोदय दुखित हैं। जो सरकार पूरे साल गुटबन्दी के कारण लड़ती रही और प्रदेश का शासन खराब होता रहा, खाद्य समस्या बिगड़ती रही, पुलिस का प्रशासन खराब होता रहा और शासन अस्त-व्यस्त होता रहा उससे हमारे प्रदेश के राज्यपाल दुखित हैं और उन्होंने कोई खास बात नहीं कही और हम तो यह समझ रहे हैं कि हमारे राज्यपाल महोदय इस प्रदेश में अपना समय दुखी होकर बिता रहे हैं। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जब यह कांग्रेसी विधायक बाहर जाते हैं और जब जनता के लोग उनसे कहते हैं कि हम तो भूखों मर गये तो यह भी उनकी हां में हां मिला कर कह देते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हम क्या करें, शासन अस्त-व्यस्त हो गया है। सूबे में कोई शासन नहीं है। मैं एक दिन रेल में जा रहा था और यहां से मेरठ के डिब्बे में बैठा। उसी में मुझे सीमा से लौटता हुआ पंजाबी सिपाही मिला। वह भी पहले दर्जे के डिब्बे में बैठा था। उसको जब यह मालूम हुआ कि मैं एम० एल० ए० हूं तो मुझसे कहने लगे कि क्यों साहब, खुद तो मजे उड़ा रहे हो और जनता परेशान है! मैंने उनसे कहा कि क्या आपकी यह राय है कि देश आगे नहीं बढ़ा। वह कहने लगे कि बिलकुल आगे नहीं बढ़ा। मैंने कहा कि तुम बच्चे हो और तुमने वह पहला जमाना नहीं देखा कि जब लोगों को बहुत कष्ट था। इतने में ही एक दूसरे कांग्रेसी एम० एल० ए० उस डिब्बे में आ गये। तो मैंने उन कांग्रेसी विधायक से कहा कि क्या इनकी बातें सही हैं कि देश बिलकुल आगे नहीं बढ़ा तो उन कांग्रेसी विधायक ने कहा कि ऐसा ही है। तो यह इनकी दशा है। जब जनता में जाते हैं तो कहते हैं कि सूबे में शासन खराब है और जब यहां हाउस में आते हैं तो यह कहने लगते हैं कि यह

शासन बहुत अच्छा है। इनको यह मालूम नहीं है कि इनका एक-एक शब्द रोजमर्रा की कार्यवाहियों में यहां पर छपता है तो यह भी जनता के सामने आ सकता है। आज इनकी यह दशा है कि जैसे एक बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है और घर पर कहता है कि मास्टर ने बतलाया कि जमीन गोल है। उसने अपने पिताजी से कहा कि जमीन गोल है, मास्टर जी ने बतलाया है। उसके पिता ने कहा कि जमीन चपटी है, अगर गोल होती तो हम गिर पड़ते। जब वह लड़का स्कूल में गया तो लड़के ने कहा कि मास्टर साहब, स्कूल में जमीन गोल है और घर पर चपटी है! तो इन कांग्रेसी विधायकों की भी यही दशा है। जब ये यहां पर आते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस से अच्छा कोई पार्टी शासन नहीं कर सकती है और यह सब से शानदार पार्टी है। जब ये ट्रेन में जाते हैं या बाहर जाते हैं, बसों में जाते हैं तो ये उनकी हां में हां मिलाते हैं। मेरी तो यह आदत हो गई है कि बचपन से ही मैंने खद्दर पहना है और कांग्रेस में रह कर सेवा की है। मैं जेल भी गया हूं। मैं जब कहीं जाता हूं तो मेरे खद्दर के कपड़ों को लोग देख कर गाली देने लगते हैं। मैं साफ कहता हूं कि वाकई में मैं कांग्रेस में था लेकिन जब देखा कि यह शासन अस्त-व्यस्त हो गया और कांग्रेस वह पार्टी नहीं रही तो मैंने उसको छोड़ दिया। अब कांग्रेस की नीति ही बदल गई है। जब चुनावों में कांग्रेस हारने लगती है तो पैसे वाले लोगों को तलाश करती है।

जब मैं पीलीभीत में गया था तो वहां पर एक नत्थूसिंह का हाल पर नाम लिखा देखा। वहां के लोगों ने बतलाया कि ये कांग्रेस के बड़े अच्छे वर्कर थे। थोड़े पढ़े-लिखे थे लेकिन एक रानी के द्वारा कत्ल करवा दिया गया। फिर उसी रानी को कांग्रेस से टिकट देकर चुनाव में खड़ा किया गया और उनको पैसे के बल पर जितवाया गया। इसी तरह से ये चुनाव जीतते हैं। स्वतन्त्र रूप से चुनाव में यह कहीं पर भी नहीं जीतते हैं। क्या स्वतंत्र रूप से चुनाव गोंडा में हुआ था? इनके चुनाव पक्षपात से होते हैं। लोगों को कांग्रेस का चार आने मेम्बर बना लेते हैं और अपने पास से ही उनकी फीस चार आने भी जमा कर लेते हैं। जब कांग्रेस के अपने चुनाव होते हैं और वोट की जरूरत पड़ती है तो उनसे कहा जाता है कि तुम कांग्रेस के मेम्बर हो। वह कहता है कि हमने तो ४ आना भी नहीं दियाथा तो कहा जाता कि हमने ही जमा कर दिया था। जब मैं बिजनौर में गया तो मुझसे कहा गया कि क्या बात है, यहां पर बहुत मंत्री लोग दौरा करने आ रहे हैं? मैंने बतलाया कि कांग्रेस में दो गुट हैं यह लोग अपने-अपने गुटों के मेम्बर बनाने के लिये और संख्या बढ़ाने के लिये जिलों में आते हैं।

आज कांग्रेस में इतनी ज्यादा फूट हो गई है कि अपनी फूट को छिपाने के लिये ५–५ महीने तक इस हाउस को बन्द किया जाता है और कह दिया जाता है कि हाउस की छत खराब है और इसके टूट कर गिरने का अन्देशा है। खाद्य समस्या बिगड़ी हुई देख कर एम०ए ल० ए० परेशान करेंगे इसलिए बहाना बना कर हाउस को बन्द रक्खा गया। सेशन नहीं बुलाया गया। अब जब कि फसल आने लगी तभी सेशन बुलाया गया जिससे लोगों को समझाया जा सके कि फसल आ गई है, जनता को भूखों न मरने देंगे। आज खाद्य समस्या को लेकर बहुत-सी बातें कही जाती हैं। (व्यवधान) अगर कांग्रेस न सुधरी तो आप को भी इधर आना पड़ेगा।

मैं नेगी जी और कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रदेश की बागडोर आज उस पटवारी के हाथ में है जो अपने परिवार को तांगे पर लेकर बरसात में चला और बढ़ा हुआ नाला देखकर उसने बांस से नाप कर पानी का हिसाब लगाया कि इसकी औसत गहराई क्या होगी और जब देखा कि तांगा निकल जायगा तो उसे आगे बढ़ाया। परिवार के डूब जाने पर वह कहता है कि 'कागज ज्यों का त्यों, कुनबा डूबा क्यों'? यही मसल यहां हो रही है। आपने इतनी गन्ने की मिलें खड़ी कर दीं और जमीन की सीलिंग भी कर रहे हैं। आज किसान पैसा ज्यादा कमाने के लिये गन्ना ही बोना चाहता है। फार्म वाले भी गेहूं नहीं बोते और इस प्रकार की आपकी नीति से खाद्य समस्या हल होने वाली नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो गवर्नर साहब को लाजिमी तौर पर देना होता है, केवल खाद्य नीति को लेकर बहस चल रही है। हमारे यहां क्या, सारे हिन्दुस्तान में खाद्य को लेकर एक गम्भीर समस्या है। हमारे प्रान्त में नेगी साहब खाद्य मंत्री हैं। अगर यहीं की हालत जटिल होती तो उनको चार्ज किया जा सकता था, लेकिन आज सारे भारत में यहीं समस्या है। जो पिछला सेशन था उसमें भी खाद्य स्थिति पर बहस हुई थी। उस समय माननीय जेड० ए० अहमद ने कहा था कि महाजन किसान के घर पर जखीरा बना रहा है। मतलब यह था कि किसानों के घर पर भी यह सरकार तलाशी ले। इसका लाजमी नतीजा होगा कि सरकार बदनाम होगी। जब गल्ला बाहर से आ रहा था तो उसको उतारने में अड़चन डालने के लिये कम्युनिस्टों ने मजदूरों को ज्यादा मजदूरी दिलाने के लिये हड़ताल करा दी और खाद्य समस्या को बिगाड़ने में ही कुछ सहायक हुए। हमारे पास पैसा कम हो और हमारा लड़का बीमार हो, ऐसे समय डाक्टर अगर कहे कि पहले हम १०० रुपया ले लेंगे तब लड़के को देखेंगे तो हमारी क्या हालत होगी आप ही सोचिये? यही हालत विरोधी दल ने की है। जब गल्ला जहाजों पर से उतर रहा था उस समय उन्होंने स्ट्राइक कराने की बात सोची। दूसरी तरफ सुझाव दिया कि सरकार किसानों के घर पर तलाशी ले। इसके अलावा संयुक्त समाजवादी पार्टी ने पानी पी पी कर कहा कि साढ़े तीन रुपये मन जलाने वाली लकड़ी बिक रही है और डेढ़ रुपये मन ईख है।

आज किसान को गल्ले की सही कीमत मिल रही है तब यह शोर मचा रहे हैं कि गल्ला महंगा हो गया। मैं पूछता हूं कि क्या लोहा सस्ता है, लकड़ी सस्ती है किसान की और जरूरतों की चीजें सस्ती हैं? गल्ले पर थोड़ी सी महंगाई आने से किसान कुछ खुशहाल हुआ है, यह बात सही है। मैं भी किसान हूं। उस जिले से आता हूं जहां पर अधिकतर किसान ही हैं। आज आप किसानों के बीच में जाकर देखिये, वह तरह-तरह की फसलें उगाता है, क्योंकि आज उसको फसल की उचित कीमत मिल रही है। किन्तु यह लोग जाकर सत्याग्रह करते हैं और उनके अनाज को मिट्टी के मोल बिकवाने की कोशिश करते हैं। मैं सरकार से चाहूंगा कि गल्ले की कीमत निर्धारित करते वक्त वे इस तरफ भी ध्यान दें कि उसमें लागत खर्च कितनी बैठ रही है। यह अपोजीशन वाले लोग कम्युनिस्ट लोग, तो सरकार को बदनाम करने पर तुले हुये हैं और चाहते हैं कि यहां तानाशाही हुकूमत हो जाय। लोहिया साहब जो जनतंत्र समाजवादी हैं, जो इन लोगों के मसीहा हैं, उनका लेक्चर भी मैंने पढ़ा है। उनका कहना है कि तुमको विधान सभाओं में अंडे फेंकने चाहिये, कबूतर और बिल्ली फेंकनी चाहिये। यह है उनका जनतंत्र-समाजवाद को लाने का तरीका।

एक सदस्य—

आप भी तो इधर ही थे?

श्री उमाशंकर—

मैं जरूर उधर था परन्तु जब मैं ऐसी बातें उधर रहकर सुनता था तब भी मैं ऐसी बातों का विरोध करता था। मैंने जब देखा कि कांग्रेस में ही अधिकतर समाजवादी लोग हैं उधर आपकी तरफ ऐसे लोगों की संख्या नगण्य है, तो मैं इधर कांग्रेस में चला आया।

अपोजीशन वालों ने कहा कि मंत्रिमंडल में झगड़ा है। मैं पूछता हूं कि आपके यहां बनारस में क्या झगड़ा हुआ? मैं जब आपकी तरफ था तो यही कहता था कि लोकतंत्र में बहुमत से जो पास हो जाय उसे करने देना चाहिये। मैं सदैव इन विचारों का रहा हूं। लोकतंत्र की यही प्रणाली है कि जो बहुमत से पास हो उसे स्वीकार करना चाहिये। यहां पर शीर्षासन करने से या दंगा करने से या शोर मचाने से लोकतंत्र की स्थापना होने वाली नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं जनता के पैसे का सदुपयोग होना चाहिये, जब यहां पर बैठ कर हम जनता के हित की बात सोचते हैं, तब आप शीर्षासन करते हैं, काम नहीं होने देते हैं। क्या इसी तरह जनता के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पैसे का सदुपयोग होगा ? जब आपकी तरफ मैंने इन बात को देखा, तब मैं इधर चला आया। किसानों के हित का एक काम नहीं करेंगे बल्कि सरकार को गाली देंगे, और सोसाइटी के गल्ले की दूकान लेकर सब अनाज शहरों में ब्लक में बिकवाया जाता है, परन्तु वैसे बात समाजवाद की कही जाती है और उसकी दुहाई दी जाती है ! मैं एक बार फिर से इन शब्दों के साथ, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं ।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मैंने भी पढ़ा और जो कुछ उन्होंने अपने भाषण में संकेत किया है उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमारी कांग्रेस सरकार ने १७ वर्ष तक अकंटक राज्य करने के पश्चात् इस देश को किस रास्ते पर पहुंचाया है, वह स्पष्ट ही है कि आज देश में अन्न का संकट हो गया है और प्रत्येक देशवासी के मन में अशान्ति की भावना फैल गई है, चाहे वह कृषक हो, रोजगारी हो या सरकारी कर्मचारी हो। इसके लिये सरकारी बेंचों में बैठने वाले सदस्य के लिये माननीय फूलसिंह जी ने जैसा कि सरदार पटेल की भावनाओं को दर्शाते हुये कहा था कि अब 'टीयर्स एन्ड ट्वाइल्स' की भावना पुनः रखना चाहिये, वही बात आपके सामने है। आप सबको जागरूक हो जाना चाहिये। अगर सरकार जागरूक होती तो यह नतीजा न हुआ होता। आज यह कहना कि यह संकट दैवी आपदाओं का ही परिणाम है, मैं कहता हूं कि इस में हम सबका और सरकार का ही विशेष हाथ है। जहां तक प्रजातंत्र के आधार पर चलने वाली इस सरकार के विचारों का सम्बन्ध है, वह कार्यरूप में और भावना रूप में और है। यदि हम प्रजातंत्र की भावनाओं को केवल भावनाओं तक ही सीमित रखेंगे तो उससे देश का कोई हित होने वाला नहीं है। उनको सरकार को कार्य रूप में लाना चाहिये। मैं आपको अपने राष्ट्रपति के शब्दों में इस बात को बता देना चाहता हूं कि "सरकार व अन्य सदस्यगण डेमोक्रेसी के बारे में बहुत चिल्लाते हैं परन्तु जब कोई समस्या विशेष उपस्थित होती है तो हम भाई-बन्धु, जात-पांत और बिरादरी के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति परेशान हो कर बैठा है तो आप उसका सम्बन्ध दैवी आपदाओं से लगाते हैं।" मैं इंगलिश में उनके उन वाक्यों को पढ़ कर सुना देता हूं—

"We talk about democracy but when it comes to any particular issue, we prefer a man belonging to our caste, our community or our religion. So long as we have that kind of temptation, it means our democracy is a phoney kind of democracy. This fact of favouritism and nepotism has been responsible for too much discontent and illwill in our country. And if any one asks us as to why we suffer, we need not allude in the stars above or say that God has punished us. We have to put it to our own inequities, our own disloyalties or deviations from the ideals which prefers."

श्री लखीसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, अगर पहले से ही ये हिन्दी में कह देते तो क्या था ?

श्री रामअधार कनौजिया—

समाजवाद..... (व्यवधान).....

श्री उपाध्यक्ष—

लखीसिंह जी, आप चुप रहिये।

श्री लखीसिंह—

हम नहीं बरदाश्त करेंगे अंग्रेजी। अंग्रेजी नहीं बोलने देंगे ....

श्री रामअधार कनौजिया—

प्रजातांत्रिक समाजवाद की बात कही जाती है। प्रजातंत्र का एक रूप है और समाजवाद का दूसरा। समाजवाद का वास्तव में नैशनलाइजेशन ही मुख्य उद्देश्य है। अगर हम

[श्री रामअवार कनौजिया]

समाजवाद को पूर्णरूप से लागू करना चाहते हैं तो निश्चय है कि हमें अपने संविधान को एक कोने में रख देना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि इसी आधार पर हमारी सरकार ने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को अपनाया है जो बहुत अच्छी सूझ-बूझ हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि जैसा कि सबको विदित है कि जब कोई भी नया देश स्वतंत्र होता है तो उसके सामने एक शान्ति की लड़ाई चलती है-रोजगारियों में भी, किसानों में भी और दूसरे लोगों में भी। जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है इस मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में भारत सरकार या प्रान्तीय सरकार की नीति इस बारे में स्पष्ट नहीं है। इंडस्ट्रीज को बढ़ाने या ग्रामोद्योग को बढ़ाने के बारे में कोई निश्चित नीति नहीं है कि इसमें से इतना काम प्राइवेट सेक्टर में होगा, इतना पब्लिक सेक्टर में होगा, कौन-कौन से काम काटेज इंडस्ट्री में जायेंगे और उसकी जिम्मेदारी किसकी है। यह सब चीजें स्पष्ट नहीं हैं और एक शान्त लड़ाई आपस में चल रही है जिनसे रोजगार करने वालों और सरकार के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। इसका हल तभी हो सकता है जब हम निश्चित रूप से बतायें कि फलां काम हमको करना है, और फलां-फलां काम मिल मालिकों को करना है, तथा लोगों को करना है. . . . (व्यवधान) अभी आठ दस रोज पहले प्रदेश की मुख्य मंत्री ने जमींदारों और तालुकेदारों से यह कहा था कि आप अपने धन को काटेज इंडस्ट्रीज में लगाइये और सही है कि आज इस बात की आवश्यकता है कि कैपिटलिस्ट्स के पास जो रुपया है उसको उद्योग में वह लगायें। अब आवश्यकता इस बात की है कि सरकार यह निश्चय कर दे और साफ-साफ बता दे कि इतना काम आपको करना है। सरकार को अपनी नीति बिलकुल साफ करनी चाहिये।

एग्रीकल्चर का जहां तक ताल्लुक है, वर्तमान संकट के समय में हमें कृषि को बढ़ावा देना है। कम से कम ४१ लाख एकड़ जमीन हमारी ऐसी पड़ी हुई है कि जिस पर हम कृषि नहीं कर पा रहे हैं। ६०-६१ में जो बढ़ोतरी कृषि की पैदावार में बतायी जाती है वह योजनाओं की सफलता नहीं बल्कि उस वर्ष के अन्दर नयी जमीनों को तोड़ कर कृषि योग्य बनाया गया था। वही काम आज भी करने की जरूरत है। मेरा अपना अनुमान है कि इससे तीन तरह के फायदे होंगे। ३६ लाख एकड़ जमीन को सरकार तोड़ लेती तो २५० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ९० करोड़ रुपये खर्च बैठता है। ९० करोड़ रुपये के खर्च से ६ लाख भूमिहीन परिवारों को ५-६ एकड़ के हिसाब से भूमि मिल जायगी और ७२ करोड़ रुपये की वार्षिक आमदनी उससे सरकार को होगी। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि नयी जमीनों को तोड़कर कृषि योग्य बनाया जाय और भूमिहीनों को जीविका दे कर उन्हें कृषि में लगाया जाय।

*श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जगदीशप्रसाद जी का जो प्रस्ताव महामान्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद देने का है, मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरी खुशकिस्मती है कि माननीय काशीनाथ मिश्र और माननीय राधेश्याम जी मुझसे पहले बोले। कल जब मैं हाउस में मौजूद था तो दोनों मित्रों ने कहा कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार न रहे चाहे कम्युनिस्टों की सरकार आ जाय या जनसंघ की आ जाय। मैं सुनकर हैरान हो रहा था, लेकिन जब मैंने बाहर जाकर माननीय राधेश्याम जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो कांग्रेस की सरकार को यहां से हटाना चाहते हैं फिर चाहे हम जहन्नुम में जायं या देश जहन्नुम में जाय।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

श्रीमन्, वे यह बात बिलकुल गलत कह रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगवीरसिंह—

मैं उनकी इस बात को मान लेता हूं। लेकिन जो कुछ उन्होंने कल कहा था उसका यही मतलब निकलता था कि हम सरकार बना पाये या न बना पायें लेकिन कांग्रेस की सरकार को यहां से हटाना चाहते हैं, फिर चाहे जनसंघ वाले आयें या कम्युनिस्ट आयें। यहां तो इनकी वही हालत मालूम होती है कि एक आदमी ने बहुत-सी आशायें बांध रखी थीं लेकिन जब वे पूरी न हुई तो उसने एक अंधेरी गली में जा कर खुदकशी कर ली। इस प्रकार मुझे डर है कि कहीं वे भी खुदकशी न कर लें। "दिल के बहलाने को गालिब यह खयाल अच्छा है"। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कांग्रेस को आज क्या, अगले १०, २०, ३० साल में भी न हटा पायेंगे। अगर यहां गरीब किसानों की भलाई होनी है, देश में समाजवाद की स्थापना होनी है तो कांग्रेस के द्वारा ही होगी।

महामान्य राज्यपाल के भाषण में उन्हीं बातों की चर्चा होती है जो कार्य सरकार ने पिछले वर्ष में किये होते हैं अथवा जिनको सरकार आगे करना चाहती है। उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त अभिभाषण में उन सारी बातों का जिक्र कर दिया है। आज यह किसी से छिपी बात नहीं कि इस सरकार ने दो यूनिवर्सिटी कानपुर और मेरठ में स्थापित करने का निश्चय किया है। पश्चिमी जिलों में यह बहुत दिनों की मांग थी जिसको पूरा किया है। इसलिये सरकार वास्तव में बधाई की पात्र है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, १०वीं क्लास तक लड़कियों की फीस भी माफ कर दी गयी है। यद्यपि हमको इस से संतोष नहीं होना चाहिये, लेकिन फिर भी हमारे पास अल्लादीन का चिराग नहीं है। हम जो भी करेंगे वह सब धीरे-धीरे ही तो करेंगे? क्या यह किसी से छिपा हुआ है कि माननीय सुचेता जी की सरकार ने हिम्मत करके गुड़ को बैन नहीं किया और उसे बाहर जाने दिया जिस से किसानों को गुड़ के अच्छे दाम मिलें? लेकिन मेरे दोस्तों में से एक ने भी उसका कोई जिक्र नहीं किया। एक तरफ तो इल्जाम लगाया जाता है सरकार के ऊपर कि वह पूंजीपतियों की सरकार है, मिल मालिकों की सरकार है, जबकि मिल मालिकों द्वारा प्रेशर डालने पर भी सरकार ने उसे बैन नहीं किया। इसके लिये सरकार तो बधाई की पात्र है और यह इसी बात का जवाब है कि पूंजीपतियों का हमदर्द कौन है और किसानों का हमदर्द कौन है।

यहां पर सरकार बनाने की बहुत सी बातें कही गयीं। मैं खासकर अपने माननीय मित्र श्री काशीनाथ जी से जानना चाहता हूं कि वाराणसी की सड़कों पर लाठी चलाने के बाद भी क्या यहां अपनी सरकार बनाने का सपना देखते हैं। मैं अपने दोस्त को मशविरा दूंगा कि वे पहले यह तय करें कि एस० एस० पी० में रहेंगे, पी० एस० पी० में रहेंगे या कोई तीसरी पार्टी बनायेंगे।

यहां पर अनाज की बढ़ती हुई कीमतों की बड़ी चर्चा की गई। एक तरफ तो बड़ी हिमायत की जाती है किसानों की और दूसरी तरफ यह शिकायत की जाती है कि अनाजों के दाम बहुत बढ रहे हैं। रबी की फसल आ रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे यह चाहते हैं कि किसान को उसके उत्पादन के लिये अधिक कीमत न दी जाय? इसका जवाब किसी की तरफ से अभी नहीं आया। सिर्फ यह जवाब आया कि आज कीमतें बड़ी ऊंची हो रही हैं। इस बात को तो सभी मानते हैं कि जब सर्क्युलेशन में पैसा आयेगा तो कीमतों का बढ़ना स्वाभाविक है। यह कहना कि हमारे मंत्री इस बीच में सोते रहे, यह गलत है। वे जितना भी कर सकते थे उसके लिये बराबर प्रयत्न करते रहे। यह मानना पड़ेगा कि कुछ कमियां हो सकती हैं और उनमें भी कमियां हैं, लेकिन इसे भी सभी को मानना होगा कि रबी की फसल के लिये किसानों को इतना दाम तो देना ही होगा जिससे वे उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित हों। इसके लिये एक कमेटी भी बैठी हुई थी, उसकी सिफारिशों के ऊपर भी सरकार का ध्यान देना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं फूड सेक्रेटरी से एक नोट का जिक्र कर देना चाहता हूं। यदि आज किसान को उतना अधिक दाम मिले जितना कि उपभोक्ता को देने में उचित प्रतीत होता हो तो किसान

[श्री जगवीरसिंह]

उत्पादन का साधन जुटाने में अपने को अधिक लगायेंगे और अधिक परिश्रम करेगा। अपने परिवार के सभी सदस्यों से परिश्रम करावेंगे जिससे अच्छी प्रकार से अधिक उत्पादन होगा और उसके फलस्वरूप उपभोक्ता को अगली फसल में पहले से थोड़े दामों में अन्न उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिये आवश्यक है कि किसान के शरीर में बल रहे और उत्साह रहे जिस से उसकी स्थिति सुधरे। यदि सामूहिक रूप से उपभोक्ता किसान को प्रेम की दृष्टि से और अच्छी भावना से देखें तभी हम खाद्य समस्या को सुधार सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से मुझे कहना है कि जब सरकार प्रोक्योरमेंट की बात करती है तब मुझे तकलीफ नहीं होती, लेकिन तकलीफ तब होती है जबकि कुछ परसेंट लोगों के ही छोड़ने की बात कही जाती है। किसानों से गल्ला लेने की बात तो की जाती है, लेकिन जब उनको गल्ला देने की बात आयी तो देहात के रहने वाले केवल १० परसेन्ट लोगों को ही गल्ला दिया गया जबकि शहर के रहने वाले, चाहे हजारों की तनख्वाह पाते हों, उनको बराबर सस्ते गल्ले की दूकानों से गल्ला दिया गया है। किसानों ने अपने लिये साल भर का गल्ला जमा नहीं किया था लेकिन उनको भी सरकार द्वारा गल्ला नहीं मिला। तो मेरा कहना यह है कि सही डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिये और पैरिटी आफ प्राइस जरूर होनी चाहिये। किसान की सारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये ही आपको गल्ले की कीमत तय करनी होगी।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि अखबार से आभास होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ टैक्स बढ़ना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह देना चाहता हूं और सरकार से एक बात की प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज ऐसा समय नहीं है कि सरकार किसानों पर कोई टैक्स लगाने की बात सोचे। मैं समझता हूं कि गुड़ के मामले में किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वह कोई भी किसान कभी नहीं भूल सकते हैं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

श्रीमन्, मैंने आज विरोधी दल के प्रमुख नेता डा० जेड० ए० अहमद का भाषण सुना। मुझको कल के विवाद में जिन्हें अच्छे भाषण कहिये हमारे प्रदेश की वर्तमान स्थिति और सरकार की नीतियों पर माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में कुछ ऐसी मौलिक कमियां रखी हैं जिनके ऊपर हमारे सदन के समाजवादी विचार के नेताओं ने इस विवाद में भाग ले करके प्रदेश का नेतृत्व किया है। यहां इस सदन में मैं देख रहा हूं कि हमारे समाजवादी और दूसरे विचारधारा के दलों के नेताओं में सिर्फ प्रदेश की सरकार को बचाने के लिये, बहुमत बनाये रखने के लिये अपने-अपने जो मुख्य उद्देश्य हैं उनसे हटते हुये मैं देखता हूं। जहां हमारे ट्रेजरी बैंच के भाइयों में आज जो सदन में उपस्थित हैं, आपस में बड़ी मुठभेड़ रहती है, उसको देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तरफ से ये कहते थे कि तुम हिन्दुस्तान के गद्दार हो और तुम चीन की हुकूमत यहां चाहते हो और दूसरी तरफ तुम बापू के खूनी हो, तुमने बापू को मारा है। मैंने यह सोचा कि माननीय राज्यपाल के सम्बोधन पर बहस हो रही है या कोई नाटक है। मुझे आश्चर्य है कि हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में यहां पर आये हुये हैं, हम अच्छा आचरण और प्रदेश की जनता का नेतृत्व करने के लिये यहां पर आते हैं, हमें चाहिये कि माननीय राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में किन-किन बातों का उन्होंने जिक्र किया है और उस ओर अपना ध्यान आकर्षित करें और हमारे इस बैंच पर बैठने वाले सदस्य उसका सही नेतृत्व करें। किन्तु ऐसा मैं नहीं देखता हूं। मैं यह कह देना चाहता हूं कि अगर यही रवैया रहा कि उधर उसका झगड़ा है, सत्ता का झगड़ा है तो काम नहीं चलने वाला है, इस बात को मानना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को बड़े दावे के साथ कहता हूं कि हमारे यहां के मंत्री जी और माननीया सुचेता जी को भी मानना पड़ेगा कि जिन समस्याओं को हल करना है, उनको हल करने का प्रयत्न करें। केवल आपस के झगड़ों में ही न उलझे रहें, जनता की आवाज को भी सुनें। मैं यहां पर यह सब इसलिये नहीं कहने के लिये खड़ा हुआ हूं कि सुचेता जी से मुझे कोई नफरत है या मैं उनको कोई पद या इस्तीफा दिलाना चाहता हूं।

(इस समय ३ बजकर ३४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

मैं इसलिये भी नहीं खड़ा हुआ हूं कि यहां कहूं कि त्रिपाठी जी अच्छे हैं, पंडित हैं, सुयोग्य शासक हैं । मैं किन्ही व्यक्तियों में अन्तर नहीं समझता । दोनों ही अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस दल के सदस्य हैं और दल के बहुमत पर अपना प्रभाव रखते हैं । गुप्ता जी ठीक कहते हैं या त्रिपाठी जी की नीति ठीक है इस तरह की बातों को मैं और मेरा दल समर्थन नहीं करता । मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में कहा है कि अछूतों के लिये ४५ प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में और २५ प्रतिशत लिपिक वर्ग में, दलित वर्ग के लोगों का रिजर्वेशन होगा उसके सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि इसी प्रश्न को लेकर अभी पिछले दिनों रिपब्लिकन दल द्वारा एक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन चलाया गया था जिसमें २ लाख से ऊपर लोग जेल गये थे । उस आन्दोलन के मांग पत्र में भी रिजर्वेशन की मांग थी । माननीय लालबहादुर शास्त्री, जो हमारे प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने हमारे नेताओं को आश्वासन भी दिया है कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी । लेकिन मैं चाहता हूं कि राजपत्रित पदों में भी अछूतों का १८ प्रतिशत का रिजर्वेशन पूरा होना चाहिये । माननीय राज्यपाल के सम्बोधन में इसका जिक्र नहीं किया गया है ।

दूसरे उन्होंने मजदूर ठेका सहकारी समिति के विषय में भी कुछ कहा है । मेरा कहना है कि हमारे प्रदेश में मजदूरों की हालत बहुत ही दयनीय है । इधर और उधर के भाइयों में से ७५ प्रतिशत किसानों और मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन मुझे दुख है कि बहुत-सी सच्चाइयों को यहां पर उनके द्वारा खुल कर नहीं रखा जाता और छिपाया जाता है । बहुत से लोगों का खयाल है कि किसी तरह से फिर चुनकर आ जायं और अगर विधायक अब की बार नहीं चुने गये तो फुटपाथ पर भी कोई कारोबार नहीं मिलेगा और फिर उनकी दशा खराब हो जायगी । इसी कारण से वह जो सही बात है, जो सच्चाई है उसको खुल कर नहीं कहते ।

यह ठीक है कि जखीरेबाजों ने गल्ला छिपाया और उस पर अन्धाधुन्ध मुनाफा कमाया, लेकिन जो २०० बीघा या उस से ऊपर के किसान हैं और जो एक सेर का गेहूं बेचने में उन जखीरे-बाजों के साथ हैं वह भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन उन किसानों के घरों से उन मुनाफाखोरों के लिये इकट्ठा किये हुये जखीरों को निकालने के लिये कोई हिम्मत नहीं करता । भूतपूर्व मंत्री श्री फूलसिंह जी ने कहा था कि हमें मानना पड़ेगा कि जो हमारे उत्पादक हैं उनको उचित मूल्य मिलना चाहिये और उमाशंकर जी भी अभी बोले कि किसानों को क्या मिलना चाहिये । किसान आज जो गल्ला पैदा करता है उसको खाने वाले कौन हैं ? यही हमारे चतुर्थ श्रेणी के लोग, शहर के मजदूर, भूमिहीन लोग, रिक्शा खींचने वाले जो छोटे खोमचा बेचने वाले लोग हैं, या लिपिक वर्ग जो शहरों में रहता है । यह लोग इस महंगाई, बेकारी और गरीबी में दिन भर काम करने के बाद १ डेढ़ रुपया कमा पाते हैं और ऐसी दशा में अगर गल्ले की कीमतें इतनी होंगी तो मैं समझता हूं कि यह बात जरूर होगी कि इंसान एड़ी रगड़ कर मर सकते हैं । इंसान बेबसी में आकर पत्ते खा सकते हैं, आदमी जहर खाकर आत्महत्या कर सकते हैं । लेकिन अगर यह हुआ तो उनकी आत्मा और उनकी आध्यात्मिक शक्ति और आह के द्वारा इस मुनाफाखोरी के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ क्रांति आयेगी कि वह हमें और आपको और उन मुनाफाखोरों को उलट कर रख देगी ।

एक बात मैं नेगी जी से कहना चाहता हूं । उन्होंने सदन में यह चुनौती दी कि कोई भी सदस्य कहे कि इस सरकार ने या खाद्य मंत्री ने, उनकी मिनिस्ट्री ने यह गल्ती की है तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा । श्रीमन्, मैं सदन के सामने आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक ही फर्म को १०० टन मैदा दी गई जिसमें उसको २ लाख का मुनाफा हुआ है । वह उस फर्म को दी गई कि जिसने यहां पर रिश्वत देकर मैदा हासिल की । मैं चाहता हूं कि इसकी जांच वह करायें और अपने दोषी अधिकारियों को सजा दिलावें । इलाहाबाद की मंगाकर जी० सी० शीटस्

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

मुरादाबाद भेज दी गई और एक विशेष व्यक्ति को वह दे दी गई। उसने उसका नीलाम कर दिया। उसमें सरकार पर नुकसान का दावा हुआ। इस तरह की परिस्थिति आप के हाथों इस सरकार में हो रही है। (व्यवधान)

आपके साये में हो रहा है और आप कहते हैं कि मुझे एक भी मिसाल बताओ।

एक बात मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि अभी आगरा जिले के थाना नारखी, की तहसील फीरोजाबाद के अन्तर्गत गरीब हरिजन की लड़की के साथ एक ठाकुर द्वारा बलात्कार किया गया। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। मुझे पता चला है कि ७ तारीख को उसको मार कर भगा दिया और अपराधी आदमी से रुपया ले कर उसको छोड़ दिया। इस तरह की घटनायें अगर इस प्रदेश और देश में हों जहां हम नारियों को अच्छे-अच्छे पदों पर बैठाना चाहते हैं तो आप सोचें कैसे उनकी इज्जत की रक्षा हो सकती है? पद दलित जाति की लड़कियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो, मैं समझता हूं मुख्य मन्त्री को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिये। अगर नहीं उठातीं तो उनको त्याग-पत्र दे देना चाहिये।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जगदीशप्रसाद जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव के समर्थन करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और इसलिए भी कि यह एक ऐसा अवसर होता है जब राज्यपाल महोदय साल में एक बार हम लोगों को सम्बोधित करने के लिए आते हैं। मैं माननीय रामसुन्दर पांडेय जी की तरह राज्यपाल महोदय के बारे में तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं समझता हूं और मुझे उन बातों का ज्ञान है जिन परिस्थितियों में और जिस परम्परा के अन्तर्गत राज्यपाल यहां आते हैं और हम लोगों को सम्बोधित करते हैं, माननीय रामसुन्दर जी कुछ भी कह सकते हैं, मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज सरकार ने जो कुछ भी किया है प्रदेश में, चाहे अन्न संकट के सिलसिले में हो, सरकार ने उससे सबक लिया और आज माननीय रामसुन्दर पांडेय जी को खास कर सरकार को धन्यवाद देना चाहिये कि आज उनके जिले में, क्षेत्र में जितने कुयें, सड़कें बन रही हैं, कोई नाशुक्रा आदमी ही उससे इन्कार कर सकता है। हमारी तो शिकायत है कि सरकार हमारे यहां मा० रामसुन्दर जी के जिले के बराबर नहीं करती। बात कहां की कहां पहुंच जाती है, ज्यों ही मा० रामसुन्दर जी का नाम लिया त्यों ही माननीय कमला सिंह जी खड़े हो गये।

मैं कहता हूं, सरकार की प्रगतिशील नीतियों का समर्थन कीजिये अगर आप अपने को समाजवादी कहते हैं। मुझे आप के समाजवादी होने में शुबहा लगता है। मैं समझता हूं आप कतई समाजवाद की ओर नहीं जा सकते। मैं माननीय पांडेय जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने भाषण में समाजवाद की किस दिशा में जाने का जिक्र किया है? मैं जानना चाहता हूं कि किस समाजवाद की बात आप करते हैं? समाजवाद का कोई चित्र आज आप के सामने नहीं है। एस० एस० पी० के बारे में आप कहते हैं कि इस पार्टी ने सत्याग्रह किया। बेशक किया, उस पार्टी को यह फख्र हासिल है कि न केवल सरकार का विरोध करे बल्कि अपने राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर भी लाठी चलाये। उसको यही काम रह गया कि धोती और कुर्ता से भी लड़े, इसे आज प्रदेश और देश की जनता जानती है।

माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने कई बार मेरा, माननीय गेंदासिंह और रामायण-राय जी का नाम लिया। माननीय पांडेय जी को यह फख्र हासिल है कि जो पार्टियां एक थीं आज उसमें दो पार्टीज हैं और इस विधान सभा में आपको फख्र हासिल है कि पी० एस० पी० और एस० एस० पी० दो पार्टीज बन गयीं और आपके नेताकाल में। क्या होगा कल्याण समाजवाद का? आप प्रयास कर के प्रजातन्त्र की, समाजवादी शक्तियों को मजबूत करें और मजबूत करने का रास्ता दिखायें। आप बतायें कि किस तरह से इस देश की गाड़ी

चल सकती है, इसकी उन्नति के लिए कौन-कौन से काम होने चाहिये। उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की छोटी-छोटी योजनायें चलायी जा रही हैं, कुएं बनाये जा रहे हैं, तालाब बनाये जा रहे हैं, और ट्यूबवेल लगाये जा रहे हैं। मैं तो सरकार का शुक्रगुजार हूं। मेरी तहसील में इस वर्ष सरकार ने जहां-जहां ट्यूबवेल्स हो सकते हैं, लगाने का फैसला किया है।

इतना ही नहीं, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अध्यापकों की त्रिसूत्री योजना के बारे में कहा गया है। अगर पांडेय जी देखें तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि वे भी स्कूल चलाते हैं। इससे अध्यापकों को लाभ ही होगा।

आज पांडेय जी स्टेट ट्रेडिंग की बात कहते हैं। क्या होता है? जब सरकार गल्ले के राजकीय व्यापार की बात करती है तो दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि गल्ले के दाम बंधने चाहिये। दाम बांधने की बात करते हैं। एक तरफ कहेंगे कि दाम बांधो और प्रतिबन्ध लगाओ। जब इस सरकार ने आर्थिक उन्नति का काम शुरू किया तो दूसरी पार्टियों के लोग विरोध करते हैं। साथ ही जो लोग समाजवादी आर्थिक व्यवस्था में, और प्लान्ड इकोनामी में विश्वास करते हैं, उन लोगों की इस बात पर ताज्जुब होता है कि किस आधार पर वे सरकार का विरोध करते हैं। मैं समझता हूं कि वे समाजवाद से पीछे हट रहे हैं। कल यह कहा गया कि ट्रांस-राप्ती में चावल खरीद का विरोध किया जा रहा है। अगर वहां पर किसानों को अपनी प्रोडयूस की अच्छी कीमत मिलती है तो इसमें उनका क्या नुकसान होता है? उसमें भी ६० प्रतिशत की ही लैवी है और ४० प्रतिशत का फ्री मूवमेंट है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मुझे केवल २ मिनट और बोलने दें। आज इस प्रदेश में जब कि सरकार अन्न का संकट महसूस कर रही है तो वास्तव में सब पार्टियों को इसका साथ देना चाहिये। इस प्रदेश में जो भुखमरी की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में कभी भी उल्टी बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मुझे एक किस्सा याद आता है। एक पति और एक पत्नी थे। पत्नी हमेशा उल्टा किया करती थी। अगर पति कहता था कि घर में जाइये तो वह बाहर चली जाती। एक बार ऐसा हुआ कि नाव पर नदी पार कर रहे थे। पति ने कहा कि नाव से मत कूद जाना। पत्नी ने कहा कि मैं तो कूदूंगी और वह कूद पड़ी और डूब गयी। वही हाल आज हमारे विरोधी दल का हो गया है। जब सही बात कहें तो वे कहते हैं कि बिलकुल गलत है। अगर आज यह कहा जाय कि कन्ट्रोल करो, गरीबों को गल्ला पहुंचाओ तो कहते हैं कि हम पूंजीवाद को समाजवाद समझते हैं। आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझें और फिर कुछ तकलीफ फरमाया करें।

मैं अलाभकर जोतों पर लगान घटाने का हिमायती हूं, लेकिन आज सवाल इस बात का नहीं है कि लगान हटाया जाय या नहीं अलाभकर जोतों पर से, बल्कि बात यह है कि प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को गल्ला मिल पायेगा या नहीं। सरकार ने जब प्राइस फिक्सेशन करना शुरू किया तो उधर के लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया कि बाजार खुलवाओ और दूसरी तरफ व्यापारियों ने सहयोग नहीं दिया सरकार को। ये सरकार के खिलाफ षडयन्त्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि भूखे नंगों के खिलाफ षडयन्त्र कर रहे हैं। मैंने समझाने की कोशिश की और कहा कि मेहरबानी करके समाजवाद के लिए, इस देश के लिए, प्रजातन्त्र के लिए आप सोचिये और सरकार को गल्ला दिलाने दीजिये। अगर आप समझते हैं कि सरकार की पार्टी में झगड़ा है तो आप यह भी देखिये कि कहां हैं चरणसिंह, गेंदासिंह, कमलापति त्रिपाठी और मुख्य मंत्री जैसी हस्तियां आप की पार्टियों में? आप के अन्दर खुद ही फूट है। आप स्वयं उस स्थिति पर चले गये हैं, स्वयं आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। बड़े घर की बात हो गयी तो हो गयी, लेकिन छोटे घर में भी आदमी मार बातें हों तो वहां क्या हालत होगी? शीशे के महल में रहने वाले आदमियों को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिये।

*मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष महोदय, आज तीन रोज से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस चल रही है। मुझे एक बात की हार्दिक खुशी है कि इस बहस के दर्मियान पहले दिन जो कुछ हुआ उस के बाद से बहुत सौम्यता से, गम्भीरता से विचार विनिमय हुआ है और जिसको जो कुछ कहना था कहा, लेकिन वातावरण नहीं बिगड़ा। यही सदन का वातावरण होना चाहिये। जिसको जो कुछ कहना है कहे, लेकिन उसके पीछे उतावलापन तथा क्रोध नहीं रखना चाहिये। अगर आप लोग यह वातावरण रख सकें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक वातावरण बहुत सुन्दर होगा और चारों तरफ आपकी प्रशंसा होगी।

जितने माननीय सदस्यों ने भाषण किये हैं उन सबका मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज ही बहुत से जवाब मेरी पार्टी के लोगों ने दे दिये है और बहुत से जवाब आपस में विरोधी दल के लोगों ने भी दे दिये। मैं कुछ बातों का जवाब अवश्य दूंगी। सबसे बड़ी समालोचना यह हुई कि हमारे कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है और वह सही भी है। राज्यपाल महोदय ने भी अपने भाषण में उस सम्बन्ध में कोई रंग डालने की बात नहीं कही, न उसे बढ़ावा दिया है। एक प्रैक्टिकल ढंग से जो सही बात है उसे उन्होंने आपके सामने रखा है क्योंकि दबाने से कोई फायदा नहीं। पिछली तीन फसलों में हमें नुकसान हुआ है और कोई न कोई कारण से हमारी कृषि का उत्पादन घटा है और अगर इस दर्मियान हम सिंचाई इत्यादि का प्रबन्ध कर सकते या जितनी सिंचाई का प्रबन्ध किया है उसका उपयोग किसान हमारे करते तो शायद कृषि उत्पादन में जितनी तकलीफ हुई हम सबको नेचुरल कैलेमेटीज से उतनी तकलीफ न हुई होती।

अब सवाल यह है कि हम लोगों ने इसका मुकाबला करने के लिए कुछ किया या नहीं? यही आप हमसे उम्मीद कर सकते हैं। हमारे पास कोई जादू की लकड़ी तो है नहीं। हमारे भाई अहमद साहब ने कहा कि नादान हूं, बेवकूफ हूं, मुझे राज्य का तजुर्बा नहीं है, ठीक है, मुझे राजकाज का कोई तजुर्बा नहीं है। मैं इस बात को स्वयं मानती हूं। मैंने तो समाज सेविका के रूप में अपनी जिन्दगी बिताई है और प्रदेश में तथा इसके बाहर मैंने बड़े-बड़े मुश्किल काम भी किये हैं, लेकिन मैंने इससे पहले कभी सरकार नही चलाई थी। मैं जिस समय यहां आई थी नातजुर्बेकार थी। लेकिन यहां के भाइयों ने मुझे जिम्मेदारी देने का फैसला किया और जब मुझको सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी गई तो मुझे उसको अपने कमजोर कन्धों पर उठानी पड़ी। मैं अहमद साहब से अच्छी सलाह मिलने की उम्मीद करती हूं। वह मेरी गल्तियां बतायें कि कैसे उनको सुधारा जाय। मेरा हमेशा यही दृष्टिकोण रहता है कि जो मुझे अच्छी सलाह दें मैं उसको हमेशा लेने के लिये तैयार रहती हूं। मुझे नादान, बेवकूफ और नातजुर्बेकार कहने के बजाय वे ऐसे काम बतायें जिसको मैं कर सकूं। मैं उनकी सलाह को अच्छा ऐटीटयूड समझूंगी। मेरे कम्युनिस्ट भाई नाराज हैं। उनका नाराज होना ठीक भी है। क्योंकि उनके बहुत से भाई गिरफ्तार किये गये हैं। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि सारे भारतवर्ष में उनकी गिरफ्तारियां की गयी हैं। हमारे देश के सामने खतरा है। दिल्ली में हमारे राजनीतिज्ञ बैठे हैं। उन्होंने समझा देश के ऊपर खतरे के समय कुछ भाई ऐसे हैं जिनकी कुछ दिनों के लिए स्वाधीनता रोकने की जरूरत है। इसलिए हमें बड़े दुख के साथ यह काम करना पड़ा। इसलिए शायद वह नाराज हैं। इसी दृष्टिकोण से मैं उनकी बात को ग्रहण करती हूं।

माननीय भानुप्रतापसिंह जी का भाषण बहुत अच्छा था। लेकिन वे एक दो शब्द तेज कह गये। जब आदमी का दिल भर जाता है तो वह कोई ऐसी बात कह दें तो कोई नुक्सान नहीं है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पहली पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने ज्यादा इम्फेसिस सारे हिन्दुस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर दिया। इसलिये कृषि उत्पादन में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जितनी वृद्धि होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई। यह समझती हूं कि उनका कहना बिलकुल ठीक है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं क्योंकि हम लोगों का उस समय यह ध्यान था कि जो कैपिटल आउटले लगाया जाय उसमें इम्फेसिस इस पर हो कि बड़े बांध बनायें, बड़े-बड़े कारखाने बनायें ताकि बेसिक चीजें हमको हासिल हो जायं जिससे हमारा इकोनोमिक स्ट्रेक्चर बन सके। इसी खयाल से हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन हमारे सामने एक दिक्कत यह आई कि हमारा देश इतना गरीब है जो ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं कर सकता है। हमारे यहां बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बने जिसकी वजह से हमारे देश में इन लेशन आ गया। इसकी वजह से परेशानी की अवस्था हुई। उसको सुधारने के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया जा रहा है। हमने यह तय किया है कि इस योजना में कृषि पर ज्यादा जोर दें। हम उन प्रोजेक्ट्स पर जोर देना चाहते हैं जिनका रिजल्ट जल्द हमारे सामने आजाय। यह न हो कि १०/१५ साल तक हमें इंतजार करना पड़े। यह चीज सारे भारतवर्ष में हुई है और उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। जब हमारे यहां कोई योजना बनाई जाती है तो सारे देश के लिये एक साथ बनाई जाती है। कोई प्रांत अलग से अपनी योजना नहीं ले जा सकता है। हमें सब के साथ काम करना पड़ता है। मैं कोई इकोनोमिस्ट नहीं हूं, लेकिन हमने मोटे ढंग से किसानों और मजदूरों के बीच में अपनी जिन्दगी बिताई है। हमने यह समझा है कि हमें छोटी योजनायें चलानी चाहिये जिससे किसान उसका फायदा उठा सकें और कृषि का उत्पादन बढ़ा सकें। यह सोच कर हमने फैसला किया है कि हम माइनर इर्रीगेशन प्रोग्राम को बढ़ा देंगे और हमने इस ओर प्रयास भी किया है। यही नहीं, हम इसमें कामयाब भी हुये हैं। इसके आंकड़े गवर्नर महोदय ने बताये। पिछले तीन साल में हमारे यहां कुयें ८४ हजार बने उनको हम इस साल ९१ हजार करेंगे। यह उन्होंने बताया, हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे रहे। फिर जब मालूम हुआ, जब पटेल कमीशन का फैसल आया और केवल ४ जिलों की मदद का उन्होंने फैसला किया, तो हम चाहते थे कि दूसरे पिछड़े जिले भी उन्नति कर सकें और उसमें केवल ४ जिले ही लिये गये तो हमने इसके लिये १६ ब्लाकों में क्रैश प्रोग्राम को हाथ में लिया। उसके लिये हमें उम्मीद थी कि केन्द्र से मदद मिलेगी। हमें उम्मीद थी कि आधा हमें केन्द्र से मिलेगा, किन्तु वह हमें नहीं मिला। उनकी चाहे जो पालिसी रही हो, लेकिन फिर भी मैंने उस खर्च को बरदाश्त करके उसे चलाया, क्योंकि यह आवश्यक था। यह क्वाइट मैच्योरिंग प्रोग्राम थे, इनका फायदा हमें शीघ्र मिलने वाला था इसलिये हमने इन पर पूरा खर्च किया क्योंकि नहर आदि दूसरे साधन बनवाने में समय लगता। नहर भी हमें बनानी पड़ेंगी। मगर नहर बनाने में कुछ कठिनाइयां आती हैं जैसे ट्रेलर में पानी नहीं पहुंचा। ट्यूब वेल में भी वह बातें आती हैं, जैसे आपरेटर ने फंकशन नहीं किया और मशीन खराब गई। इन जगहों पर जो करप्शन है उसकी बात कही गई, कितनी दफा इस विषय पर विचार विमर्श किया कि यह करप्शन हम दूर कर सकें। कैसे लोग जो घूस लेते हैं उसे दूर करें? उसके लिये हमने काफी कोशिश की, कुछ डिसिशंस भी लिये, जिन्हें मैं यहां कहना नहीं चाहती। हमने इसके लिये भी कोशिश की कि किस तरह से हमारे इन मुहकमों में इफीशेन्सी आये, यह विभाग इफिशेन्ट हो सकें उसके लिये कई कदम उठाये गये हैं। धीरे धीरे शायद वह होंगे। परन्तु यदि सारे समाज में करप्शन का वातावरण रहा तो वह कैसे चेक हो सकता है? वह एकदम से दूर नहीं हो सकता है। जहां जहां हमें करप्शन का पता चलता है और उस वातावरण में जहां तक हो सकता है, उसमें हमने प्रयास किया है कि हम करप्शन मिटायें।

कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये विशेष ध्यान दिया गया है। एग्रिकल्चर डेवलपमेंट पर आउटले इस प्रकार बढ़ा कि पहली योजना में २३.६३ करोड़ रुपये था, दूसरी योजना में ४१.४ हुआ और तीसरी योजना में यह ८५.८२ करोड़ रुपया हमने लगाया। कृषि उपज को बढ़ाने के लिये खाद्य का बड़ा खास स्थान है और उससे निश्चित रूप से उपज बढ़ती है। इसलिये किसानों को केमिकल खाद देने के लिये और लोगों को इसका प्रयोग अधिक से अधिक करने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये इसका प्रचार किया गया और १९६०–६१ में १.४३ लाख टन, १९६३–६४ में यह ३.२५ लाख टन प्रयोग की गई और हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष ८.५

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

लाख टन होगा। इसके अतिरिक्त भी किसानों द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये उन्हें बहुत सी किस्म की फैसिलिटीज दी गई हैं। जहां पर क्रैश प्रोग्राम नहीं है वहां पर हम पुराने प्राइवेट ट्यूबवेल और पक्की गूल आदि के लिये लोन दे रहे हैं जिससे प्राइवेट लोग इनको अपने पास से बनवायें और इनका अधिक से अधिक प्रयोग करके कृषि उपज बढ़ायें। इन लोन्स को देने के लिये पूर्व नियमों से अब ज्यादा फैसिलिटीज हमने दी हैं, उन्हें काफी सुविधा दी है, जिससे उससे लोग अधिक से अधिक फायदा उठायें। सीरदारों के लिये रेन्ट का १२० गुना कर दिया गया है जब कि यह पहले केवल ४० गुना था और भूमिधर के लिये यह अब १५० गुना कर दिया गया है जबकि यह पहले ६० ही गुना था। इसके अतिरिक्त इसका समय बढ़ा कर अब ५ वर्ष के बजाय १० वर्ष कर दिया गया है, जिससे उसकी अदायगी में उन्हें कोई कठिनाई न हो। ऐसा हमारा विश्वास है कि जो हमने अपने टारगेट्स रखे हैं उन्हें हम अवश्य पूरा कर लेंगे।

माइनर इरीगेशन के द्वारा जो पोटेंशियल हमने क्रियेट किये हैं उनकी भी स्थिति अच्छी है। मार्च, १९५६ तक ५५ लाख एकड़ में, सेकेंड प्लान में ६.९९ लाख एकड़ में और थर्ड प्लान में ३५ लाख एकड़ में इसकी सुविधायें थीं। यह आंकड़े यही सिद्ध करते हैं कि हम बराबर कोशिश कर रहे हैं। उस एडमिनिस्ट्रेशन को टाइटनिंग अप में तेजी लाने के लिये हमने भरसक प्रयत्न किया है। स्वायल कंजरवेशन के लिये २.३५ लाख के एरिया का लक्ष्य बढ़ाने के लिये रक्खा गया था और उम्मीद है कि २.५० लाख एरिया इसमें कवर हो जायेगा।

यू० पी० मार्केटिंग रेगूलेशन ऐक्ट इस साल हमने पास किया, इसके जरिये से किसानों की बहुत सी दिक्कतें दूर हो जायेंगी। यह पहला साल था जिसमें जो हमारा लक्ष्य था उसे पूरा किया, मगर इससे ज्यादा हम पूरा कर सकेंगे। हम योजना में ५०२ के ऊपर ५४५ करोड़ रुपया खर्च कर लेंगे, जिसे एडवांस योजना कहते हैं। इसका लाभ हमें चौथी योजना में पहुंचेगा। पहले हम प्लानिंग का पैसा पूरा खर्च नहीं कर पाते थे, लेकिन अब प्लानिंग का पैसा पूरा हम खर्च करके आगे बढ़ रहे हैं।

इसके बाद और ताने कसे गये जिनका मुझे बहुत दुःख हुआ। कहा गया कि सुचेता कृपालानी तो अफसरों के हाथ में है और यहां पर ब्यूरोक्रेसी राज्य कर रही है। विरोधी दल के भाई अगर कहते हैं तो मुझे अफसोस नहीं था मगर कांग्रेस वाले और हमारे लोग, अपने ही आदमी ऐसा कहते हैं तो दुख की बात है। मैं जानती हूं जिन्होंने कहा उनके मन में बड़ा रोष है। वह रोष भी उनका पुराना चला ही आ रहा है। मैं चाहती हूं कि उनके दिल में इस तरह का रोष न रहे। अगर अपनी पार्टी के लोग ही गैर-जिम्मेदारी की बात करें तो इससे राजनीतिक जीवन कोई अच्छा नहीं होता है। हमने क्या किया? पिछले १।। साल से मैं आप लोगों के काम में में लगी हुई हूं। इस पिछले १।। साल में मैंने सेक्रेटेरिएट को स्ट्रीमलाइन में लाने की कोशिश की। मैं अफसरों से सलाह लेती हूं और उनसे सलाह लेना मेरा फर्ज है। वह मुझे सलाह देते हैं। जो मैं सही समझती हूं उसको ग्रहण करती हूं और जो सही नहीं समझती हूं उसको ग्रहण नहीं करती हूं। उन बातों पर फिर हम कैबिनेट में बैठकर फैसला करते हैं। मैं किसी की बात पर नहीं चलती हूं और न मुझे रस्सी में बांधकर चलाने वाला आज तक कोई पैदा हुआ है। महात्मा गांधी, जिनसे ज्यादा मैं किसी की इज्जत नहीं करती हूं, जिनके सामने मेरा सिर झुका रहता था, वह जानते थे कि सुचेता कैसी है। तो यह बात सही है कि अफसरों से मैं सलाह लेती हूं और मैं जरूर लूंगी क्योंकि वे अपनी लाइन के एक्सपर्ट हैं। इसलिए अगर कोई यह समझे कि इस प्रदेश में आज ब्यूरोक्रेसी राज्य कर रही है तो इससे झूठी और बात नहीं हो सकती है।

यह भी कहा गया कि गवर्नमेंट की पालिसी ऐसी है कि वह ब्यूरोक्रेसी को प्रोत्साहन देती है ताकि पापुलर रिप्रिजेन्टेशन को बेइज्जत किया जा सके। यह बात बिलकुल गलत है। मैं भरसक कोशिश करती हूं कि मेम्बरों को मिलने का मौका दिया जाय और उनसे बातचीत का मौका मिले। मुझे और प्रांतों के चीफ मिनिस्टरों से बात करने का मौका मिला है। मैं जानती हूं

कि कोई भी इतना काम नहीं करता जितना ज्यादा काम मुझे करना पड़ता है। तो ऐसी बात नहीं है कि मुझे किसी की इज्जत का ख्याल न हो। आपकी इज्जत को मैं खुद अपनी इज्जत समझती हूं। मैं किसी अफसर को आपके ऊपर तरजीह देना नहीं चाहती हूं।

पे कमेटी का जिक्र किया गया कि उसके अन्दर कोई मेम्बर असेम्बली का नहीं रखा गया। मैं इसका यहां पर जिक्र नहीं करती अगर मेरे ऊपर हमला नहीं किया जाता। पे कमेटी के बारे में मैंने बहुत सोचा और सोच समझकर मैंने किसी एम० एल० ए० को उसमें नहीं रखा। हमारी असेम्बली के अन्दर इतने दल हैं, तो इन सबको उसमें दिलचस्पी होगी, फिर किस तरह से कितने मेम्बरों को रखा जाय? इन सब बातों के ऊपर बहुत सोच-विचार करने के बाद मैंने यह मुनासिब समझा कि मैं किसी मेंबर को उसमें न रखूं और इसका मेरे पास उदाहरण था। पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पे कमेटी बिठाई थी तो उसमें भी उन्होंने बहुत होशियार और एक्सपर्ट लोगों को रखा था। उसमें उन्होंने चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जगन्नाथा को रखा था। उसके सदस्य वी० के० गांधी, एन० के० सिद्धांत, एम० एल० दांतवाला और श्रीमती मैरागाधम चन्द्रशेखर थीं। ये सब ही प्रायः एक्स-एम० पी० हैं। इनमें सब तरह के एक्सपर्ट लोग थे। इस कमेटी में २ अफसर भी थे। तो हम भी चाहते थे कि उसी लाइन पर एक्सपर्ट लोगों को उसमें लिया जाय और उसी लाइन पर हमने भी इस पे कमेटी का निर्माण किया। हमने भी सोचा कि उसमें प्रोफेसर भी होना चाहिए जो इकानामी के सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो। यह भी सोचा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के आदमी को उसमें रखा जाय जिसको सर्विस के बारे में कुछ ज्ञान हो। इसी तरह के आदमी उसमें रखे गये। फिर यह बात मुझे सुनकर बड़ा दुःख हुआ कि जब उन्होंने अच्युत पटवर्धन का नाम लिया। अच्युत पटवर्धन भारतवर्ष में लेबर लीडरों में माने जाते हैं। इस वजह से उनका नाम उसमें शामिल किया गया। उनके नाम को सब लोग इज्जत के निगाह से देखते हैं। ऐसे नामों को हमने छांटकर उसमें रखा है ताकि किसी पार्टीबाजी का सवाल उसमें पैदा न हो। यही बात समझकर कोई पार्टी का आदमी उसमें मैंने नहीं रखा। अच्छे मान्य और प्रतिष्ठित लोगों को मैंने उसमें रखा है। अगर कमेटी के बारे में कोई बात कही जाती है तो मुझे कोई एतराज नहीं था मगर नाम लेकर जो बात उन्होंने कही यह कोई अच्छे टेस्ट की बात नहीं थी और उसके लिए मुझे दुख है।

एडमिनिस्ट्रेशन को हमने काफी सुधारने का प्रयास किया है। उसे स्ट्रीमलाइन देने का प्रयास किया है। पिछले दिनों हमने कुछ सख्ती भी की है। अफसरों को जरूरी तौर पर टूर करने की हिदायतें भेजी गयी हैं ताकि उनको फील्ड के हालात मालूम हो सकें। उनके अनुसार हर अफसर को १२० दिन टूर जरूर करना चाहिए। माइनर इरिगेशन का तथा टेक्निकल एजूकेशन का एक विभाग अलग खोला गया है। हमारे देश और प्रदेश की तरक्की के लिए हमको टेक्नीशियन्स, इंजीनियर्स आदि बहुत चाहिए उनके लिए लेबर में, इंडस्ट्रीज में, एजूकेशन में, अलग-अलग टेक्निकल स्कूल्स थे। उन सब को एक जगह कोआर्डिनेट करने का प्रयत्न किया गया है ताकि पता लग सके कि किस जिले में इस दशा में कितना काम हो रहा है। सेक्रेटेरिएट में एक रिआर्गनाइजेशन कमेटी बिठाई गयी है और वह देखेगी कि कुछ सुधार लाया जा सकता है या नहीं। बजट के समय हम उसमें की कुछ बातें आप के सामने रखेंगे। पिछले दिनों हमने लाखों फाइलें डिस्पोज आफ की हैं। एक नया सिस्टम निकाला है जिससे ओरिजिनल फाइल्स पर प्राइमरी लिख दिया जाता है और सेक्रेटेरिएट आफिसर्स को आदेश हैं कि वे देखें कि ऐसी फाइलों पर कितना काम हुआ है। मैं कुछ आंकड़े इस सम्बन्ध में देना चाहती हूं। पिछले दिनों जो २ लाख ५७ हजार रिसीट्स आयी फाइलों में उनमे से २ लाख २३ हजार फाइलों का डिस्पोजल हो चुका है, करेंट एरियर्स में। यह बात यह नहीं साबित करती कि सेक्रेटेरिएट की वर्किंग बिगड़ रही है यह बात यह बतलाती है कि मिनिस्टरों ने और सुचेता कृपालानी ने कुछ काम किया है, कुछ निगरानी की है।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

एजूकेशन के बारे में कुछ बातें कही गयीं। उनका जवाब हमारे भाइयों ने पहले दे दिया है। यह ठीक है कि हम एजूकेशन में बैकवर्ड हैं और कम्पलसरी फ्री एजूकेशन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारा फौरी प्रयास है कि कम से कम ६ से ११ साल तक के बच्चों को एजूकेशन जरूर मिल जाय और इस प्रकार ८० फीसदी लड़के और ४२ फीसदी लड़कियां स्कूलों में आ जायं। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। हमारे पास साधन कम हैं। टीचरों की तनख्वाह कम है, लेकिन इसके लिए सोच विचार किया जा रहा है। १९४३ में जिस टीचर को ३० रुपया मिलता था उसे आज ७५ रुपया मिल रहा है। लड़कियों की शिक्षा फ्री हो ही गयी है। इसलिए इस दिशा में जो हमारा पिछड़ापन है वह आशा है अब दूर हो सकेगा।

अन्न के सम्बन्ध में मैं दो-चार बातें और कहना चाहती हूं, वैसे हमारे नेगी जी ने सभी बातों का जवाब दे दिया है। इस बारें में हमारा पिछला साल बड़ा भयंकर साल रहा है और उसमें सबको बड़ी तकलीफ हुई। उस परिस्थिति में हो सकता है कि हम लोगों ने कुछ गलती की हो, हालांकि मैं समझती हूं कि हमने गलती की नहीं। ऐसी परिस्थिति में किसी तरह से अन्न लाकर आपको पहुंचाने का प्रयत्न किया गया और यही हमारी बड़ी भारी समस्या थी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री चन्द्रबली जी। आप बैठ जाइये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

किस कष्ट से आपको वह अन्न पहुंचाया गया उसका हाल नेगी जी ने आपको बतलाया है। एक भाई ने कहा कि आपने केन्द्रीय सरकार के खिलाफ बात कह दी। मैंने किसी सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं कही, उसका मुझे शौक नहीं है। केन्द्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार एक है, लेकिन एक कहावत है कि जो बच्चा ज्यादा रोता है मां उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देती है। अगर हम चुप बैठ जाते तो शायद हमको उतना अनाज न मिलता। आप लोगों को यह भी समझ लेना चाहिए कि ३ प्रांतों के बराबर यह प्रांत है, किन्तु जब हम दिल्ली में जाते हैं तो हमारा प्रांत एक ही प्रांत के बराबर गिना जाता है। इसलिए कभी दुख के साथ, कभी रोष के साथ हमें अपनी मांगों को रखना पड़ता है। हम केंद्रीय सरकार की परेशानी भी अच्छी तरह समझते हैं। हमने भी कोशिश की कि हम जितना सहयोग कर सकें उनके साथ, वह करें। पिछले साल हमारा सारा कोर्स-ग्रेन वे ले गये। तो ऐसे वक्त में जो कुछ हमने किया, एक बहुत भारी क्राइसेस जो आने वाली थी उससे हमने प्रांत को बचाया, उसके लिए कम से कम कुछ क्रेडिट तो हमें मिलना चाहिए। ऐसे दिनों में डिस्ट्रीब्यूशन को संभालने के लिए हमने हर संभव प्रयत्न किया, तमाम दूकाने खोलीं, जिन दूकानों में करप्शन देखा, उनके खिलाफ ऐक्शन भी लिया। अगस्त, ६४ तक ४३५ दूकानों को सस्पेंड किया, ९१५ को कैंसिल किया (व्यवधान) ७५ को प्रासीक्यूट भी किया। जनवरी तक ७८ को सस्पेंड किया, १०१ को कैंसिल किया, (व्यवधान) २५ को प्रासीक्यूट किया ..... (व्यवधान)

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

एक प्रश्न पूछ लेने दीजिए... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब तक माननीय मुख्य मंत्री नहीं बैठतीं, आप नहीं बोल सकते ... (व्यवधान)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

बाद को हमें दो प्रश्न कर लेने दीजिएगा .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इस समय आप कृपया बैठिए ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कितनी परेशानी की हालत में किसी तरह से हमने इस प्रदेश को संभाला, लोगों को गल्ला बटवाने का प्रयत्न किया, उसका ही यह फल रहा कि स्थिति बहुत बिगड़ने नहीं पायी । हमारे पास अगर बफर स्टाक रहे, तो यह ठीक है कि हम प्राइसेज का कन्ट्रोल कर सकते हैं । अगर हम प्रोक्योरमेंट न करें तो प्राइसेज को कन्ट्रोल करना मुश्किल हो जायगा । मैं चाहती हूं कि फूड प्रोक्योरमेंट के बारे में आप लोग भी हमारा सहयोग करें, ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे इस काम में बाधा न पड़े । यह बड़ी खुशी की बात है कि भगवान की दया से अगली फसल अच्छी होगी । अगर आप सब लोग मदद करें तो इस समस्या को हम काफी हद तक हल कर सकते हैं ।

प्राइस कन्ट्रोल की समस्या, सारे भारत की समस्या है । आप सब जानते हैं कि जब करोड़ों रुपया खर्च होता है तब इनफ्लेशन होता है । इसको रोकने के लिए जो कुछ काम कर सकते हैं वह करेंगे..... (व्यवधान) इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर करने वाले हैं और इस समस्या में सब लोग हाथ बटायें तो तभी हम पार पा सकेंगे । मैं यह भी कहना चाहती हूं कि मेरी कोशिश यह नहीं कहती कि जो कुछ हम भरसक कोशिश करना चाहते थे, वह हमने नहीं की । अगर सरकार को कामर्शियल और किसान कम्युनिटी दोनों का सहयोग मिलता तो यह स्थिति न आती जो आज सामने है । हमारे एक भाई ने कहा कि किसानों को जिंदगी में पहली दफा ज्यादा दाम मिले, शहर के लोगों को तकलीफ हुई मगर इकानोमिक पैटर्न में चेंज तो आई । हर एक चीज में एक अच्छाई और बुराई रहती है । मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहती । मुझे इतना ही कहना है कि हमारी सरकार ने भरसक प्रयास किया है और एक साल में बहुत कुछ सुधारा है । अगर भयंकर खाद्य स्थिति न होती तो जो जो और काम सरकार ने किये हैं उनकी अच्छाइयां आपके सामने प्रकट होतीं । मैं इन शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय के भाषण से अपनी सहमति प्रकट करती हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । (व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि ६ महीने तक विधान सभा का अधिवेशन क्यों नहीं बुलाया गया ?

(व्यवधान)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

ये क्यों परेशान हैं.....(व्यवधान)

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

६ महीने तक विधान सभा का अधिवेशन इस कारण नहीं बुलाया गया कि इंजीनियर्स ने इसहाल की छतों को रिस्की डिक्लेयर कर दिया था ।

मैं अब एक अच्छी खबर आप लोगों को देना चाहती हूं । इसका एक पत्र अभी-अभी गवर्नमेंट आफ इंडिया से आया है । वह यह है कि हम कई महीनों से प्रयास कर रहे थे बड़े प्राजेक्ट्स इस प्रदेश में होने का । हैवी स्ट्रक्चर इलाहाबाद के लिए मंजूर हो गया है ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

मैं महामहिम राज्यपाल को उनके अभिभाषण के लिए जो उन्होंने इस सदन में पेश किया है.....

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर। आपने अभी दो व्यक्तियों को कांग्रेस साइड से बोलने का मौका दिया है। आपने अपोजिशन को मौका नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—

मैं देखता रहा, कोई खड़ा नहीं हुआ। उन्हें मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रसिंह रावत—

अध्यक्ष महोदय अपने राष्ट्र के हम संविधान की शपथ खाकर आये हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि भावनाओं के आवेश में और उसके ज्वार-भाटे में जो अपनी बुद्धि को बहा देते हैं, मैं समझता हूं वह अपने प्रति और राष्ट्र के प्रति कोई न्याय नहीं करते। इसलिए यह समझते हुए कि हमारा दायित्व राष्ट्र और संविधान के प्रति क्या है, हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए और मुल्क के मसलों पर हमें यहां पर विचार करना चाहिए। जो चोटें और बौछारें सदन में दोनों ओर से एक दूसरे के ऊपर हुई हैं उनसे इस सदन का सम्मान नहीं बढ़ता है। हमारे मुल्क में जो ऐडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गई है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन बहुत लूज है इसमें कोई दो राय नहीं है, वह तो हमारी सरकार भी इस बात को कबूल करेगी। परन्तु, उसका दायित्व हमारे माननीय सदस्य जो इस सदन में बैठे हुए हैं उनके ऊपर है। उन्होंने अपनी कमजोरी का इजहार इस सदन में किया, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस मशीन को चलाने के लिए उनको इस सदन में दाखिल किया गया अगर उस मशीन के ऊपर वह काबू नहीं कर पाये तो यह उन्होंने अपनी कमजोरी का एक सबूत मुल्क के सामने पेश किया है। उसका दायित्व केवल चीफ मिनिस्टर के ऊपर नहीं है, केवल मंत्री महोदय के ऊपर नहीं है, जितने माननीय सदस्य इस सदन में हैं हम सबके ऊपर हैं। इसलिए मैं बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि जहां तक हो सके इसको वह नियंत्रण में रखें। यह मशीन बहुत पुरानी है, यह अंग्रेजों के हित-साधन के लिए बनाई गई थी। अब मुल्क में स्वराज्य है। स्वराज्य के हितों को साधने के लिए यह मशीन उपयुक्त नहीं है। सरकारी अधिकारियों को दोष देना मैं समझता हूं कतई गलत बात है क्योंकि वह मशीन तो जिस मकसद से बनी है, जिस तरह से पहले काम करती आयी है, आज भी स्वराज्य के जमाने में उसी मशीन से काम लिया जा रहा है, तो वह उसी तरह से करेगी। उस मशीन का तर्जे अमल आप बदल नहीं सकते जब तक कि आप नियमों और कानूनों और रेगुलेशंस को तरमीम नहीं करते जिनको कि अमल में लाकर हमारे सरकारी अफसर काम करते हैं। हम जानते हैं कि जिन लक्ष्यों की पूर्ति हम करना चाहते हैं, यह मशीन उसके लिए कतई नाकाबिल है। इसलिए सरकारी नौकरों को दोष न देते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह माननीय सदस्यों का दायित्व था कि उस मशीन को वह तब्दील करते और अपने कायदे-कानून में ऐसा परिवर्तन लाते जिसके जरिए जो हमारे स्वतंत्र भारत के लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति की ओर हम उस मशीन को कार्यशील बनाते।

दूसरी बात जो कि फूड के संबंध में कही गई है मैं समझता हूं कि हमने संविधान और राष्ट्र की कसमें खायी हैं, हम कभी भी सच्चाई के ऊपर परदा डालकर उस सदन में बात करें तो हम दोषी हैं अपने प्रति, भगवान के प्रति और इन्सानियत के प्रति। इसलिए जो कमियां और खामियां हैं वह आपको जाननी चाहिए। अगर हमारी कमियों और खामियों की वजह से मुल्क तबाह होता है तो हमको इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अपनी कमियों और खामियों को जानने की जरूरत है। इस सरकार के द्वारा पहले जो कंट्रोल लागू किए गए

हम बार-बार उसके लिए कहते रहे। आज परिस्थिति जो सामने हैं उसके बारे में मैंने भारतवर्ष के प्रधान मंत्री को आज से ५ साल पहले चिट्ठी लिखी है और उन्हें बताया है कि भाव सीमा के बाहर जा रहे हैं। हिन्दुस्तान से चीन की च्यांगकाई शेक की सरकार की तरह से कहीं हमारी सरकार भी इसी चक्कर में लापता न हो जाय, क्योंकि जिस चीन को च्यांगकाई शेक की सरकार को २० साल तक बम्बार्डमेंट करके और उसके एक चौथाई भाग पर कब्जा करके भी जापान की सरकार खत्म नहीं कर पायी उसी च्यांगकाई शेक की सरकार को बाजार के बढ़ते हुए भावों ने मुल्क से लापता कर दिया। मैंने प्रधान मंत्री को चिट्ठी लिखी, उनका जवाब भी हमारे पास आया। वह हमारी राय से मुत्तफिक नहीं हो सके। मैंने कहा था और जो भाव बढ़ाकर मुल्क को खतरा पैदा कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से वर्ताव करना चाहिए। परन्तु उनकी राय थी कि डेम क्रैसी में कड़ाई के साथ काम नहीं ले सकते हैं। आज तो जो आदर्शवाद में मुल्क की तबाही की ओर ले जा रहा हैं उससे मुल्क को बचाना है। हम लोगों ने ४० करोड़ प्राणियों की रक्षा और देश की आजादी के लिए कसमें खाई हैं। अगर संविधान में कोई कमी है जो देश के गरीब जनता के हित के विरुद्ध जाती है तो उसे दूर कर सकते हैं। हमारी फ्रीडम को अनरेस्ट्रिक्टेड नह होना चाहिए। कोई मुल्क जो बेलगाम चलता है उसकी आजादी सुरक्षित नहीं रह सकती है। रूस की आजादी के बाद की बात है कि एक मोटर सड़क पर आ रही थी और एक औरत सड़क के बीच में चल रही थी। उससे कहा गया कि बीच में न चले तो उसने जवाब दिया कि अब आजादी हो गई है। इस पर उससे कहा गया कि अगर मेरी मोटर भी आजाद हो गई तो क्या हाल होगा? तो मैं समझता हूं कि फ्रीडम के यह मानी नहीं हैं कि मुल्क के हित के खिलाफ कोई बात की जाय। हम बड़ी गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमारा और आपका दायित्व है कि इस परिस्थिति को पार करने में अपने को कमजोर साबित न करें। जो काम हम कर रहे हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। मैं समझता हूं कि भारतवर्ष के प्रेसीडेंट ने सही बात कही और वह मुल्क के हित में है। अगर मुल्क की हालत को ठीक नहीं करेंगे और उसको बचायेंगे नहीं, तो आजादी को ही खतरा हो जायगा और जनता आप को बख्श नहीं सकती। जो पार्टी मुल्क को बरबादी की ओर जाने से रोक नहीं सकती है उसे जनता कैसे रख सकती है। जनता उसका विरोध करेगी और उससे नाराज होगी। याद रखिए आप और हम अपने गले को बचा नहीं सकते हैं। मैंने बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इन बढ़ते हुए भावों को जिनकी विभीषिका में हमारा मुल्क जलता हुआ नजर आता है, जब कि हमारे नौजवान और स्त्रियां व बच्चे घंटों लाइन में खड़े रहकर भी अनाज नहीं पा सकते हैं, इन भावों को सरकार को सख्ती के साथ रोकना चाहिए और नीचे लाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हमारी मुसीबतों को देखिए। सरकारी गोदामों से जो अनाज ४० मील दूर खच्चर पर जाता है और एक खच्चर पर २ मन जा सकता है, तो उसकी कितनी कीमत जनता को देनी पड़ती है—और उस कीमत पर भी वह सबको नहीं मिल पाता है। तो हमारी स्त्रियां और बच्चे क्या खावगे? मैंने एक पत्र प्रधान मंत्री को लिखा और उनके हाथ में दिया। मुझे खत मिला कि मुख्य मंत्री के पास वह चिट्ठी भेज दी गई है। परन्तु अभी उसका कोई फैसला नहीं हुआ। हम भी इसी देश के रहने वाले हैं, अगर पहाड़ पर या गुफाओं में रहते हैं तो क्या हुआ? क्या हमारा अधिकार इस देश की समृद्धि और उत्थान में नहीं है?

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात माननीय मुख्य मंत्री की सुनकर बड़ा अचम्भा हुआ। उन्होंने यह कहा कि पहली बार किसान को अधिक दाम मिला है। मैं बतलाना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

चाहता हूं कि किसान ने कभी भी किसी परिस्थिति में भी देश के साथ गद्दारी नहीं की है। उसने इस हालत का भी फायदा नहीं उठाया है। अगर फायदा उठाया होगा तो आपके एजेंटों ने (शोर) आप किसान को क्यों बदनाम करते हैं? सरकार ने सैकड़ों रेड किये। गल्ला या तो व्यापारियों के यहां या उनके टोपीधारियों के यहां पकड़ा गया। किसान के यहां नहीं पकड़ा गया। पंजाब से बीज आया किसान के बोने के लिए। माननीय चौधरी साहब बैठे हैं। वह जानते हैं कि किसान अपने खाने से अधिक महत्व बीज को देता है। किसान नहीं जानता था कि सरकार का दिया बीज जमेगा या नहीं, फिर भ उसने उसे बोया। किसान का लड़का शहरों में सेर-सेर भर गेहू के लिए दूकानों पर खड़ा रहता है, क्योंकि गांवों को गल्ला भेजने की कोई योजना इस सरकार ने नहीं की है। यह क्राइसिस केवल एक महीना है और अगर यह सरकार एक महीना भी नहीं जिला सकती है तो क्या जिलावेगी? अगर आप ४ छटांक नहीं दे सकते तो ३ छटांक ही दीजिए, लेकिन वह भी तो उचित मूल्य पर दीजिए। हम कम खाकर ही अपना पेट भर लेंगे। हम १२ छटांक की जगह ८ छटांक खा लेंगे। लेकिन उसे तो निश्चित भाव पर सर ार को बिकवाना चाहिए। जो अराजकता फैल रही है वह सारी इसलिए है कि किसी के यहां तो मनों भरा पड़ा है और गरीब आदमी के यहां खाने के लाले हैं। सरकारी अधिकारियों के यहां बोरे के बोरे चले जाते हैं, लेकिन ग.रीब जनता को नहीं मिलता है। यह प्रजातंत्र का युग है और सरकार को याद रखना चाहिए कि इसमें जनता का भूखों मरना और भी शक्ल अख्तयार कर सकता है।

आज सरकारी कर्मचारी रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के और विरोधी सदस्य भी सवाल करते हैं, तो उधर से जवाब मिलता है पे कमेटी बैठी है, अप्रैल में वह रिपोर्ट देगी, तब कुछ होगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब हम लोगों से सम्बन्धित वेतन ६ महीने पहले ब: सकता है तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन अप्रैल से पहले क्यों नहीं बढ़ सकता है? समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री अपने भाषण में इस पर कुछ कहेंगी और जब उन्होंने पर्चा खोला तो मैं तो समझता था कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के बारे में वे कुछ कहने वाली हैं, लेकिन अफसोस है कि उनके बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। यह इस प्रदेश के लिये बड़ी चिन्ता का विषय है कि माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त और श्री कमलापति जी त्रिपाठी के लिये विशेष पुलिस की आवश्यकता हो गयी है और यह भी विरोधी दल के लोगों की तरफ से नहीं हुई है लेकिन यह इस बात का द्योतक है कि अहिंसावादी किस नीचे स्तर तक उतर सकते हैं। आचार्य कृपालानी के खिलाफ खड़े होने वाले जनसंघ के कार्यकर्ता के हाथ काट लिये गये, लेकिन आज फिर उसी बस्ती के चुनाव में सरकार को खतरा महसूस हो रहा है। भानुप्रतापसिंह जी ने कहा कि बस्ती में कार्यकर्त्ताओं को मदद करने के लिये अवैधानिक रूप से गल्ले के व्यापारियों को नदी पार से गल्ला लाने की छूट दी जा रही है। दूसरी तरफ गुंडों को भी मदद करने के एवज में खुले आम छूट दी जा रही है।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

आप बस्ती वालों को गुंडा कह कर कौन अच्छी बात कर रहे हैं?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं तो किसी भले मानस के बारे में नहीं कह रहा था, केवल गुंडों के बारे में ही कह रहा था, लेकिन अगर आप अपने को गुंडों का साथी समझते हैं तो मजबूरी है। तो जब हमारी ओर से यह प्रश्न किया गया कि बस्ती में इस प्रकार की धांधली हो रही है तो हमको सुरक्षा का विश्वास दिलाना चाहिये था, लेकिन हमसे कहा कि हम चुनाव पिटीशन कर सकते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें जनतंत्र को खतरा है। और यह सरकार, यह श्रीमती कृपालानी की सरकार नहीं है, यह या तो दास साहब की सरकार होगी या गुप्ता जी की होगी।

मैं सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि आगे आने वाले बजट में अगर सरकारी कर्मचारियों को कुछ न मिला, अगली पंचवर्षीय योजना में काश्तकारों के लिये कुछ न किया गया तो इस प्रदेश में व्यापक अराजकता फैल जायगी। मैं इन सब बातों से सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं। आज एक या दो बजटों के पास हो जाने का प्रश्न नहीं है, आज तो जनता के जीवन और मरण का प्रश्न है।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सब माननीय सदस्यों का जिन्होंने मेरे प्रस्ताव के विरोध में और उसके समर्थन में भाग लिया, उन सबका आभारी हूं। मान्यवर, जिसने भी संशोधन प्रस्तुत किये हैं मैं उन सबका विरोध करता हूं। यदि उन सब संशोधनों को इस अभिभाषण में जोड़ दिया जाय तो वह महामहिम का अभिभाषण न रह कर दूसरी १५ वर्षीय योजना हो जायगी। श्रीमन्, इस बहस में कुछ ऐसी बातें कही गयीं जिनका उत्तर दिया जा चुका है लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका उत्तर नहीं दिया गया। मुझे दुःख है कि इन तीन दिनों में विरोधी दल की ओर से कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिया गया। डा० अहमद ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और खाद्यान्न व्यापार को लेने की बात कही जिनकी सहमति मैं अपने भाषण में पहले ही कर चुका था। हमारे खाद्य मंत्री जी ने भी बताया। खाद्यान्न के बारे में हम निश्चय ही कर चुके हैं और बैंकों के बारे में केन्द्रीय सरकार विचार व निश्चय करेगी। उन्होंने अपनी सहमति दी। उन्होंने खाद्यान्न के सम्बन्ध में और कोई सुझाव नहीं दिया। मुझे डाक्टर जेड० ए० अहमद के साथ कार्य करने का अवसर रहा है और मैं उनके साथ जेल में भी रहा हूं। मैं उनके चरित्र को जानता हूं तथा उनकी विद्वता से परिचित हूं और उनकी मेरे मस्तिष्क पर एक छाप है। उनसे मैं आशा करता था कि वे प्रदेश की वास्तविक स्थिति को देखते हुए कुछ ऐसे साधन अवश्य बतलायेंगे जिससे यहां की समस्या का कुछ समाधान हो सके, लेकिन उन्होंने दो के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं कही। इसके अलावा भी एक तीसरी चीज प्रोक्योरमेंट की है, जिसको उन्होंने नहीं कहा। मैं उनसे आशा करता था कि इस पर कहेंगे, समर्थन करेंगे। बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाय, ट्रेड का राष्ट्रीयकरण हो जाय, यह तो ठीक है लेकिन आप खायेंगे कहां से? मैं इससे बिलकुल सहमत हूं कि जब तक किसानों को उनके खाद्यान्न का मूल्य नहीं बढ़ेगा तब तक खाद्यान्न का अधिक उत्पादन नहीं हो सकेगा, जैसा कि माननीय फूलसिंह जी ने अपने भाषण में कहा था। साथ ही मैंने यह भी कहा था कि उसके बाद भी आपको यह कहना होगा कि इतने एकड़ वाले किसान का उतना प्रतिशत खाद्यान्न बोना है, उसका इतना प्रतिशत लेना है। इतने एकड़ तक वालों को छोड़ना है, ऐसे कुछ नियम आपको बनाने होंगे। मैं यह आशा करता था कि माननीय डा० अहमद ऐसा कुछ कहेंगे।

एक सुझाव माननीय नेकराम शर्मा ने दिया कि पानी फ्री कर दो। लेकिन हमको यह भी देखना है कि क्या हमारे यहां पानी नहरों में या कुओं में इतना है कि वह बेकार जा रहा है? आज हमें कहना तो यह चाहिये कि अधिक कुएं खुदवाएं और नहरों की क्षमता (कैपेसिटी) बढ़ाएं। अगर हमारे पास पानी अधिक होता तो कुएं व नहरें खुदवाने की जरूरत क्यों पड़ती? कोई भी बात ऐसी कहनी चाहिये जिसको सिद्ध किया जा सके। विरोधी दल के सदस्यों ने कहा कि ३० करोड़ का गल्ला जो बाहर से मंगाया गया उससे हमारे प्रदेश को हानि होगी, अर्थात् बाहर से गल्ला मत मंगाओ, साढ़े ७ छटांक की भी राशनिंग कर दी जाय अर्थात् टोटल राशनिंग करो। अब यह सोचने की बात है कि टोटल राशनिंग करो, बाहर से गल्ला मत मंगाओ और किसान से भी गल्ला मत मांगो तो फिर क्या खाद्य मंत्री की जेब में गल्ला है जो गल्ला निकल आयेगा? बातें ऐसी करनी चाहिये जिनसे हम समस्या का कुछ समाधान कर सकें।

अनाज के सिलसिले में माननीय फूलसिंह जी ने एक बात और कही कि चीनी को बाहर भेजकर वहां से गल्ला मंगाना आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है। इससे मैं भी सहमत हूं। माननीय गोविन्दसहाय जी ने स्वर्गीय रफी साहब का जिक्र किया और यह सही बात है कि खाद्य समस्या की

[श्री जगदीशप्रसाद]

अगर ऐसी विकट परिस्थिति में भी रफी साहब का जिक्र न हो तो उनके प्रति हमारी अकृतज्ञता होगी। लेकिन उन्होंने रफी साहब का जिक्र इस तरह से किया कि रफी साहब ने ऐसी हवा बांधी कि खाद्य समस्या का सारा मामला ठीक हो गया। रफी साहब ने मंडियों में इन्सपेक्टर भेज दिए कि गोदाम लो, हवा बनी कि अनाज आ रहा है और व्यापारियों ने निकाल दिया। रफी साहब ने जो कदम उठाया उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। देश का प्रत्येक नागरिक जानता है कि रफी साहब का सबसे बड़ा कदम अनाज को ठीक कंट्रोल करना था। उनके पास आंकड़े थे और वे समझते थे कि बीच का व्यापारी वर्ग इससे लाभ उठाने के फेर में है इसलिये उन्होंने सारी स्थिति को अच्छी तरह से सोच समझ कर कंट्रोल को तोड़ दिया।

श्रीमन्, आपके सामने मैं रखूं कि सन् १९५१-५२ में इस प्रदेश का खाद्य उत्पादन था २५.३३ लाख टन, १९५२-५३ में २८.२४ लाख टन, १९५३-५४ में ३१.७ लाख टन और १९५४-५५ में ३२.८४ लाख टन, यानी लगातार उत्पादन बढ़ता गया और सन् ५४ में उन्होंने यह आदेश दिया। उनके नोटिस में सारी बातें थीं तभी उन्होंने यह रास्ता अपनाया। श्री गोविन्दसहाय क्या आज यह कहने का साहस कर सकते हैं कि डिकंट्रोल कर दिया जाय? वह नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि वह ईमानदारी से सोशलिस्ट हैं और सोशलिस्ट नियोजित विकास में विश्वास रखता है। और यह भी सही है कि नियोजित विकास के लिये नियंत्रण का होना जरूरी है।

कुछ लोगों ने यह भी कहा कि त्यागपत्र दे दो। माननीय सुचेता जी त्यागपत्र दे दें। अगर वे त्यागपत्र दे दें तो आप किसको मुख्यमंत्री बनायेंगे? गुप्ता जी को, श्री कमलापति जी को या श्री चरणसिंह जी को? नेकराम जी ने कहा कि चरणसिंह जी को। अगर आप चरणसिंह के लिये कहते हैं तो सारा विरोधी दल दावा करे कि दो वर्ष तक इस सरकार का विरोध नहीं करेंगे।

माननीय राधेश्याम जी ने सही जवाब दिया। राधेश्याम जी ने कहा कि हमें व्यक्तियों से सम्बन्ध नहीं है, हमें पार्टी बदलनी है। उन्होंने पोलिटिकल बात कही, लेकिन उसके कहने का स्थान यह नहीं था। फर्ज कीजिए कि हमने इस्तीफा दे दिया तो गवर्नमेंट कौन बनाएगा, आप बनायेंगे, यह बनायें, वह बनायेंगे? सरकार एक सत्ता है, ताकत है, यह कभी मांगें से नहीं मिलती है। ताकत, ताकत से ही ली जाती है, कहीं बैलट से ली जाती है। प्रजातन्त्र में बैलट से ली जाती है और बैलट मिलता है सेवा करने से। अगर कांग्रेस से इस्तीफा लेना है तो बैलट से यहां आओ। (व्यवधान) देखिए मैं आप लोगों की बातें सुनता रहा आप भी शांति से सुनिये। एक बहुत बड़ा आरोप बार बार लगाया गया कि साहब, कांग्रेस का आपसी झगड़ा है। आपसी झगड़ा वास्तव में बुरा है। और मैं अपने नेताओं से अपील करूंगा कि आर्थिक झगड़ों में न पड़ें, इसे समाप्त करें। लेकिन आप यह बताइए कि जगवीरसिंह जी ने इशारा किया (शोरगुल) अभी वाराणसी में झगड़ा किया डंडा चला कर आए हैं। जब साम्यवाद दल में दो दल बने तो हमने क्या सुना (शोरगुल) आप सुनिये---हमने यह पढ़ा अखबारों में कि साम्यवादी दल में २ दल बनने पर दफ्तरों पर कब्जा लेने के लिए पुलिस की मदद ली गई। यही संयुक्त समाजवादी दल के बनने पर हुआ। श्रीमन्, डाक्टर साहब ने एक बात और कही थी। डाक्टर साहब से मेरा काफी सम्पर्क रहा है, मैं उनके नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हूं, उन्होंने एक बात कही कि साहब आपको यह जरूरत है कि यहां प्रोपोशनल रिप्रेजेन्टेशन हो। आपने इंगलैण्ड का सिस्टम अपना रखा है, पेपर मेजारिटी से सरकार बनाते हैं। बड़े मजे की बात उन्होंने कही। मैं उनकी बड़ी तारीफ करता हूं, मेरे जिले में उनकी बड़ी इज्जत है। उन्होंने यह बात कही कि दो खानदान हैं। उन्होंने इस सदन को दो खानदान मान लिया। उनके लफ्जों में एक खानदान प्रतिक्रियावादी है और वह खानदान कांग्रेस के मुकाबले में उनसे कहीं दूर है और मैं समझता हूं कि वह किसी दशा में भी अपना दूसरा प्रीफरेंस कांग्रेस के मुकाबले में जनसंघ को, दूसरे खानदान को, नहीं दे सकते और न वह इन्साफ होगा।

मैं समझता हूं कि अगर वह कुंवर श्रीपालसिंह जी का भाषण सुन लेते तो वह शायद यह दलील न देते और कुंवर श्रीपालसिंह जी ने जो कुछ कहा उसमें भी कुछ न कुछ तथ्य जरूर है। जहां डाक्टर साहब की बात में सच्चाई है, उनकी बात में भी सच्चाई जरूर है। हम बराबर सन् ४० और ४२ में देख चुके हैं। वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष दोनों हैं। आज ही पत्र में था कि कोसिजिन साहब अब पेकिंग गए हैं, कुछ दिन बाद देखिये क्या होता है। तो फिर वह खानदान इन्हें देशद्रोही कहता है। हमारे यहां तो जैसा कि श्रीपालसिंह जी ने कहा, सब देशभक्त लोग हैं, तपे हुए लोग हैं, उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। तो वह खानदान आपको वोट नहीं दे सकता, यहां सरकार कांग्रेस की ही बनेगी।

एक बात मैं और कहूंगा। हमारे भाई जगवीरसिंह जी कह रहे थे जिस पर कि श्री राधेश्याम जी ने कहा कि मैंने यह नहीं कहा, लेकिन उनका भाव यह था कि कुछ भी हो किसी तरह से कांग्रेस को हटाया जाय चाहे हमें जहन्नुम जाना पड़े। लेकिन यह दोनों बातें होंगी नहीं। कांग्रेस हटेगी नहीं और आपको हम जहन्नुम जाने न देंगे। हम तो आपको भी स्वर्ग की ओर ही ले जायंगे। इन शब्दों के साथ में सदन से अन्त में अपील करूंगा कि वह मेरे प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करे और इसके पक्ष में वोट दे।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं आपके सामने मूल प्रस्ताव रखता हूं और अगर मूल प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो शेष संशोधन जो प्रस्तुत हुये हैं वह अस्वीकार समझे जायेंगे।

प्रश्न यह है कि यह सदन महामान्य राज्यपाल को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद देता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गयी)

श्री अध्यक्ष—

सदन उस समय तक बैठा रहेगा जब तक कि इसका परिणाम घोषित न हो जाय।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया, और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१७२,

विपक्ष में—२८।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १ मिनट पर, अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
११ फरवरी, १९६५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२८ पर)

प्रश्न संख्या ३ का उत्तर—विवरण संख्या १

भारत सरकार से प्राप्त सहायता	मदों के नाम जिन पर खर्चा किया गया	१९५६–५७ से १९६३–६४ तक प्रदेशीय सरकार द्वारा दी गई सहायता	मदों के नाम जिन पर खर्चा किया गया	डिफरेन्ट किस्म के एसोशियेशन जिनका अनुदान दिया गया	दिये गये अनुदान का रकम
रु०		रु०			रु०
६,९३,१८०.९५	१—कोचिंग केम्प्स	४७,७५,८००	१—स्टेट स्पोर्ट्स एसोशियेशन	१—स्टेट स्पोर्ट्स एसोशियेशन	२,५०,६१०
	२—स्पोर्ट्स इक्विपमेंट		२—रीजनल काउंसिल आफ स्पोर्ट्स	२—रीजनल काऊंसिल आफ स्पोर्टस	३,५०,०२१
	३—लखनऊ स्पोर्ट्स स्टेडियम		३—व्यक्तिगत क्लबों को अनुदान	३—व्यक्तिगत क्लब एवं एसोशियेशन	९५,२९०
	४—अलीगढ़ यूटीलिटी स्टेडियम		४—प्रशिक्षण शिविरों पर व्यय		
	५—रुड़की स्पोर्ट्स स्टेडियम		५—स्टेडियमों के निर्माण पर व्यय		
			६—प्रतियोगितायें		
			७—वेतन इत्यादि पर व्यय		

विधान सभा

प्रश्न संख्या ४

विवरण संख्या २

क्रम-संख्या	खर्चे की मद का नाम	व्यय की धनराशि १९५६–५७	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२	१९६२–६३	१९६३–६४	योग
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१	तेल के विकास अर्थात् स्टेडियम का निर्माण एसोशियेशन्स तथा क्लबों को अनुदान, रीजनल कौंसिल आफ स्पोर्ट्स को अनुदान, प्रशिक्षण शिविरों के हेतु तथा प्रतियोगिताएं ..	५,०२,६२६	४,३५,०८८	४,६२,२४०	४,०४,२५०	५,५२,९५०	५,३४,२६५	३,८१,०२०	४,४९,२८५	३७,२१,७२४
२	तनख्वाह तथा टी० ए० डी० ए० पर किया गया व्यय ..	४७,१३०	१,०३,६३०	१,३३,२६०	१,२९,४६४	१,१८,७००	१,३६,३८१	१,५३,९५२	१,४४,८६०	९,६७,३७७

क्रम संख्या २ पर जो खर्चा वेतन टी० ए० डी० ए० पर किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश खेलकूद परिषद् के कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा आफिस सेक्रेटरी का वेतन इत्यादि भी सम्मिलित है तथा यह सम्पूर्ण व्यय भी खेल के विकास हेतु ही किया गया है।

२— ८६, ६९९ रु० कान्टीन्जेन्ट एक्पेन्डीचर पर हुआ।

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३२ पर)

उर्वरक का नाम	वर्ष जब से स्टाक है	स्टाक की मात्रा टन०	क्वी०	कि० ग्राम	स्टाक का मूल्य रु०
१—अल्मोनियम सल्फेट (सभी प्रकार की सप्लाई के)	१९६३–६४	६७	५	६	२४,७०७
२—कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ..	१९६१–६२	१३	१	५०	४,१४२
	१९६३–६४	३९०	९	०	१,२३,१३४
		४०४	०	५०	१,२७,२७६
३—यूरिया	१९६१–६२	८६	९	०	५३,४४४
	१९६३–६४	८७	९	५५	५४,०९०
		१७४	८	५५	१,०७,५३४

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३४ पर)

गुड़ विकास योजना के अन्तर्गत अगस्त, १९६२ में अस्थाई किये गये पदों की सूची

क्रम-संख्या	स्थायी किये गये पद का नाम	पद की संख्या
१	गुड़ विकास अधिकारी	१
२	सीनियर गुड़ विकास निरीक्षक	२
३	गुड़ विकास निरीक्षक	४
४	जिला गुड़ प्रदर्शक	५
५	जिला गुड़ प्रदर्शक (इंचार्ज कारबन फैक्ट्री)	१
६	जिला गुड़ प्रदर्शक (प्रचार तथा प्रोपेगन्डा)	१
७	गुड़ प्रदर्शक	१५
८	पब्लिसिटी सुपरवाइजर-कम-फिल्म आपरेटर	१
९	नोटर एंव ड्राफ्टर	३
१०	टंकक	१
११	रोटीन क्लर्क	१
१२	डिस्पैचर	१
१३	आशुलिपिक	१
१४	फिल्म आपरेटर-कम-गाड़ी ड्राइवर	१
	योग ..	३८

संसद विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३५ पर)

सोसाइटी के नाम

१—हरीकला सहकारी समिति लिमिटेड, घोसी, आजमगढ़ ।

२—कासिमपुर करघा कोआपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड ।

३—मऊ हैंडलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड, दाखिमी टोला ।

४—करघा सहकारी समिति, लिमिटेड, बाबू सत्तार मुन्शीपुर ।

५—हैन्डलूम कोआपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड, मादापुर ।

६—सेन्ट्रल वीवर्स कोआपरेटिव स्टोर, लिमिटेड घोसी, आजमगढ़ ।

७—रघुनाथपुर कोआपरेटिव हैंडलूम, वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड, मऊ ।

८—जनता करघा उद्योग सहकारी समिति, लिमिटेड, महरानी, मऊ ।

९—इमामगंज कोआपरेटिव हैन्डलूम वीवर्स सोसाइटी, लिमिटेड, मऊ ।

१०—नरायन बाजार हैंडलूम वीवर्स कोआपरेटिव, लिमिटेड ।

११—हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड, मिसिरपुर, महाराजगंज ।

१२—करघा उद्योग सहकारी समिति, लिमिटेड, मीलमपुर, पो०आ० कोयलाशाहत, आजमगढ़ ।

१३—खेदुपुरा करघा कोआपरेटिव, लिमिटेड, मऊ ।

१४—बुलाकीपुरा हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, मऊ ।

१५—हिमायतुल अन्सार करघा कोआपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड, कोपागंज ।

१६—अलादपुरा कोआपरेटिव करघा सोसाइटी, लिमिटेड, आजमगढ़ ।

१७—बुलाकीपुरा हैंडलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, मऊ ।

१८—रघुनाथपुरा कोआपरेटिव हैंडलूम कोआपरेटिव वीवर्स, लिमिटेड, मऊ ।

१९—शकर करघा कोआपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड, मऊ ।

२०—जहांनगंज करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जहानगंज ।

२१—काजिमपुरा करघा कोआपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड, मऊनाथ भंजन ।

२२—आजादपुरा रानी हैंडलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड, मोबारकपुर ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४२ पर)

घटना का विवरण

ग्राम दरेहटा (उन्नाव) में दिनांक २१ अगस्त, १९६४ को एक कलेक्शन अमीन की हत्या कर दी गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कलेक्शन के कर्मचारी उस गांव में कार्यहेतु जाने में डरने लगे। अतः दिनांक ८ सितम्बर, १९६४ को माल व पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारी जिनमें एस० डी० एम०, डी० एस० पी० आदि थे, भूमिकर आदि वसूल करने के सम्बन्ध में ग्राम दरेहटा गये। यहां कलेक्शन के कर्मचारी वसूली के सिलसिले में लोगों के घर गये थे। समाचार पत्र में जो मारपीट एवं ज्यादती के आरोप लगाये गये हैं वे जांच से सही नहीं पाये गये। गांव में एक घर में आग लगने की घटना हुई जिससे सम्बन्धित मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५३ पर ।)

घटना का विवरण

दिनांक १३ सितम्बर, १९६४ को श्री राम सिंह, पुत्र श्री जानकी सिंह, निवासी ग्राम मसड़ा, मोहनपुर, थाना बसखारी, जिला फैजाबाद ने बसखारी थाने पर लिखित सूचना दी कि १२/१३ सितम्बर, १९६४ की रात को उनका एक बैल कोई चुरा ले गया । उक्त सूचना के आधार पर थाने पर एक मुकदमा धारा ३७९ भारत दंड विधान के अन्तर्गत अंकित किया गया । जांच से ज्ञात हुआ कि इस बैल की अभियुक्त रोशन बनजारा साकिन दरगाह रसूलपुर ने चोरी करके उसकी हत्या की और मांस को ग्राम रुद्रपुर भगाही, थाना टांडा, जिला फैजाबाद के कुछ मुसलमानों के हाथ बेचा । अभियुक्त रोशन बंजारा गोहत्या के अपराध में दिनांक १३ सितम्बर, १९६४ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुआ । उसके पास पशु का मांस व चमड़ा बरामद हुआ । इस घटना को लेकर हिन्दू जनता में धार्मिक उत्तेजना फैल गई ।

दिनांक १६ सितम्बर, १९६४ को करीब डेढ़ १ १/२ बजे दिन मौजा बरही, थाना बसखारी के पास सड़क के किनारे लगभग तीन-चार सौ एकत्रित हिन्दुओं की भीड़ लाठी, फरसा, बल्लम, हंसुवा से लैस होकर बदला लेने की नीयत से ग्राम रुद्रपुर भगाही की तरफ चल पड़ी ।

ग्राम रुद्रपुर भगाही में तैनात थाना टांडा के सिपाहियों को जब कुछ लोगों के सामूहिक रूप से आने जाने के बारे में पता लगा तो उन्होंने तुरन्त थाना टांडा और बसखारी को सूचना भिजवा दी । थानाध्यक्ष बसखारी, ने एक हेड कांस्टेबिल को पांच कांस्टेबिलों के साथ ग्राम रुद्रपुर भगाही भेजा । भीड़ उत्तेजित हो कर ग्राम भगाही के सामने आई और उसने वहां के निवासी हाजी अबुल रजाक को लाठी मार कर खींच लिया और लूटने जलाने में व्यस्त हो गई । पुलिस ने भीड़ को गैर कानूनी करार देते हुये तितर बितर करने की कोशिश की और चेतावनी भी दी किन्तु कोई प्रभाव नहीं पड़ा । अन्त में पुलिस को जन धन की सुरक्षा का कोई अन्य साधन न पाकर मजबूर हो कर गोली चलानी पड़ी । इस पर भीड़ तितर बितर होने लगी । गोली चलाने से उपस्थित भीड़ के कुल सात व्यक्ति घायल हुये जिनमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । पुलिस ने ६ अभियुक्तों को मौके पर गिरफ्तार किया और आठ को घटना स्थल के कुछ दूर गिरफ्तार किया ।

हेड कांस्टेबुल द्वारा इस घटना के बारे में थाने पर लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर २० व्यक्तियों का चालान न्यायालय किया जा चुका है और ५ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है ।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५४ पर)

सूची

क्रम-संख्या	नाम सब-इंस्पेक्टर		विनांक नियुक्ति	नाम थाना
१	श्री शाह मूसा कासिम	..	१४-१०-६४	कोतवाली
२	श्री केदार नाथ मिश्र	..	१६-१२-६३	कोतवाली
३	श्री अहमद सईद जाफरी	..	२४-८-६३	कोतवाली
४	श्री रहमत अली	..	१४-९-६४	कोतवाली
५	श्री शिव सरन मिश्र	..	१-१-६५	कोतवाली
६	श्री बांके बिहारी सिंह	..	१-१-६५	कोतवाली
७	श्री सिया राम पांडे	..	१७-११-६४	मेलसर
८	श्री विजय लाल आर्या	..	८-१-६५	मेलसर
९	श्री जगरूप सिंह	..	२२-९-६४	कोतवाली
१०	श्री अली हाशिम	..	५-३-६४	भवई
११	श्री अजीतसिंह	..	३०-३-६४	लोनीकटरा
१२	श्री राम कुमार टंडन	..	१६-१०-६४	लोनीकटरा
१३	श्री शिव प्रसाद सिंह	..	६-५-६३	सफदरगंज
१४	श्री राधेश्याम पांडे	..	१४-१०-६३	सफदरगंज
१५	श्री गया बख्शसिंह	..	८-५-६२	सफदरगंज
१६	श्री श्रीपालसिंह	..	२५-११-६३	टिकैत नगर
१७	श्री बलदेव सिंह	..	२७-११-६३	टिकैत नगर
१८	श्री महादेव सिंह	..	८-१-६५	रामसनेहीघाट
१९	श्री रामेश्वर पाठक	..	१६-१०-६४	रामसनेहीघाट
२०	श्री रघुनाथ सिंह चौधरी	..	२०-७-६४	रामनगर
२१	श्री शीतला प्रसाद पांडे	..	१६-१०-६४	रामनगर
२२	श्री योगेन्द्र सिंह	..	८-१-६५	सुबेहा
२३	श्री आनन्द पाल रावत	..	२७-७-६४	कुर्सी
२४	श्री ज्वाला प्रसाद पांडे	..	२८-७-६४	कुर्सी
२५	श्री केशव सिंह राना	..	३०-३-६४	कोठी
२६	श्री रामदीन चौधरी	..	२४-८-६३	कोठी
२७	श्री वृज नन्दन तिवारी	..	१६-९-६४	कोठी (इस समय ३-१-६५ से कुम्भ मेला इलाहबाद ड्यूटी पर है ।)
२८	श्री रूप नारायण तिवारी	..	१३-२-६४	फतेहपुर
२९	श्री देव नारायण त्रिवेदी	..	३०-३-६४	फतेहपुर
३०	श्री रणवीर सिंह	..	५-८-६४	फतेहपुर (इस समय ३-१-६५ से कुम्भ मेला ड्यूटी पर नियुक्त है ।)
३१	श्री कुंवर प्रतापसिंह	..	७-२-६४	मोहम्मदपुर

नत्थी 'ज'

(दक्षिय तारांकित प्रश्न संख्या ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५७ पर)

श्री मतोलसिंह द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ६४ के उत्तर में उल्लिखित सूचना

आगामी योजना के अन्तर्गत जनपद बांदा में पयाल से मोटा कागज बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

बांस से कागज तथा सेमर आदि की लकड़ी से दियासलाई बनाने की कोई योजना भी नहीं है, क्योंकि उनके लिये एक इकाई को वर्ष भर कार्य देने के लिये पर्याप्त मात्रा में बांस व सेमर यहां उपलब्ध नहीं है ।

सफेद एवं लाल तथा पीली मिट्टी रेलवे स्टेशन से दूर बांदा जिले में आन्तरिक मार्गों में मिलती है । अतः पाउडर व रंग निर्माण की इकाइयां सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं हैं ।

केवल बालू (sand) की उपलब्धि ही कोई कांच का कारखाना खोलने के लिये काफी नहीं है । इसके लिये और भी बहुत सी बातों का विचार करना पड़ता है । सरकार की ओर से कोई कांच का कारखाना बरगढ़ में या इस जिले में खोलने की कोई योजना नहीं है ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५९ पर)

कत्ल

थाना		कत्ल का स्थान
१—लार	..	१—ग्राम—लोहरौली
		२—ग्राम पडारी गजराज
२—तरकुलवा	..	१—ग्राम नीबी विरवा
		२—ग्राम हिरन्दापुर
		३—ग्राम बाजार पथेरदेवा
		४—ग्राम कौला छप्पर
३—खामपार	..	१—ग्राम जसुई

थाना बरहज, खुखुन्दू रूद्रपुर, व कोतवाली के अन्तर्गत इस अवधि में कोई कत्ल नहीं हुआ।

डकैती

थाना		डकैती का स्थान
१—खुरखुन्दू		१—ग्राम पकड़ी तेवारी
२—तरकुलवा	..	१—ग्राम नौतन हथियागढ़
		२—ग्राम सुन्दरपुर
		३—ग्राम महुआरी
		४—ग्राम पथरदेवा
३—रूद्रपुर	..	१—ग्राम छपौली
		२—ग्राम मेवनापुर
		३—ग्राम कटहिया
४—लार	..	ग्राम मझोली राज
५—खामपार	..	ग्राम खोरीवारी (रामपुर टोला)

थाना—बरहज व कोतवाली के अन्तर्गत इस अवधि में कोई डकैती की घटना नहीं हुई।

चोरी

थाना		चोरियों की घटनायें
१—लार	..	३०
२—खामपार	..	३६
३—तरकुलवा	..	२१
४—बरहज	..	२३
५—खुरखुन्दू	..	३७
६—रूद्रपुर	..	२८
७—कोतवाली (देवरिया)	..	१००

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५९ पर)

क्रम-संख्या	सांस्कृतिक समारोह का नाम एवं तिथि	संयोजक का नाम तथा पद
१	ड्रामा शो—१३/१४-११-६२ ..	श्री ए० आर० किदवई, प्राक्टर, मुस्लिम विश्व-विद्यालय, अलीगढ़ ।
२	कवि सम्मेलन—१४-११-६२	श्री कौशल किशोर वर्मन, निदेशक, कला कौशल केन्द्र, हाथरस ।
३	कव्वाली—२४-११-६२ ..	श्री मसूदअली कुरेशी, एडवोकेट, संयुक्त संयोजक । प्रबन्धक
४	वेराइटी शो—२-१२-६२	सेठ हरचरनदास, प्रबंधक, कन्याविद्यालय, हाथरस ।
५	वेराइटी शो—९-१२-६२	श्रीमती एम० जे० हैदर, प्रधान अध्यापक, वोमेन्स कालेज, मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।
६	एकांकी नाटक—२०-१२-६२ ..	श्रीमती हमीदा सलीम, संयोजक, महिला सहायक कमेटी, टीका राम कन्या विद्यालय, अलीगढ़ ।
७	मुशायरा—२२-१२-६२ .. कवि सम्मेलन—२४-१२-६२	श्री जय चरन लाल अनल, प्रेसीडेन्ट, म्युनिसिपिल बोर्ड, सिकन्दर राव, अलीगढ़ ।
८	कवि सम्मेलन—२९-१२-६२	श्री के० एन० दीक्षित, जी० ओ० सिटी, ए० ई० टी० ओ०, संयोजक ।
९	मुशायरा—३०-१२-६२ ..	श्री मोहम्मद जफ़र हुसेन, एस० डी० एम०, कोइल, संयोजक ।
१०	ड्रामा शो—५-१-६३ ..	श्रीमती शकुन्तला, संयोजक, इंजीनियरिंग विभाग, महिला समिति नरयोरे-डिवीजन, अलीगढ़ ।
११	ड्रामा शो—२१-१-६३ ..	प्रेसीडेन्ट, महेश्वरी मान्टेश्वरी बाल मंदिर, अलीगढ़।
१२	कव्वाली—२७-१-६३ ..	प्रधान अध्यापक, डी० एस० इंटर कालेज, अलीगढ़।
१३	संगीत गोष्ठी—१५/१६-२-६४	श्री जी० के० द्विवेदी, सिविल सर्जन, संयोजक ।
१४	दंगल—१३/ १५/ १७-२-६३	श्री इकबाल सिंह, डिप्टी एम० पी०, संयोजक ।
१५	कवि सम्मेलन १७-२-६३ ..	श्री के० एन० दीक्षित, जे० ओ० सिटी, ए० ई० टी० ओ०, संयोजक ।
१६	मुशायरा—१८-२-६३ ..	श्री एस० एम० ए० एस० नकी, डाक्टर, वेटरिनरी विभाग, अलीगढ़, संयोजक।
१७	कव्वाली—१९-२-६३ ..	श्री मउदअली कुरेशी, एडवोकेट, संयोजक ।
१८	ड्रामा—२०/ २१-३-६३ ..	श्री आर० सी० जोशी, डी० टी० एस०, उत्तर पूर्व रेलवे, फतेहगढ़ ।

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६१ पर)

परिशिष्ट 'क'

नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१—श्री लाल मणि कुरीलो	इंटरमीडियेट	१९५९ वे सामाजिक कार्य का अनुभव है।
२—श्री कूलचन्द शंसबौर	प्राइमरी	१४ वर्ष का अनुभव, दलित वर्ग संघ के प्रचारक हैं।
३—श्री राम भरोसे लाल गुप्ता	कक्षा ८	१९६१ से सामाजिक कार्य का अनुभव है।
४—श्री कैलाश नाथ त्रिवेदी	स्कूली शिक्षा कुछ नहीं	सर्वोदय तथा मंत्री कुष्ट समिति का काम किया।
५ श्री शिव प्रसाद भारतीय	हाई स्कूल अनुतीर्ण	५ वर्ष का सामाजिक कार्य का अनुभिव है, मद्य निषेध का कार्य अधिक किया है।
६—श्री आनन्द स्वरूप गुप्त	बी० ए०	१९६१ से सामाजिक कार्य का अनुभव है तथा कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं।
७—श्री अनन्त राय मिश्रा	हाईस्कूल तक	पी० आर० डी० तथा होम गार्ड का अनुभव।
८—श्री केदार नाथ गुप्ता	..	पी० एस० पी० कार्यकर्त्ता तथा होमगार्ड का अनुभव है।
९—श्री शम्भूनाथ मिश्र	हाई स्कूल	१५ वर्ष का अनुभव है।

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६२ पर)

घटना का विवरण

दिनांक ५ नवम्बर, १९६३ को दोपहर के बाद चन्द्रिका पांडेय आदि ११ व्यक्ति बन्दूक, लाठी इत्यादि से सुसज्जित हो कर महेन्द्र नाथ, पुत्र बब्बन, राम ग्राम सोनवट के खेत पर गये और उसे खेत से अपने दरवाजे पर लाकर बांध दिया। वे लोग महेन्द्र के साथ रामनाथ पाली को भी जो उसी ग्राम का रहने वाला है पकड़ कर लाये और मारपीट के बाद उसे भी पेड़ से बांध दिया। अपराधी पारस ने बन्दूक से महेन्द्र नाथ के पैर पर फायर किया। इसी समय महेन्द्र नाथ का भाई अमरनाथ तथा रामचन्द्र वगैरह घटना की सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे। अपराधी दशी उर्फ संकठा ने उन पर बन्दूक से गोलियां चलाईं। अमरनाथ की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। रामचन्द्र जो घायल हो गये थे अस्पताल भेजे जाने पर रास्ते में भारी चोट के कारण मर गए।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ९७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६४ पर)

थाना सौरिख, जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत १ मार्च, १९६३ से २८ मार्च, १९६४ तक हुई डकैती, चोरी, राहजनी, कत्ल आदि की घटनाओं की सूचना

अपराध	अपराधों की की संख्या	अपराधों की सं० जिन में मुकदमे चलाये गये	मुकदमों की संख्या जो सजायाब हुये	मुकदमों की संख्या जो छूट गये
१	२	३	४	५
डकैती ..	..	..	..	..
राहजनी ..	३	२	१	१
कत्ल ..	३	१	..	१
नकावजनी ..	२३	६	५	१
चोरी ..	४०	११	८	३

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ढ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ९९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६५ पर)

मौजूदा थानेदार कोसीकलां, मथुरा के समय में हुई डकैती तथा कत्ल की घटनाओं का विवरण

अपराध	घटना की तिथि तथा समय	घटना स्थल की थाने से दूरी
डकैती ..	१—१८ / १९ जनवरी, १९६४ को आधी रात के बाद ग्राम नवीपुर में।	३ मील
कत्ल ..	१—४ अप्रैल, १९६४ को १२ बजे दिन में ग्राम पीपरवाला में।	६ मील
	२—९ मई, १९६४ को एक अज्ञात व्यक्ति की लाश दिन में अजीजपुर नहर के पुल पर मिली। घटना का समय अज्ञात है।	लाश मिलने की जगह थाने से ३ मील दूर है।
	३—२१ जुलाई, १९६४ को ७ बजे सुबह ग्राम बरहाना में।	१-१/२ मील
	४—२० अक्तूबर, १९६४ को ८ बजे रात में नगला हसनपुर में।	१-१/२ मील

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ण'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १०० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६५ पर)

तालिका 'क'

नाम चीनी मिल	सीजन १९६४-६५ में पेरायी चालू होने की तिथि	गन्ने के मूल्य का भुगतान प्रारम्भ करने की तिथि
१	२	३
१—गौरी बाजर	१६-११-६४	१७-११-६४
२—प्रतापपुर	२-११-६४	१२-११-६४
३—देवरिया	६-११-६४	१७-११-६४
४—बैतालपुर	६-११-६४	२०-११-६४
५—भटनी	६-११-६४	१६-११-६४
६—रामकोला (खेतान)	१०-११-६४	१७-११-६४
७—राम कोला (पंजाबी)	१६-११-६४	१-१२-६४
८—कप्तानगंज	२८-१०-६४	१०-११-६४
९—पडरौना	१०-११-६४	११-११-६४
१०—कठकुंइयां	९-११-६४	२५-११-६४
११—सिवराही	२८-१०-६४	७-११-६४
१२—लक्ष्मी गंज	११-११-६४	१६-११-६४
१३—छितौनी	११-११-६४	१६-११-६४
१४—खड्डा	९-११-६४	२४-११-६४

उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'त'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १०१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६५ पर)

नाम जिला	१९६४ अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१—देहरादून	१००	७५	..	..	..	..	..	..	..
२—सहारनपुर	१००	५०	..	..	..	३२०	..	..	..
३—मुजफ्फरनगर	..	..	..	४०	..	..	..	..	१००
४—मेरठ	..	५०	..	..	..	१८५	..	..	१००
५—बुलन्दशहर	३००	..	३५०	९०	..	५०	..	..	..
६—अलीगढ़	..	..	..	५०	..	८०	५०	..	१४५
७—मथुरा	..	..	२००	..	..	..	..	..	..
८—आगरा	१५०	१९५	..	..	..	२९०	..	..	१५०
९—मनपुरी	४०	..	५०	८०	..	..	२०	..	..
१०—एटा	..	..	५०	..	..	..	..	..	..
११—बरेली	..	..	..	..	..	..	४०	..	१५०
१२—बिजनौर	..	१००	१००	..	..	..	..	..	..
१३—बदायूं	..	..	..	..	..	..	५०	..	..
१४—मुरादाबाद	..	..	..	..	..	..	..	४०	..
१५—रामपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१६—शाहजहांपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१७—पीलीभीत	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१८—फर्रुखाबाद	..	..	..	५०	..	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

				रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	०	रु०
१९—इटावा	..	..	..	..	..	१४०	..	..	..	..	५०	..
२०—कानपुर	..	..	..	२००	३४५	३४०	..	४५	३१५	..	..	..
२१—फतेहपुर	..	..	..	..	..		..	..	..	..	..	..
२२—इलाहाबाद	..	..	..	१००	१९५	४७५	२४५	१७५	७०	१००	..	..
२३—झांसी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
२४—जालौन	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
२५—हमीरपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
२६—बांदा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
२७—वाराणसी	..	..	..	९४५	१००	१००	३२५	..	..	४००	४०	१००
२८—मिर्जापुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	४०	..	..
२९—जौनपुर	..	..	..	..	१००	१००	..	३०	..	५००	..	५०
३०—गाजीपुर	..	..	..	..	..	..	..	१००	..	..	..	..
३१—बलिया	..	..	..	..	..	..	..	..	४०	४०	..	..
३२—गोरखपुर	..	..	..	..	२००	..	..	४०	..	..	..	२००
३३—देवरिया	..	..	..	१,०५०	३००	६००	२५०	९०	३१५	४३०	..	२०
३४—बस्ती	..	..	..	..	..	..	४०	..	..	८०	१५०	४०
३५—आजमगढ़	..	..	..	१९५	५०	४०	५०	१००	..	८०	..	..
३६—नैनीताल	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३७—अल्मोड़ा	..	..	..	..	..	५०	९०	१००	५०	११०	..	७५
३८—गढ़वाल	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३९—टेहरी-गढ़वाल	..	..	..	..	..	..	..	..	..	३०	..	..
४०—लखनऊ	..	..	..	१,२१५	२,१००	१,९९५	१,७०५	१,६३०	२,०६०	१,६१०	५६५	१,२४०
४१—उन्नाव	..	..	..	..	४०	..	४०	..	५०	१५०	३०	१००
४२—रायबरेली	..	..	..	..	..	..	..	..	१००	..	२०	..
४३—सीतापुर	..	..	..	३०	१००	..	१००	२५	५०	१५०	..	..
४४—हरदोई	..	..	..	..	..	४०	२०	..	..	..	..	..

नाम जिला	१९६४								
	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
१	२	३	४	५	७	७	८	९	१०
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
४५—खीरी	..	५०	..	..	..	..	..	..	..
४६—फैजाबाद	..	५०	..	३०	६०	..	१००	..	..
४७—गोंडा	३४५	१५०	..	३०	..	२०	७०	..	..
४८—बहराइच	..	..	..	..	..	..	..	..	..
४९—सुल्तानपुर	..	..	..	..	२०	..	..	..	..
५०—प्रतापगढ़	५०	..	३५५	९०	..	९०	८०	..	..
५१—बस्ती	..	..	..	..	..	..	..	..	..
५२—उत्तरकाशी	..	..	..	..	..	..	..	..	..
५४—पिथौरागढ़	..	..	..	..	..	५०	..	..	५०
५५—बाराबंकी	१९५	..	१००	..	..	..	५०	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'थ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १०४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६६ पर)

श्रीमान् पुलिस कप्तान महोदय, गोंडा।

गोंडा के नागरिकों की यह भीड़ यह मांग करती है कि :—

(१) सीताराम, पुत्र रामनाथ कोरी, निवासी ग्राम मिसरौलिया का जैसा कि ज्ञात हुआ है कि उसे पुलिस के लोगों ने मार-मार कर मार डाला गया है और गौड़या घाट में उसे जलवा भी दिया गया है, उस संबंध में सभी पुलिस के अधिकारियों को जैसे कोतवाल, सी० आई० तथा डी० वाई० एस० पी० को अविलम्ब मुअत्तल किया जाय।

(२) मामले की न्यायिक जांच कराई जाय।

(३) संबंधित कागजात को अविलम्ब पकड़ कर जब्त कर लिया जाय।

(४) उनके परिवार वालों को जैसा कि ज्ञात हुआ है कि उन्हें कोतवाल ने गायब करा दिया है, घर पहुंचाया जाय।

(५) परिवार वालों को अविलम्ब सुरक्षा एवं हरजाना देने की व्यवस्था करें।

गोंडा

प्रतिनिधि वर्ग

(ह०) अज्ञात

(ह०) राम दुलारे, (ह०) गोमती प्रसाद यादव,

(ह०) दीन दयाल करुण।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'द'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ११८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६९ पर)

सूची संख्या—१

संयुक्त जांच समिति की संस्तुति पर जिला गाजीपुर में ली जाने वाली परियोजनाएं

१—चार पूर्वी जिलों में कृषि उत्पादन को तीव्र करने का कार्यक्रम ।
२—उन्नत कृषि यंत्रों के लिए कर्मशालाओं की स्थापना ।
३—निजी लघु-सिंचाई कार्यक्रम ।
४—राज्य नलकूपों पर पक्की गूलों का प्रसार ।
५—राज्य नलकूप ।
६—ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाना ।
७—भूमि तथा जल-संरक्षण ।
८—शूकर विकास ।
९—पशु विकास कार्यों का सघनीकरण ।
१०—रातिब तथा चारे का विकास ।
११—भेड़ों को सामूहिक रूप से औषधि पिलाना ।
१२—कुक्कुट विकास कार्यक्रम का तीव्र किया जाना ।
१३—कुक्कुट विकास कार्यक्रम को तीव्र करने के लिए पर्यवेक्षक कर्मचारी वर्ग ।
१४—कुक्कुट विकास कार्यक्रम तो तीव्र करने के लिए सहकारी क्रय-विक्रय समितियों का संगठन ।
१५—कम गहरे जलाशयों का मत्स्य उत्पादन के लिए विकास तथा उपयोग ।
१६—संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खंड क्षेत्रों में मत्स्य संवर्धन ।
१७—सहकारी क्रय-विक्रय, विधायन तथा संग्रहण ।
१८—सीमांत बांध ।
१९—पानी से घिरे गांवों को ऊंचा करना ।
२०—जलोत्सारण के लिए नालियों का निर्माण ।
२१—ग्राम विद्युतीकरण का तीव्र किया जाना ।
२२—उद्योग निदेशालय के लिए अतिरिक्त कर्मचारिवर्ग ।
२३—ऋण तथा अनुदान योजना ।
२४—प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम ।
२५—सहायक विकास उद्योग अधिकारियों की परियोजना ।
२६—विद्युत के लिए राज्य सहायता की परियोजना ।
२७—नये औद्योगिक आस्थान ।
२८—हस्तशिल्प सहकारी समितियों का विकास ।
२९—ग्राम उद्योगों के लिए सहकारी कर्मचारीवर्ग ।
३०—हाथकरघा सहकारी समितियों का कार्यकारी पूंजी के लिए ऋण ।
३१—सड़कों का पुनर्निर्माण तथा सुधार ।
३२—नई सड़कों का निर्माण ।
३३—पुलों का निर्माण ।
३४—अन्य निर्माण कार्य ।
३५—अधिष्ठान (सड़कों तथा पुलों के निर्माण से संबंधित) ।
३६—ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए अवर आधारिक विद्यालयों का खोला जाना ।

३७—नगर क्षेत्रों के बालकों तथा बालिकाओं के लिए बड़े आकार के अवर आधारिक विद्यालयों का खोला जाना ।

३८—नियोजन तथा प्रशासकीय व्यवस्था (प्राथमिक) के कर्मचारियों में वृद्धि ।

३९—अपने घर से बाहर ग्रामीण अथवा पिछड़े हुए क्षेत्रों में बालिकाओं के अवर आधारिक (जूनियर बेसिक) विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापिकाओं को ग्राम भत्ता ।

४०—ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित अवर आधारिक विद्यालयों में दाइयों की नियुक्ति ।

४१—बालक तथा बालिकाओं के लिए राजकीय उच्च आधारिक (सीनियर बेसिक) विद्यालयों का खोला जाना ।

४२—सहायक अनुदान के आधार पर उच्च आधारिक बालिका विद्यालयों का खोला जाना ।

५३ बालिकाओं के राजकीय अवर उच्च विद्यालयों की उच्च विद्यालय (हाई स्कूल) स्तर पर क्रमोन्नति ।

४४—सिटी ब्याज हाई स्कूल गाजीपुर को राज्य नियंत्रण में लेना ।

४५—परिवार नियोजन रूजालयों का खोलना ।

४६—राज्य परिवार नियोजन संगठन का प्रसार ।

सूची संख्या—२

गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में ली जाने वाली सड़कें

विवरण सड़क	लम्बाई (मील)	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
१—गाजीपुर-शादियाबाद-बहरियाबाद सड़क का विस्तार	१४	१६.८०
२—सरहद-जलालाबाद गाजीपुर तहसील में पड़ने वाले भाग	९	१०.८०
३—नन्दगंज—शादियाबाद	११	१३.२०
४—नन्दगंज-बोचकपुर	५	६.००
५—यूसुफपुर-जैरामपुर	४	४.८०
योग ..	४३	५१.६०

नत्थी 'ध'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७१ पर)

संयुक्त जांच समिति की संस्तुति के आधार पर देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर तथा गाजीपुर जिलों में लिये गये विकास कार्य

मदें	परिव्यय १९६४-६५ (लाख रुपयों में)	मुख्य भौतिक लक्ष्य १९६४-६५
१	२	३
१—कृषि उत्पादन	३७.७४	३.९९ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन
२—लघु सिंचाई	२२२.०८	(१) सिंचाई क्षमता में १.२९ लाख एकड़ की वृद्धि ।
		(२) ९५ सरकारी नलकूपों का निर्माण ।
		(३) १४,००० पक्के कुओं का निर्माण ।
३—भूमि संरक्षक	२.२७	(१) २४,००० एकड़ भूमि का बचाव ।
		(२) २४ ००० एकड़ भूमि का सर्वेक्षण ।
४—पशुपालन	५.८७	(१) २०० कुक्कुट पालकों को प्रशिक्षण
		(२) २५,००० एक दिन की उम्र के चूजे बांटना ।
		(३) ७,००० दो माह की उम्र के चूजे बांटना ।
५—मत्स्य पालन	१.७५	१८,८०० लाख छोटी मछलियों का वितरण
६—सहकारिता	६.८१	४४ ग्रामीण गोदामों का निर्माण
७—पंचायत	०.४०	३७ ग्राम सभाओं को ऋण
८—बाढ़ नियन्त्रण	२५.००	(१) पानी से घिरे ९७ गांवों को ऊंचा किया जाना ।
		(२) जल निकासी के लिए ७०.२५ मील लंबी नालियां ।
९—विद्युत्	४९.२६	११३ आबादियों का विद्युतीकरण
१०—ग्राम तथा लघु उद्योग	३१.२२	२५२ लाख रुपये की कीमत के हैंडलूम कपड़े का उत्पादन ।
११—सड़कें	२०.००	५७ मील पक्की सड़कों का निर्माण
१२—सामान्य शिक्षा	१२.२९	(१) गांवों में बालिकाओं के लिए १३७ अवर आधारिक पाठशालाओं का खोलना ।
		(२) शहरों में ८ अवर आधारिक मिश्रित पाठशालाओं का चालू करना ।
		(३) ६ राजकीय प्रवर आधारिक पाठशालाएं खोलना ।
		(४) सहायक अनुदान के आधार पर बालिकाओं के लिए ८ प्रवर आधारिक पाठशालाओं का खोलना ।
		(५) २ दीक्षा विद्यालय खोलना ।
१३—स्वास्थ्य	०.२४	३८ ग्रामीण तथा ५ शहरी परिवार नियोजन केन्द्रों का खोलना ।
		४ चलती फिरती नसबन्दी टीमें चालू करना ।
कुल योग..	४१४.९३	

नत्थी 'न'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७३ पर)

जून, १९६४ से अक्तूबर, १९६४ तक गोरखपुर जिले के विभिन्न थानों में हुए चोरी, डकैती व कत्ल के मामलों का विवरण-पत्र

थाना	चोरी	डकैती	कत्ल
१	२	३	४
१—कोतवाली	१६८	..	१
२—कैन्ट	१६४	२	..
३—पीपीगंज	१४	१	२
४—महाराजगंज	१७	..	१
५—निचलौल	७	..	१
६—कोठीमार	१०	..	१
७—श्याम देवरवा	२१	..	१
८—फरेन्दा	२०	..	..
९—कम्पीयरगंज	१०	..	१
१०—गोला	१६	२	१
११—बड़हलगंज	१७	..	२
१२—सिकरीगंज	९	१	२
१३—बेलघाट	४	..	..
१४—पुरन्द्रपुर	८	१	..
१५—नई कोट	११	..	१
१६—वासगांव	२४	२	२
१७—खजनी	२०	१	१
१८—झगहा	१६	..	१
१९—चोरा	२०	२	१
२०—सहजनवां	३१	१	..
२१—पिपराइच	१६	..	१
योग ..	६२३	१३	२०

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'प'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७४ पर)

थाना घनटा (जिला बस्ती) में घटित १ जनवरी, १९६४ से १६ जनवरी, १९६५ तक अपराधों के बारे में वांछित सूचन ।

अपराध	घटित मामलों की सं०	चालान हुए मामले	अदालत से सजा-याब मामले	क्या सजा हुई		मामले जिनमें फाइनल रिपोर्ट लगी	फाइनल रिपोर्ट के कारण	अन्य विवरण
				फांसी	कारावास			
१	२	३	४	५	६	७	८	९
कत्ल ..	..	२	२	२	२ व्यक्ति	५ व्यक्ति (आजीवन)	..	..	..
डकैती ..	..	१	१	..	..	..	..	..	१ मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।
नकबजनी ..	..	२४	२	..	..	..	१८	अपराध लापता रहे ।	२ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं । ४ मामलों में जांच जारी है ।
बलवा ..	..	१	१	१	..	८ व्यक्तियों को २१–२१ महीने का कठिन कारावास ।	..	..	..
राहजनी ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

१	२	३	४	५	६	७	८	
अन्य जुर्म	..	४७	२६	७	..	७ व्यक्तियों को भिन्न २ अवधि की कारावास की सजा।	१७	अपराध लापता रहे। १७ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। २ मामले न्यायालय से छूट गये। १ मामले में जांच नहीं की गई। ३ मामले में जांच हो रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'फ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७६ पर)

मद	हरिजनों के नाम जिनको धन दिया गया	ग्राम	दिया गया धन	कार्य की प्रगति
१	२	३	४	५
कूप निर्माण ..	१—श्री मगरू राम	कोरी	५००	कूप का निर्माण हो गया।
	२—श्री सहदेव राम	रतनपुरा	३००	कूप निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है परन्तु पूर्ण नहीं हुआ है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२०२ एल० ए०—१९५६—८६०।